लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23—शुक्रवार, 18 मार्च, 1966/27 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 23—Friday, March 18, 1966/Phalguna 27, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
623	देश में हथियारों और गोलाबारूद का उत्पादन	Indigenous Production of Arms and Ammunition . . .	5041–44
624	देश में उर्वरक बनाने वाली मशीनों का निर्माण	Indigenous Manufacture of Fertilizer Machinery . . .	5044–46
625	दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार गोदाम में दूध के पाउडर का पकड़ा जाना	Seizure of Milk Powder in the Shalimar Godown of S. E. Railway	5046–48
627	निर्यात	Exports	5048–51
628	यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ व्यापार	Trade with European Common Market Countries . . .	5051–53
629	चाय वित्त समिति	Tea Finance Committee . .	5053–56
630	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	5056–57
631	गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains . .	5057–60

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
11	कोयले के मूल्य का पुनरीक्षण	Revision of Coal Price . .	5060–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
626	रेलवे लाइन का देख भाल करने वाला उपकरण	Track Maintenance Equipment	5062
632	एम्बेसेडर कारों का निर्माण	Manufacture of Ambassador Cars	5063
633	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant . . .	5063
634	चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Pact with Czechoslovakia.	5063–64
635	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की शिकायतें	Grivances of N. C. D. C. Employees	5064
637	कोयला अधीक्षक का कार्यालय, धनबाद	Office of Coal Superintendent, Dhanbad	5064–65

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्यों ने वास्तव मे पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actully asked on the floor of the House by that Member.

1—39 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
638	भिलाई और दुर्गापुर कारखानों में लोहा और इस्पात के स्टाक का जमा हो जाना	Accumulation of stock of Iron and Steel at Bhilai and Durgapur Plants	5065
639	समुद्र के पानी का नेवेली लिग्नाइट खानों में रिसना	Seepage of Sea Water into Neyveli Lignite Mines . .	5065–66
640	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Bhilai Steel Plant Employees . . .	5066
642	गोआ में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Goa .	5066
643	कपड़े का मूल्य	Price of Cloth	5067
644	इथोपिया में ऊनी कपड़ा मिल की स्थापना	Establishment of Woollen Textile Mills in Ethiopia . . .	5067–68
645	बोकारो में चादरों का निर्माण	Production of Sheets at Bokaro .	5068
646	अनाज की ढुलाई	Transport of Foodgrains . .	5068–69
647	औद्योगिक क्षमता	Industrial Capacity . . .	5069
648	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco . . .	5069–70
649	रुमानिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Pact with Rumania .	5070
650	पूर्वोत्तर रेलवे के बुद्धमा स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर	Collision at Budhma Railway Station (North Eastern Railway)	5070–71
651	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग लगने की घटनायें	Fires in Heavy Engineering Corporation, Ranchi . . .	5071
652	दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी	Permanent Exhibition in Delhi .	5071–72
अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2378	श्रीलंका को चलचित्रों का निर्यात	Export of Films to Ceylon . .	5072
2379	केरल में काजू फैक्टरियां	Cashew Factories in Kerala .	5072
2380	शीट रबड़ का निर्माण	Production of Sheet Rubber .	5073
2381	रेशम की साड़ियों का निर्यात	Export of Silk Sarees . .	5073
2382	भद्र स्टेशन पर रेलवे फाटक	Railway Crossing at Bhadra Station	5073–74
2383	केरल में एल्युमिनियम उद्योग	Aluminium Industry in Kerala .	5074
2384	वल्लूबंडी खादी और ग्राम उद्योग, पालघाट	Valluvandi Khadi and Village Industry, Palghat . . .	5074
2385	भटिन्डा के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Bhatinda .	5075
2386	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की मांगें	Northern Railway Workers' Demands	5075–76
2387	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment on North East Frontier Railway	5076

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2388	रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने वालों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Thieves .	5076
2389	कलकत्ता के निकट रेलगाड़ियों का रोका जाना	Trains Detained near Calcutta .	5077
2390	वर्धा और नांदेड़ स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Wardha and Nanded Stations . .	5077
2391	अनुसूचित जातियों की सूची	Scheduled Castes List . .	5077–78
2392	तिगाव स्टेशन (मध्य रेलवे) पर बुकिंग की व्यवस्था	Booking arrangements at Teegaun Station (Central Railway)	5078
2393	हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने (एच० एम० टी०) की घड़ियां	H.M.T. Watches . . .	5078
2394	ओलवक्कोड और शेरूवण्णूर में रेलवे का डिवीजन अस्पताल	Railway Divisional Hospitals at Olavakkot and Shoranur .	5078–79
2395	ओलवक्कोड के डिविजन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations in Olavakkot Division . .	5079
2396	ओलवक्कोड डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद	Seats Reserved for S.C. & S.T. in Olavakkot Division (Southern Railway) . . .	5079
2398	कुटीर उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों का विकास	Development of Cottage, Khadi and Village Industries . .	5080
2399	स्टार्च का उत्पादन	Manufacture of Starch . .	5080
2400	रेडियो सेटों का निर्माण	Manufacture of Radio Receivers	5080–81
2401	रेलव स्टेशनों पर बुक स्टाल	Bookstalls on Railway Stations .	5081–82
2403	रूरकेला मे पाइप का कारखाना	Pipe Plant, Rourkela. . .	5082
2404	भारतीय बोर्ड तथा लुगदी बनाने वालों की एसोसिएशन	Indian Board and Pulp Manufactures' Association . .	5082
2405	हथकरघा उद्योग	Handloom Industry . .	5083
2406	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	5083–84
2407	औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल की अफ्रीकी देशों की यात्रा	Visit of Industrial Delegation to African Countries . . .	5084
2408	तम्बाकू के दाम	Prices of Tobacco . . .	5084–85
2409	देहरादून से दिल्ली के लिये सीधी गाड़ी	Direct Train from Dehra Dun to Delhi . . .	5085
2410	कारों और स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Cars and Scooters	5085–86
2411	दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Delhi-Howrah Railway Line . . .	5086

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2412	आयात में कटौती	Cut on Imports . . .	5087
2413	कपड़ा मिलें	Textile Mills	5087
2414	वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे लाइनें	Circular Railway Lines . .	5088
2415	घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches . .	5088
2416	हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का निर्यात	Export of H.M.T. Watches .	5088–89
2417	जापान को चन्दन की लकड़ी का निर्यात	Export of Sandal Wood to Japan	5089
2418	भारत में खनिजों भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Minerals in India	5089–90
2419	हैवी इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी में स्विच गियरों आदि का निर्माण	Production of Switch Gears etc. in Heavy Electricals Ltd. .	5090–91
2420	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan .	5091
2421	बाल अपचार	Juvenile Delinquency. . .	5092
2422	उत्तर प्रदेश की कोयले की मांग	Demand for Coal from U.P. .	5092
2423	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Rajasthan	5092
2424	गोरखपुर में रेलवे अस्पताल	Railway Hospital at Gorakhpur	5093
2425	पंजाब के लिये टीन और सीमेंट का अभ्यंश	Quota of Tin and Cement for Punjab	5093
2426	उत्तर रेलवे के रोपड़ नंगल बांध सैक्शन पर ब्रह्मपुर में फ्लैग स्टेशन	Flag Station at Brahmpur Station on the Rupar-Nangal Dam Section (Northern Railway) .	5093
2427	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त	S.C. and S.T. Commissioner .	5093–94
2428	रूरकेला का उपोत्पाद कारखाना	Rourkela by-product Plant .	5094
2429	चलती मालगाड़ी से कपड़े की चोरी	Theft of Cloth from a running Goods Train . . .	5095
2430	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	National Small Indstries Corporation	5095
2431	नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय के लिये स्थान	Accommodation for Enquiry Office at New Delhi Station .	5095
2432	दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Telephones in Enquiry Office at New Delhi Station .	5096
2433	दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर तोलने की मशीन	Weighing Machines at Delhi and New Delhi Stations .	5096
2434	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills . .	5096–97
2435	हथकरघा उद्योग	Handloom Industries . .	5097

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2436	जूतों का निर्यात	Exports of Shoes . . .	5098
2437	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint . .	5098
2438	दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S.C. and S.T. Employees on South Eastern Railway .	5098
2439	उद्योगों के लिये कच्चा लोहा	Pig Iron for Industries . .	5099
2440	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	Colonies for S.C. and S.T. in Rajasthan	5099
2441	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	5099–5101
2442	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	5101
2443	उड़ीसा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कोयले की मांग	Demands from Orissa for Various Grades of Coal . .	5101–02
2444	रुपये में भुगतान की व्यवस्था	Rupee Payment System . .	5102
2445	फेरोजपुर रेलवे डिवीजन	Ferozepore Railway Division .	5102–03
2446	दबावसह पात्रों (प्रैशर वैसल) का निर्माण	Manufacture of Pressure Vessels .	5103
2447	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Durgapur Steel Plant Workers . . .	5103–04
2448	निर्यात किये जाने वाले माल का निरीक्षण	Inspection of Exportable Goods .	5104
2449	व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegations . . .	5104–05
2450	ट्रेन एग्जामिनर और फिटर	Train Examiners and Fitters .	5105
2451	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Officers in the Railway Board's Office. . .	5105–06
2452	कारों का मूल्य	Price of Cars	5106
2453	एशिया तथा सुदूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की नई दिल्ली में बैठक	ECAFE Meeting in New Delhi .	5106
2454	निर्मली स्टशन पर बिजली	Electricity at Nirmali Railway Station	5106–07
2455	दक्षिण मध्य रेलवे खंड	South Central Railway Zone .	5107
2456	गोधरा-लुनावडा सैक्शन (पश्चिम रेलवे)	Godhra-Lunavada Section (Western Railway) . . .	5107
2457	झांसी सवाई माधोपुर रेलवे लाइन	Jhansi Sawai Madhopur Railway Line	5107–08
2458	बंगलौर और मैसूर के बीच बिजली की गाड़ी	Electric Train between Bangalore and Mysore . . .	5108

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2459	देहरादून एक्सप्रेस में जोड़ी जाने वाली बोगी	Bogie attached to Dehra Dun Express	5108
2460	पश्चिम रेलवे के रीगस और नागदा स्टेशनों पर शेड	Sheds at Reengus and Nagda Stations (Western Railway) .	5108–09
2461	बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली	Badi Industrial Estate, Delhi .	5109
2462	बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली	Badi Industrial Estate, Delhi .	5110
2463	बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली	Badil Industrial Estate, Delhi .	5110
2464	मध्य प्रदेश में सीमेन्ट का कारखाना	Cement Factory in M.P. . .	5110
2465	कस्तूरबा न्यास द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions run by Kasturba Trust . . .	5110–11
2466	अनूसूचित आदिम जाति विकास खण्ड	Scheduled Tribes Development Blocks	5111
2467	साउथ अरकोट जिले में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in South Arcot District	5111–12
2468	उत्तर रेलवे के मैकेनिकल कर्मचारियों की रात्रि में ड्यूटी	Night Duty of Mechanical Staff of Northern Railway . .	5112
2469	लखीमपुर खेरी स्टेशन पर चाय की दुकानें	Tea Stalls at Lakhimpur Kheri Station	5112
2470	लखनऊ स्टेशन पर आरक्षण क्लर्क	Reservation Clerks at Lucknow Station	5112–13
2471	पानीपथ स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over Bridge at Panipat Station	5113
2472	रोहतक से पानीपत तक रेलगाड़ी	Train from Rohtak to Panipat .	5113–14
2473	पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय	Directorate-General of Supplies and Disposal . .	5114
2474	सीमेन्ट पर से नियंत्रण का हटाया जाना	Decontrol of Cement . .	5114
2475	लीपज़िग वसंत मेला	Leipzig Spring Fair . .	5114
2476	पुस्तकों का आयात	Import of Books . . .	5115
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	एअर इंडिया की सब उड़ानें मन्सूख किये जाने का समाचार	Reported cancellation of all Flight of Air India . . .	5115,5140–42
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re: Question of Privilege .	5115–16
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	5116–17
लोक लेखा समिति—		Public Accounts Committee—	
	पैतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-fifth Report .	5117

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
सोलहवें से बीसवें तक प्रतिवेदन	Sixteenth to Twentieth Reports .	5117
पंजाबी सूबे की मांग संबंधी संसदीय समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Report of Parliamentary Committee on Demand for Punjabi Suba—Presented	5117
सभा का कार्य	Business of the House . .	5117–18
दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee.	5118–19
लेखानुदानों की मांगें, 1966–67—	Demands for Grants on Account, 1966-67—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	5119–20
श्री रंगा	Shri Ranga	5120
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	5120
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . . .	5120
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	5120
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachin Chaudhuri . .	5120–21
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1966—Introduced and Passed	5126
नाविक भविष्य निधि विधेयक 1966—	Seamen's Provident Fund Bill, 1966—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव—संशोधनों से सहमति	Motion to agree to Rajya Sabha Amendments—Amendments agreed to	5127–28
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1965-66—	Demand for Supplementary Grants (General), 1965-66—	
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra . . .	5130
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	5131–32
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi .	5132
श्री दाजी	Shri Daji . . .	5132–33
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	5134
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishanapal Singh .	5134
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi . .	5135
श्री बड़े	Shri Bade	5135–36
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	5136
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	5136–37
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	5137
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . . .	5137

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
इक्यासीवाँ प्रतिवेदन	Eighty-First Report . . .	5138
स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की सामयिक डॉक्टरी परीक्षा) विधेयक के बारे में)	Re: Health (Periodical Medical Check up of President and Prime Minister of India) Bill .	5138
संविधान (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया—(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)—[श्री हरि विष्णु कामत का]	Constitution (Amendment) Bill—introduced—(Amendment of Articles 75 and 164) by Hari Vishnu Kamath . . .	5138
संविधान (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत हुआ—(अनुच्छेद 22, 32 का संशोधन और अनुच्छेद 359 का हटाया जाना) [श्री मधु लिमये का]	Constitution (Amendment) Bill—Negatived—(Amendment of Articles 22, 32 and omission of Articles 359 by Shri Madhu Limaye—	
श्री हाथी	Shri Hathi	5139
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	5139–40
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद 152, 370 आदि का हटाया जाना) [श्री प्रकाश वीर शास्त्री का]	Constitution (Amendment) Bill—(Omission of clauses 152,370 etc.) by Shri Prakash Vir Shahstri	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	5143-44
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	5144–45
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra . .	5145
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . . .	5145–46
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . .	5146
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . .	5146–47
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi. .	5147–48
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	5148

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 मार्च, 1966/27 फाल्गुन, 1887 (शक)
Friday, March 18, 1966/Phalguna 27, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश में हथियारों और गोलाबारूद का उत्पादन

+

***623. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **संभरण तथा तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के राज्य मंत्री ने 22 दिसम्बर, 1965 को हैदराबाद में एक वक्तव्य दिया था कि हथियारों और गोलाबारूद के उत्पादन में भारत प्राय: आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वक्तव्य देते समय वह किन आवश्यकताओं और मानकों का उल्लेख कर रहे थे; और

(ग) हमारी प्रतिरक्षा संबंधी समूची आवश्यकता का कितने प्रतिशत भाग, मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से, इस समय देशी उत्पादन से ही पूरा किया जाता है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का संबंध है इसके बारे में यह कहना कि प्रश्न नहीं उठता उचित एवं युक्तिसंगत नहीं है । यह भाग स्वयं एक समूचा प्रश्न है । प्रश्न यह है कि देश में जो हथियार तथा गोलाबारूद बनाया जाता है, उस में देशी सामान कितना होता है ? माननीय मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

श्री कोत्ता रघुरमैया : प्रश्न यह था कि क्या मैं ने हैदराबाद में एक वक्तव्य दिया था कि हथियारों और गोलाबारूद के उत्पादन में भारत प्राय: आत्मनिर्भर हो गया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह तो प्रश्न का केवल एक भाग है ।

श्री कोत्ता रघुरामैया : .....(ख) यदि हां, तो वक्तव्य देते समय वह किन आवश्यकताओं और मानकों का उल्लेख कर रहे थे, और (ग) हमारी प्रतिरक्षा संबंधी समूची आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत भाग, मात्रा तथा मूल्य की दृष्टिसे, इस समय देशी उत्पादन से ही पूरा किया जाता है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह प्रश्न कैसे पैदा नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : शायद उन्होंने इस संदर्भ में यह कहा है कि प्रश्न पैदा नहीं होता । माननीय सदस्य अब एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अब दिये गये उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले कभी भी इस वक्तव्य का खंडन क्यों नहीं किया गया ? माननीय मंत्री ने वास्तव में वह वक्तव्य किस संदर्भ में दिया था ? वह वक्तव्य क्या था जिसके बारे में वह अब कह रहे हैं कि उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : सारा वक्तव्य यहां नहीं दोहराया जा सकता । वास्तव म उन्होंने क्या कहा था, तथा किस संदर्भ में कहा था और इसे किस कारण युक्तिसंगत नहीं समझा जाता ?

श्री कोत्ता रघुरमैया : पाकिस्तानी आक्रमण को दृष्टि में रखते हुये मैं अधिक देशी उत्पादन आवश्यकताओं का उल्लेख कर रहा था और विशेषतया आयात में कमी करने की वांछनीयता पर जोर दिया गया था । वास्तव में इस संदर्भ में युद्ध-सामग्री कारखानों के कार्य की सराहना की थी और 1962 से हुये हथियारों के उत्पादन का उल्लेख किया था । वास्तव में मेरे भाषण का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थ व्यवस्था में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का उल्लेख करना था ।

अध्यक्ष महोदय : अब डा० सिंघवी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहता क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया है भाग (ग) मुख्य प्रश्न है और इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले भागों को छोड़ कर प्रश्न के भाग (ग) के बारे में जानकारी दी जाय ।

श्री कोत्ता रघुरमैया : मैं सामान्य स्थिति के बारे में बता सकता हूं ।.....

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी बाद में दी जा सकती है ।

श्री कोत्ता रघुरमैया : यदि आप की अनुमति हो, तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ । मेरा संबंध केवल इस कार्य के एक भाग तक ही सीमित है, जहां तक असैनिक क्षेत्र से सप्लाई, विदेशों से सप्लाई तथा हथियारों और गोलाबारूद के वास्तविक उत्पादन का संबंध है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी इकट्ठी करके उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं यह जानकारी अभी दे सकता हूं । आत्मनिर्भरता एक सापेक्षक बात है । यह हमारी स्थल सेना, नवसेना, और वायुसेना के आकार तथा हथियारों के प्रकार पर निर्भर है । जहां तक हथियारों तथा गोलाबारूद का सम्बन्ध है हम काफी अच्छी स्थिति में हैं । गत वर्ष हमने लगभग 360 करोड़ रुपये का सामान खरीदा था, जिस में 75 प्रतिशत स्वदेशी था । इसलिये हमारी आयात केवल 25 प्रतिशत थी । इस से माननीय सदस्यों को अनुमान हो जायेगा कि हम किस सीमा तक आयात पर निर्भर हैं तथा किस सीमा तक स्वदेशी सप्लाई पर निर्भर हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know the total bulk and value of the total defence production, including all items of aircrafts, tanks, heavy guns etc. produced in the country, as also the total value and bulk of defence equipments imported from foreign countries.

श्री अ० म० थामस : मैं ने कहा है कि कुल 368. 92 करोड़ रुपये का माल खरीदा गया है जिस में 75 प्रतिशत का माल स्वदेशों से तथा शष 25 प्रतिशत का माल विदेशों से आयात किया गया है। टैंक तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में, जैसा सभा को ज्ञात है, हमने अभी टैंको का उत्पादन आरम्भ किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल वजन और मूल्य जानना चाहते हैं।

श्री अ० म० थामस : वजन तो मैंने पहले ही बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो मूल्य बताया ।

श्री अ० म० थामस : वजन बताना उचित नहीं है, वह संख्या के बराबर है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को हथियारों तथा गोलाबारूद बनाने का काम सौंपने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो चौथी योजना के दौरान कहां तक यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जायगा ?

श्री अ० म० थामस : मैं इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दे चका हूं। हमारा विचार यह नहीं है कि पूरे हथियारों, गोलाबारूद तथा उपकरणों के निर्माण कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाय, परन्तु कुछ हिस्सों तथा पुर्जों के निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। यह हमारे हित में भी है कि जहां तक संभव हो गैर-सरकारी क्षेत्र का उपयोग किया जाय, परन्तु नीति के आधार पर हम पूरे हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण का काम गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सोंपेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 90 प्रतिशत अथवा शत प्रतिशत परम्परागत हथियार हमारे देश में ही बनाये जाते हैं और यदि नहीं तो हमें कितने प्रतिशत के लिये आयात पर निर्भर रहना पड़ता है ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक हथियारों तथा गोलाबारूद का संबंध है.....

श्री स० मो० बनर्जी : मैं परम्परागत हथियारों के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अ० म० थामस : जी हां, जहां तक परम्परागत हथियारों का संबंध है, हमारा आयात बहुत कम है। हमने कहा है कि हमने कुल 368.92 करोड़ रुपये का माल खरीदा है, जिस में से केवल 25 प्रतिशत का आयात किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि जहां तक हथियारों और गोलाबारूद का संबंध है हम बहुत कम आयात करते हैं।

Shri Bhibhuti Mishra : Defence equipments are being produced by private sector. May I know whether Government have made proper safeguards against the leakage of their secrecy ?

श्री अ० म० थामस : निस्संदेह ।

Shri Gulshan : May I know whether it is a fact that the ammunition imported from other countries is kept on the shops for sale, the indigenous material disappears and the foreign material is sold. The foreign cartridges are sold at the rate of rupees four hundred per hundred. Will Government take certain action in this regard ?

श्री अ० म० थामस : प्रतिरक्षा क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रतिरक्षा हवाई जहाजों तथा टैंकों का निर्माण करने के लिये हम किस हद तक आयातित फालतू पुर्जों, हवाई जहाज के भागों का तथा अन्य विदेशी सहयोग पर निर्भर हैं ?

श्री अ० म० थामस : हम काफी हद तक आयातित पुर्जों तथा हवाई जहाज के हिस्सों पर निर्भर हैं। वास्तव में अब हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो अधिकाधिक हिस्सों को अपने देश में बनाया जाय। जहां तक वायुयान संबंधी वस्तुओं का संबंध है हम ने लगभग 50 करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात किया है। इस में कई प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। मैं उनका विस्तृत ब्योरा दे सकता हूं, परन्तु वायुयान के हिस्सों तथा अन्य चीजों का विस्तृत ब्यौरा देना उचित नहीं है।

Indigenous Manufacture of Fertilizer Machinery

+

*624. **Shri M. L. Dwivedi**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri A. N. Vidyalankar :
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been made to manufacture machinery required for fertilizer factories indigenously; and

(b) if so, the amount of foreign exchange spent annually at present on the import thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudhendra Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) As import of fertilizer machinery is not separately classified in the Indian Trade Classification, precise annual figures are not available.

Shri M. L. Dwidedi : I want to know whether the machinery required for fertilizer factories is manufactured indigenously, if so, the places where it is manufactured and by what time we will achieve self-sufficiency in this regard ?

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : कुछ चीजों के बारे में बहुत सी गैर-सरकारी कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये हैं तथा चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया तथा रूस के सहयोग से कम से कम पांच या छः परियोजनायें सरकारी क्षेत्र में बनाई जा रही हैं।

Mr. Speaker : He wanted to know the places where these projects are planned and the time by which self sufficiency will be achieved.

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : एक नैनी में, एक कोटा में तथा एक पालघाट में है। इस्पात कारखाने भी बहुत से हिस्सों का उत्पादन कर रहे हैं। तिरुचिरापली में एक हाई प्रशर बायलर संयंत्र है।

Mr. Speaker : By what time self sufficiency will be achieved ?

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : यह तो आवश्यकता पर निर्भर है। ये कारखाने न केवल हिस्सों का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि मशीनें भी बना रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the terms on which India has asked for foreign collaboration for the manufacture of machinery required for the manufacture of fertilizers.

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : परियोजना का विस्तृत ब्यौरा अभी रूस से प्राप्त नहीं हुआ है। पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव किया गया है कि पुर्जों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का खर्च वे उठायेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हमारे देश में उर्वरक मशीनों के उत्पादन करने की क्षमता अनुपयोगी पड़ी हुई है, यदि हां, तो उन की उत्पादन क्षमता कितनी है।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : हमें इसकी जानकारी नहीं है कि क्षमता अनुपयोगी पड़ी हुई है।

श्री भागवत झा आजाद : यदि देश में उर्वरक मशीनों के उत्पादन की क्षमता अनुपयोगी नहीं पड़ी है तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कितनी प्रतिशत आवश्यकतायें देशी उत्पादन द्वारा पूरी की जा रही है और शेष जिनका आयात किया जाता है क्या उनका आयात प्रतियोगिता के आधार पर न्यूनतम कीमत पर किया जाता है ?

श्री संजीवैया : मशीनों के आयातित पुर्जों के संबंध में मैं सबसे पहले दो अथवा तीन चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो इस समय मेरे पास उपलब्ध हैं। ट्रौम्बे में 15 करोड़ रुपये की मशीनें आयात की हुई हैं और इसी प्रकार गोरखपुर में 13.2 करोड़ रू० की मशीनें आयात की हुई हैं। इसकी तुलना में इन परियोजनाओं में देश में निर्मित उपकरण बहुत कम कीमत के हैं, उदाहरणार्थ निवेली संयंत्र को लीजिये, उसमें आयातित मशीनों का मूल्य 70.98 करोड़ है जबकि देश में निर्मित मशीनों का मूल्य केवल एक करोड़ रुपये है।

श्री सुबोध हंसदा : जहां तक मैं समझता हूं माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ कारखाने इन मशीनों के हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक उर्वरक संयंत्रों में काम आने वाली सारी मशीनें यहां बनाई जा सकेंगी ?

श्री बिभुधेन्द्र मिश्र : आशा है कि इन सब परियोजनाओं के पूरे होने पर चौथी योजना के अन्त तक ऐसा संभव होगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या उन देशी पुर्जों पर जो इस समय देश में बनाये जा रहे हैं तथा उर्वरक कारखानों में जिनका उपयोग किया जा रहा है, निशान लगाये जाते हैं? यह शिकायत की जाती है कि उन पर निशान नहीं लगाये जाते।

श्री संजीवैया : जी नहीं, उन पर निशान लगाये जाते हैं।

Shri Bibhuti Misra : The hon. Minister has stated just now that foreign exchange worth crores of rupees is being spent on the installation of a fertilizer factory in India. Is it a fact that the Fertilizer Corporation of India which is also a part of the Government of India is making arrangements that foreigners may come over to India and install fertilizer factories here. The amount spent by them may be repaid by the earnings of the fertilizer factories. May I know whether Ministry of Finance is creating a hurdle in it?

श्री संजीवैया : जहां तक उर्वरक कारखानों तथा कुछ रासायनिक संयंत्रों के लिये भी मशीनों का संबंध है, इसके लिये विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ प्रैसर वैस्लस को लीजिये। इन का निर्माण उत्तकल मशीन निर्माण संयंत्र, रूड़केला, टाटा इंजीनियरिंग तथा लोको-मोटिव कम्पनी, दुर्गापुर और ए० वी० बी० कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उर्वरक तथा रासायनिक लि० अलवाये भी इन के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। इसी तरह से हम चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हैवी प्लेट तथा वैस्लज बनाने का एक संयंत्र सरकारी क्षेत्र में लगाने का विचार कर रहे हैं। कैम्प्रसरों तथा पम्पों के निर्माण के लिये हम नैनीताल में एक संयंत्र लगाने का विचार कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत से अन्य प्रस्ताव हैं।

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, my question has not been answered. The Fertilizer Corporation of India proposes to install a fertilizer factory in India in collaboration with foreigners. The Fertilizer Corporation does not require any foreign exchange for setting up the fertilizer plant, but the amounts may be repaid by the earnings of the fertilizer plant. I wanted to know whether the Ministry of Finance are creating hurdles in this matter.

श्री संजीवैया : जब कभी हम कोई संयंत्र लगाने की सोचते हैं, तब यदि देशी मशीनें उपलब्ध हों तो अवश्य ही उनका उपयोग किया जाता है, विदेशी मुद्रा तो तभी खर्च की जाती है, जब देशी मशीनें उपलब्ध न हों ।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Deputy Minister has just now stated that licences have been given to private parties and this work will also be taken up in public sector. I want to know the number of licences given to private persons and how much work is being taken up by Government itself, how much has already been started, and by what time it is expected to be completed?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : इस में कई चीजें सम्मिलित हैं । केवल उन ही गैर सरकारी निर्माताओं को लाइसेंस दिये गये है, जो पहले से ही उन चीजों का उत्पादन कर रहे थे, अन्यथा जैसा मैंने कहा है अधिकतर चीजों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा ।

Shri Madhu Limaye : Keeping in view the seriousness of food shortage and importance of fertilizers, whether Government propose to launch a big scheme for the manufacture of machinery required for fertilizer factories in public sector during the Fourth Five Year Plan and if it is not possible in public sector, whether Government will take certain steps to manufacture entire machinery required for fertilizesr factories in collaboration with private sector during the next three or four years?

श्री संजीवैया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार यह चाहती है कि जहां तक संभव हो सारी मशीनें भारत में ही बनाई जायें, चाहे उन्हें सरकारी क्षेत्र में बनाया जाये अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में । कुछ लोगों को लाइसेंस दिये गये है तथा वे उनके निर्माण का यत्न कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र में हम इस संबंध में बहुत बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार गोदाम में दूध के पाउडर का पकड़ा जाना

* 625. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार गोदाम में बड़ी भारी मात्रा में दूध का पाउडर पकड़ा गया जिस पर प्रेषक का नाम नहीं दिया गया था और जो मद्रास से कलकत्ता के लिये बुक कराया गया था ;

(ख) क्या प्रेषक के बारे में पता लगाने के लिये कोई जांच पड़ताल की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या फल निकला; और

(घ) क्या यह दुग्ध चूर्ण कलकत्ता में चोर बाजार में बेचे जाने के लिये था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। शालीमार में दुग्ध-चूर्ण के 153 डिब्बों के 19 परेषण गलत बयानी की वजह से जब्त कर लिये गये। लेकिन ये परेषण विजयवाड़ा, राजामंद्री और विजयनगरम् से भेजे गये थे, न कि मद्रास से।

(ख) और (ग) : जी हां, लेकिन परेषणों को बुक करानेवाले व्यक्तियों में से किसी का भी पता न होने से उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। रेलवे पुलिस तथा सीमा शुल्क अधिकारी अभी मामले की जांच कर रहे हैं।

(घ) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया कि ये बुकिंग मद्रास से नहीं की गई थीं, अपितु कुछ अन्य स्थानों से की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा ये बुकिंग किस प्रकार स्वीकार की जाती हैं।

डा० राम सुभग सिंह : वे उन स्थानों पर स्वीकार की गई थीं जिनके नाम मैंने बताये हैं, अर्थात् राजामंद्री, विजयवाड़ा और विजयनगरम।

श्री सुबोध हंसदा : भेजने वालों के नामों के बिना इन्हें किस प्रकार स्वीकार किया गया?

डा० राम सुभग सिंह : नाम यहां पर हैं। व्यक्तियों की एक लम्बी सूची है। मैं इसको सभापटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

डा० राम सुभग सिंह : उनके हुंडीकारों ने उनकी मांग की थी।

श्री सुबोध हंसदा : रेलवे की जानकारी में यह बात कैसे आई कि इन पैकेजों में दूध का पाऊडर था? किसने रेलवे को इसकी सूचना दी?

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे रसीद लाने वाले व्यक्तियोंने जब यह सोचा कि अधिकारी खुला हुआ सामान लेने पर आग्रह करेंगे तो वे वहां से भाग खड़े हुए उनका पता नहीं लग पाया है। रेलवे रसीद वहां पर थीं।

श्री स० चं० सामन्त : ये वस्तुएं क्यों ज़ब्त की गई थीं और क्या किन्हीं अन्य जांच अधिकारियों को इस मामले पर जांच करने के लिये कहा गया था?

डा० राम सुभग सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मामले पर अभी भी जी० आर० पी० और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। वास्तव में सीमा शुल्क अधिकारी ही इस मामले की जांच करेंगे। बिल्टियां इसलिये ज़ब्त की गई थीं कि पश्चिम बंगाल में किसी अन्य राज्य से दूध की बिल्टी भेजना वर्जित है और इसलिये यह जो बात हुई थी एक गलत बात थी; उन्होंने बिल्टियों के बारे में बताया था कि उनमें पिन, मूल्डिंग पाऊडर, स्टार्च पाऊडर आदि है, जबकि वास्तव में उनमें दूध था।

श्री भागवत झा आजाद : जबकि भेजने वालों के नाम दिये जाते हैं जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, तो क्या यह पता लगाना रेलवे मंत्रालय का कर्तव्य नहीं था कि इसमें क्या शरारत थी और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

डा० राम सुभग सिंह : प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। सारे नाम मेरे सामने हैं। यह घटना दिसम्बर में घटी गई थी, और पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं; सीमा शुल्क के लोग इस मामले में जांच के लिये सजग हैं और वे इसका प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Just now the hon. Minister stated that the names of the consignors are there. What are the names of the clerks in the Rajamundri and other states who did not write the names of the consignees?

Dr. Ram Subhag Singh : The names of the consignees are there, the list of their names is there, the consignors themselves are the consignees. In all there are 19 consignments and all of them are under investigation.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है, और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और उनके नाम क्या हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : जबकि भेजने वाला और पाने वाला एक ही पक्ष है, तो क्या बुकिंग के समय बिल्टी के सही होने के संबंध में उचित अनुमान लगाने की कोई पद्धति है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में मामले की जड़ यही है। उन्होंने बिल्टियों को स्वीकार कर लिया। मामले का अनुसरण करना पड़ेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Just now the hon. Minister stated that the consignor and the consignees were the same persons and there names are there. What matters are now under investigation? Why they are not prosecuted? If they are being prosecuted, whether security has been taken from them or not?

Dr. Ram Subhag Singh : All those things happened in December when the consignments were dispatched about 17th December. The consignors were of Andhra Pradesh.

Shri Dinen Bhattacharya : What are the names of the consignees?

Dr. Ram Subhag Singh : The names of the consignees are also the same. All those consignments reached Shalimar, West Bengal where it was seized. Authorities of both the places are pursuing the matter and legal proceedings will be launched in due course.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much time will it take?

Dr. Ram Subhag Singh : Now one month has been taken away by West Bengal.

\+ **निर्यात**

*627. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री रामनाथन चेट्टियार :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के सम्बन्ध में बिगड़ती जा रही स्थिति में गत तीन मास में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुधार किस प्रकार का है तथा कितना हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 की अवधि में हुए निर्यात का मूल्य 214 करोड़ रुपये था जबकि अक्तूबर, 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही में वह 204 करोड़ रु० तथा नवम्बर, 1964 से जनवरी, 1965 की अवधि में वह 210 करोड़ रु० था ।

Shri M. L. Dwivedi : What items of export have shown rising trend in export and what items have shown a declining trend?

Shri Manubhai Shah : During the three months Jute goods, steel rods and bars, engineering goods, handicrafts and some amount of plastic and chemical goods have shown a rising trend in export while only sugar has shown a declining trend and that only this year.

Shri M. L. Dwivedi : Are we having deficiency of those goods which have shown a rising trend ?

Shri Manubhai Shah: Yes, Sir. There is deficiency of all the items of export.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस वर्ष की कमी 536 करोड़ रु० की है ? यदि हां, तो सरकार इसकी कमी को किस प्रकार पूरा करना चाहती है ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : During the three months the exports have increased by 10 crores of rupees. It shows that there is some flaw in export system. Are steps being taken to improve the system, to rectify the defects which were responsible for the decline in exports prior to the 3 months under reference during which the exports have increased?

Shri Manubhai Shah : A marginal increase cannot be termed as increase. Unless the production of plantation articles is augmented there cannot be any increase.

श्री स० चं० सामन्त : क्या उन उद्योगों को और प्रोत्साहन देने का कोई विचार है जिनके निर्यात में इस अवधि में कमी हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : प्रोत्साहन की कमी का प्रश्न नहीं है । यदि हमारे पास पटसन, तम्बाकू चाय अधिक मात्रा में हों तो हम इनका निर्यात कर सकते हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या पिछले तीन महिनों में निर्यात में हुई वृद्धि में वस्तुविनियम के आधार पर किया गया निर्यात भी शामिल है ?

श्री मनुभाई शाह : सब तरह का निर्यात ।

Shri Bibhuti Mishra : Earlier the hon. Minister had fixed the price of jute in Calcutta at Rs. 30. Even now the jute is available in the open market at the rate of Rs. 45. We are earning enormous amount of foreign exchange through the export of jute and the Government does not spend as much upon the improvement of jute growers as it should. Therefore the production of jute is low and we are not able to export more.

Shri Manubhai Shah : So many questions have been combined in one question. I will answer them serially. First, India and Pakistan are the two main producers of jute. They account for 90 percent of the world jute production. Here we are paying double rates to the growers here as compared to the rates being paid in Pakistan. The need is to increase the per acre production so that the grower can get more. As regards the question of giving the subsidy, that is being given by this Ministry and the Ministry of Food and Agriculture and that will continue. The more the production, the more the exports.

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि निर्यात में सामान्य रूप से कमी हो रही है, क्या हमारी सरकारने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये ई० सी० एम० के देशों से, इसके क्षेत्र से बाहर, द्विपक्षीय करार करने का निर्णय किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह अगले प्रश्न में आ जायेगा।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : किन देशों के निर्यात में वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : विशेष रूप से ब्रिटेन और अमरीका में निर्यात बढ़ता जा रहा है।

श्री बसुमतारी : ऐसा कहा गया है कि नागालैंड और लुशाई पहाड़ियों से आने वाले कपड़े के डिजाइन भारत के बाहर बहुत लोकप्रिय हैं। क्या सरकारने इसकी जांच की है ?

श्री मनुभाई शाह : दुर्भाग्य से हमने इसकी गहरी जांच नहीं की है। लुशाई और नागालैंड वास्तव में कला के स्थान हैं, और इसलिये यदि माननीय सदस्य हमारे निर्यात में सहयोग दे सकते हैं तो मैं उनका सहयोग प्राप्त करुंगा।

श्री दाजी : माननीय मंत्री के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा निर्यात में केवल सीमान्त वृद्धि ही हुई है, *i.e.* 200 करोड़ रु० से अधिक के निर्यात में केवल 4 करोड़ रु० की जो कि दो प्रतिशत वृद्धि से भी कम है। क्या यह वृद्धि इसलिये हुई है कि निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा हमारी निर्यात की पारम्परिक वस्तुओं के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है जिनके मूल्य कि कुछ वर्षों से गिरते जा रहे थे अथवा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमें बाध्य हो कर अधिक निर्यात करना पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है ; मोटे तौर पर, निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है, परन्तु चूंकि कुछ वस्तुओं के मूल्य गिरते जा रहे हैं इसलिये अधिक मात्रा के होते हुए भी हमारी आमदनी में अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु मूल्यों में सुधार करने के लिये हम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों पर प्रयत्न कर रहे है, और अन्त में जब कच्चा माल निर्मित वस्तुओं में बदल जायेगा तो सम्भावत: मूल्यों में भी वृद्धि होगी।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister said that the exports have generally registered a decline. He also stated that the price of our jute is twice as compared to that of Pakistan. What is the reason for our exports registering a decline and for the difference in prices of jute of India and of Pakistan?

Shri Manubhai Shah : Swamiji has not understood correctly. Our export of jute goods went up by 23 crores of rupees last year. Overall exports have also increased. But as regards jute goods there has been top export. The question of rise in the price pertains to raw jute. The hon. Members has not referred to the finished goods.

Shri Sheo Narain : Apart from the help given by the State Government to the jute growers, what help is being given by the Central Government.

Shri Manubhai Shah : Much help. Fertiliser, loans, grants and subsidies are being given and the price support policy is being followed.

श्री म० रं० कृष्ण : हाल ही में अफ्रीका और एशिया के जो देश स्वतन्त्र हुये हैं उनमें भारतीय माल की खपत के लिये क्या सरकार भारत से आयात करने वाले उन देशों को ऋण सुविधाएं देने पर विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सही दिशा है और हम इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। गत वर्ष हमने कई अफ्रीकी देशों को ऋण संबंधी सुविधायें दीं थीं। उदाहरणार्थ, हमने उगांडा को 11 करोड़ रुपये का ऋण दिया; केनिया को उसका रेलों के विस्तार के लिये 2.5 करोड़ का ऋण दिया है और इस वर्ष भी हमने उससे पूछा है कि क्या उसे 5 करोड़ रुपये का ऋण चाहिये। तंजानियां को 2.5 करोड़ रुपये का ऋण और सूडान को 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप हमें समूचे तौर पर कुछ लाभ हुआ। अफ्रीका के लिये हमारे निर्यात में 11 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ व्यापार

*628. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य-देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में इस बीच और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) गत पांच वर्षों में कितना व्यापार हुआ और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितना व्यापार किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हमारा ब्रुसेल्स स्थित आर्थिक मिशन जिसके प्रधान पूर्णाधिकारी मंत्री हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रख कर उस समदाय को निर्यात होने वाली अनेक वस्तुओं पर लगी हुई टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर कराने के लिये अनुरोध कर रहा है। हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ऐसी कुछ वस्तुओं के, जिनमें भारत की निर्यात दिलस्चपी है, सीमा शुल्कों के निलम्बन, कमी की वैधता अवधि एक वर्ष के लिये और अर्थात् 31 दिसम्बर, 1965 से 31 दिसम्बर, 1966 तक के लिये बढ़ा दी है। इन वस्तुओं में ये हैं :—काजू की गिरी, इलायची, धनियां, सौंठ, कढी पाउडर तथा पेस्ट, आमकी चटनी, अरण्डी का तेल, तम्बाकू के बीजों का तेल, लाल मिर्च, चमड़ा तथा क्रिकेट और पोलो का सामान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ब्रिटन के साथ अपना करार भी नया कर लिया है और चाय तथा उष्णकटिबन्धीय लकड़ियों के सीमाशुल्कों के निलम्बन की अवधि के साल के लिये और अर्थात् 1 जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1966 तक के लिये बढ़ा दी है, हमारा आर्थिक मिशन यूरोपीय आर्थिक समुदाय पर दबाव डालता रहा है जिससे दोनों के आपसी व्यापार सम्बन्धों का विस्तार करने के लिये भारत तथा समुदाय के मध्य ठोस विपक्षीय वार्ता आरम्भ की जा सके। समुदाय के देशों में हमारे उत्पादों का व्यापक प्रचार करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु इन प्रयत्नों के ठोस परिणाम का आकलन अभी नहीं किया जा सकता।

(ख) गत पांच वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा रोम संधि वाले देशों के साथ हुये भारत के व्यापार का परिणाम प्रकट करने वाला एक विवरण सदन को मेज पर रखा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में समुदाय के साथ होने वाले व्यापार के मूल्यों का आकलन अभी नहीं किया जा सकता।

विवरण

गत 5 वर्षों में भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य हुए व्यापार का मूल्य ।

(मुल्य करोड रू०में)

वर्ष	आयात	निर्यात, पुनर्निर्यात-सहित
1961--62	194.64	56.21
1962--63	158.05	55.45
1963--64	141.01	62.18
1964--65	169.36	57.13
1965 (अप्रैल से नवम्बर)	143.47	36.37

श्री लिंग रेड्डी : विवरण से पता चलता है कि धीरे धीरे गिरावट आ रही है और आयात और निर्यात में बड़ा अन्तर है। निर्यात की अपेक्षा आयात का मूल्य अधिक है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बिल्कुल यही कहा है। 1965-66 के आंकड़े केवल 7 मास की अवधि के लिये हैं। हमें आशा है कि अगले महीनों में हमारे निर्यात में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे 1961 में 194 करोड़ रुपये से घट कर हमारा आयात 1965-66 में 160 करोड़ रुपये रह गया है। इसका कारण यह है कि हमने समुदाय को चौकस कर दिया है कि यदि वह भारत तथा अन्य विकासशील देशों के प्रति अपनी नीति को उदार नहीं बनायेंगे तो हमारे लिये उनसे माल खरीदना बहुत कठिन होगा।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यूरोपीय संसद् द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें रियायतों का वायदा किया गया था और यदि हां, तो हमारे देश को क्या रियायतें दी गई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : 17 उत्पादों पर रियायतों के परिणाम स्वरूप इस देश की आय में 3.5 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है।

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि सामान्य रूप से हमारा निर्यात घटता जा रहा है, क्या हमारी सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार के कार्यक्षेत्र से बाहर उसके सदस्य देशों से द्विपक्षीय करार करने का निर्णय किया है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में निर्यात में कमी नहीं हुई है यद्यपि निर्यात इतना नहीं है कि जिस पर संतोष व्यक्त किया जा सके। इसलिये हम जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, द्विपक्षीय बातचीत करने के लिये प्रयत्न करते रहे हैं। जब भी बातचीत आरम्भ होती है वे कुछ कठिनाई पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कृषि संबंधी आर्थिक नीति अथवा अपनी मांस और मांस के उत्पाद संबंधी नीति अथवा अमरीका के संबंध में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है। सभी विकासशील देशों का यह दुर्भाग्य है कि यह समुदाय रुढ़िवादी बनता जा रहा है।

श्री बड़े : कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इन प्रतिनिधि मंडलों को यूरोपीय साझा बाजार को मनाने के लिये भेजने की बजाय हमें एक एशियाई साझा बाजार स्थापित करना चाहिये। क्या सरकार ने इसका प्रयत्न किया ?

श्री मनुभाई शाह : एशियाई साझा बाजार एक व्यावहारिक चीज नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि साझा बाजार के लिये भागीदारों में अर्थ-व्यवस्था का एक समान स्तर और किसी हद तक राजनीतिक सूझबूझ होना आवश्यक है। यूरोपीय साझा बाजार, अपनी सभी मिलती जुलती बातों और राजनीतिक ढांचे तथा यान्त्रिक अर्थ-व्यवस्था के होते हुये भी साझा बाजार को बनाये रखना कठिन हो रहा है।

अतः इसके लिये आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। जैसे विभिन्न देशों में पारस्परिक सहयोग, एशियाई देशों तथा विश्व के सभी विकासशील देशों के बीच व्यापार की वृद्धि, अन्तर-क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग, जिस पर हम इस मास की 22 तारीख को दिल्ली में होने वाले "इकाफ़े" सम्मेलन के तत्वावधान में खुलने वाले एशियाई विकास बैंक के उद्घाटन पर विचार करेंगे। प्रथम बार एशिया के देशों की इस उत्कृष्ठ आकांक्षा को देखते हुये कि वे पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्धों का विस्तार करना चाहते हैं, हमने 500 करोड़ रुपये की नकद पूँजी से एक बैंक बनाया है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : परम्परागत निर्यात के अतिरिक्त क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि यूरोपियन साझा मण्डी में किस प्रकार के निर्यात किये हुये माल की खपत हो सकती है?

श्री मनुभाई शाह : मैं पुरजोर यह बात कहना चाहता हूं कि भारत में बनाई हुई हर वस्तु को यूरोपियन साझा मण्डी में यूरोपियन शक्तियां खरीद सकती हैं और खपा सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से उनकी अनुदार व्यापारिक नीतियों के कारण इसमें बाधा पड़ती है और न उनका यह लक्ष्य होता है और न वह ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे कि विकासशील देश अपने माल की बिक्री बढ़ा सकें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि हम अपना माल बेचते हैं। अतः . .

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा मामला है।

श्री मनुभाई शाह : इसका सम्बन्ध प्रतियोगिता, प्रतिबन्ध तथा प्रशुल्क (टैरिफ़) सम्बन्धी रुकावटों से है।

Shri Bhagwat Jha Azad : In spite of replies to several supplementary questions, I find from the statement that while the exports have been less by rupees 7 crores during 1963-64 and 1964-65, the imports have gone up by rupees 28 crores. Does the honourable Minister regard this as a trivial matter? How does he hpropose to bridge the gap?

Shri Manubhai Shah : I gave figures for five years because figures for one year are of no use. This year also six months figures have been given. I have told that export worth rupees 267·34 crores will have been made bv them. Hence the figures do not indicate much. I have told about our broad approach. The European Common Market has placed so many restrictions, the quota restriction is there, the tariff barriers are there. Hence it cannot be said for certain that how much should be exported. The honourable lady member was saying that there are no difficulties and we might make efforts to sell our goods. But until we get facilities, how can we sell anything?

\+ **चाय वित्त समिति**

* 629. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चाय वित्त समिति की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया है ;

(ख) शेष सिफारिशों के सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इन सिफारिशों के बारे में चाय बोर्ड की राय मांगी गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-5807/66]**

(ग) जी, हां । 7 जनवरी, 1965 को हुई चाय बोर्ड की 44वीं बैठक में चाय वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या समिति ने निर्देश-पद के क्षेत्र के बाहर सम्बन्ध क्षेत्रों के लिये कोई शिफारिश की थी ? यदि हां, तो क्या उन सिफारिशों पर विचार किया गया था और क्या निर्णय किया गया है ?

श्री शफी कुरेशी : समिति की सब सिफ़ारिशों को सम्मिलित कर लिया गया है और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है । उसके अतिरिक्त हमें और किसी सिफ़ारिश की सूचना नहीं मिली है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या औद्योगिक आवास योजना की भांति रोपण श्रमिक आवास ोजना को जिसके लिये बोर्ड ने सिफ़ारिश की है, कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जी हां । कल ही मंत्रिमण्डल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि बागानों के मालिकों को श्रमिकों के लिये मकान बनाने पड़ेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से ज्ञात होता है कि कुछ ऐसी सिफ़ारिशों को सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है जिनका राज्य सरकारों से सम्बन्ध है और वे कार्यान्वित की जा रही हैं । क्या इन सिफ़ारिशों को स्वीकार करने के पूर्व राज्य सरकारों की राय ले ली गई थी ?

श्री शफी कुरेशी : चाय वित्त समिति सरकार के आदेशानुसार बनाई गई थी और इस से चाय उद्योग, वाणिज्य, बैंक संस्थाओं, तथा वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों, चाय बोर्ड, संसद, योजना आयोग तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि सम्बन्धित हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न है ।

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की आवाज़ कभी भी यहां तक सुनाई नहीं देती ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता कृपया श्री सुबोध हंसदा को दूसरा स्थान एलाट कर दें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : ऐसा प्रतीत होता है कि सभा की श्रुति-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है । मेरा विचार है कि उसकी जांच की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कराऊंगा परन्तु माननीय सदस्य को भी चाहिये कि थोड़ा ज़ोर से बोलें ।

श्री सुबोध हंसदा : मैं काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूं । यदि माननीय मंत्री नहीं सुन सके हैं तो मैं उसे दुहराये देता हूं । (**व्यवधान**) मैं भी उन्हें स्पष्ट नहीं सुन सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं ।

श्री सुबोध हंसदा : कुछ सिफारिशें जिन में राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल है, सिद्धान्त स्वीकार कर ली गई हैं और राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे इन्हें कार्यान्वित करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सिफ़ारिशों को स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकारों की राय ले ली गई थी अथवा नहीं ।

श्री शफी कुरेशी : म ने माननीय सदस्य को पहले ही बताया है कि राज्यों की सरकारों से परामर्श कर लिया गया था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जहां तक मेरे आसाम राज्य का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री प्र० चं० बरुआ: चाय वित्त समिति के अनुसार चौथी योजना काल में 1 अरब पौंड चाय के उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिये, 24,000 एकड़ प्रतिवर्ष की दर से विस्तार किया जाना अत्यधिक आवश्यक था । क्या यह तथ्य है कि पिछले चार वर्षों में 24,000 प्रतिवर्ष की दर के स्थान पर केवल 6,900 एकड़ का विस्तार किया गया है ? यदि हां, तो इतनी चिन्ताजनक कम वृद्धि तथा धीमी प्रगति का क्या कारण है ?

श्री मनुभाई शाह : वस्तुत: आंकड़े इस से भिन्न हैं । वास्तव में समस्या यह है कि चाय की पैदावार को वृद्धि के लिये न तो राज्य सरकारों से और न बागान अधिकारियों से भूमि मिल रही है । यह समस्या है कि इन क्षेत्रों में पहले मकानों का निर्माण किया जाय अथवा कृषि सम्बन्धी उत्पादन किया जाये अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये । जितने एकड़ भूमि की आवश्यकता है वह नहीं मिल रही है ।

Shri M. L. Dwivedi : Under "recommendation No 2" on page No. 2, it is mentioned that development allowance has been increased to 50 per cent but one will apply after two years of planning and the other after four years. Why this difference has been kept?

Shri Manubhai Shah : This is an ordinary matter since percenitage has gone up. The honourable Member might have seen that the honourable Minister has made certain concessions in the Finance Bill. When it was unanimously desired that this should not be done all atonce, it was agreed to to implement one after two years and the other after four years.

Shri Bhagwat Jha Azad : The statement clearly states that necessary orders have been issued in regard to certain recommendations while in regard to a few, the attention of the State Governments has been called. How an assessment been made of the succes.s achieved after orders were issued?

Shri Manubhai Shah : First, I would like to tell the honourable member that 80 percent of the recommendations relate to the Central Government and in regard to these I might assure him that they would be implemented. As to the 20 per cent recommendations for states, correspondence is being made with the Chief Ministers but I cannot assure that every state would implement it or not.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The honourable Minister has stated that housing arrangements are being made for plantation employees. How long will it take to implement this recommendation? Is there any proposal for advancing loans etc. to them to enable them to construct their own houses?

Shri Manubhai Shah : We are going to introduce a bill to amend the Plantation Labour Housing Act so that every planter would be asked to construct houses for the employees. The programme and the amount of money that will be granted for the purpose will be decided after the passing of the respective section.

श्री बासप्पा : क्या सरकार का इरादा है कि 4 अथवा 5 एकड़ के छोटे बागानों की भी सहायता की जाये ? यदि हां, तो उनकी सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : छोटे बागानों के लिये हम ने रियायतें दी हैं । प्रथम, बड़े बागानों की तुलना में छोटे बागानों पर बहुत थोड़ा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और किसी किसी को शुल्क से मुक्त भी कर दिया जाता है । दुसरे छोटे बागानो के लिये सहकारी चाय कारखानों की स्थापना की जाती है । मद्रास में पहले से ही 6 कारखाने कार्य कर रहे हैं और हमारे सदस्य उन में बड़ी रुचि रखते हैं । हमारा विचार है कि पंजाब में भी 2 या 3 कारखाने स्थापित किये जायें ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : बढ़िया चाय उत्पादन करने वाले बागबानों के विस्तार के लिये चाय वित्त समिति ने सिफ़ारिश की है । माननीय सदस्य ने कहा है कि गृह-निर्माण विभाग से भूमि के लिये होड़ लगी हुई है । परंतु जिस भूमि में चाय की उपज की जायेगी वह भिन्न है, बढ़िया चाय का उत्पादन करने वाले बागबानों का विस्तार करने के लिये भूमि प्राप्त करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : क्षेत्र तो एक ही हैं । मैं नहीं कह सकता कि कौन से क्षेत्र भिन्न हैं । आसाम में—आसाम से आने वाले मंत्री यहां उपस्थित हैं—और बंगाल में भी क्षेत्र भिन्न नहीं हैं । अतिरिक्त क्षेत्रों को प्राप्त करना कठिन हो रहा है । कुछ हज़ार एकड़ के लिये भी निजी पत्र लिखने पड़ते है । जितनी भूमि मिलेगी उसमें बागबानों के विस्तार को प्राथमिकता दी जायगी । मद्रास तथा मैसूर में, जहां वन वाले क्षेत्र मिले हैं, बागबानों का विस्तार किया गया है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

*630. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात में कमी करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से अपने उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन करने को कहा है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भी ऐसे ही आदेश दिये गये हैं कि वे सरकारी क्षेत्र ही नहीं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पुरा करने के लिये अपने उत्पादन तरीकों को बदलें ;

(ग) क्या इन कारखानों ने देश के भीतर वैकल्पिक वस्तुओं का पता लगाने के लिये कार्यवाही की है ; और

(घ) अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उत्पादन कार्यक्रमों को बदलने या उसमें विविधता लाने के लिये कोई भी निदेश जारी नहीं किये गये हैं तो भी देशी सामग्री का इस्तेमाल करके आयात में कमी करने की आवश्यकता, सहायक उद्योगों का विकास करने तथा वस्तु सूची में अत्यधिक कमी करने पर जोर दिया गया है ।

(ग) जी, हां कुछ में शुरुआत हो गई है ।

(घ) जहां तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का संबन्ध है उसमें 1.16 करोड़ की तथा एच०एम० टी० में 1.58 करोड़ रु० की बचत हुई है । अन्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह मानते हुये कि उत्पादन के प्रतिरुप को बदलने के लिये काफी अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्या सरकार ने उनको सुझाव दिया है कि वे इसके लिये कुछ अनुसंधान "सेलें" बनायें ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे बताया गया है कि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र में उपक्रम की, सहयोग देने वाले देश की अनुसंधान सेल के अतिरिक्त, अपनी अनुसंधान सेल भी होती है ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : कुछ दिनों पूर्व मैंने यहां एक प्रश्न का उत्तर दिया था । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी बैठक में अपने आप को 15 समितियों में विभाजित कर दिया है । वे समितियां विशेष रूप से आयात विकल्प के बारे में जांच कर रही हैं । उनकी रिपोर्ट 8 मार्च को आनी चाहिए थी । रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हम उन पर निर्णय अवश्य लेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों को अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य कर रहे प्रख्यात वैज्ञानिकों की सेवायें प्राप्त करने के लिये, क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री संजीवय्या : हम हमेशा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं । हम उनको सम्मेलनों में चर्चा के लिये आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार उनका उपयोग करते हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या आयात विकल्पों का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये अलग अलग वर्गीकरण किया जायेगा । यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से बात चीत की है ?

श्री संजीवय्या : जुलाई 1965 में हम ने सब सरकारी उपक्रमों के प्रधानों का सम्मेलन बुलाया था । जब हम आयात विकल्पों के बारे में विचार करते हैं तो सरकारी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्र के लिये अलग अलग आयात विकल्पों की बात नहीं सोचते परन्तु पूरे देश के हितों को सामने रख कर विचार करते हैं ।

+ गाडियों का देर से चलना

*631. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**
प्रं० चं० बरुआ **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में, विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे (मुख्यलाइन तथा ब्रांच लाइन) में, 1965 में गाड़ियों के देर से चलने के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उससे पहले वर्ष की तुलना में स्थिति कैसी रही ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) समय की पाबन्दी की दृष्टि से 1964 की तुलना में 1965 में सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के काम में कुल मिलाकर औसतन कुछ सुधार हुआ है ; इनमें पूर्वोत्तर रेलवे पर चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं । 1965 में समय की पाबन्दी का प्रतिशत बड़ी लाइन पर 87.1 और मीटर लाइन पर 90.9 था, जबकि 1964 में यह प्रतिशत क्रमशः 85.8 और 89.8 था ।

(ग) गाड़ियों के परिचालन में और सुधार के लिए प्रयास जारी हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : In which zones of the railways has the late running of trains not increased much and in which zone has it been the highest during 1965?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): Since it is a matter of the zone, there are a lot of figures. If permitted, I may lay them on the Table.

Mr. Speaker. : Let them be laid on the Table.

Dr. Ram Subhag Singh : I shall lay them on the Table.

Shri Vishwa Nath Pandey : As per honourable Minister is aware, the North Eastern Railway covers much of the areas in Uttar Pradesh and Bihar. Since it has been seen that the Kanpur Passenger train, Kanpur Express train and Oudh-Tirhut Mail which run in these areas do not arrive on time at most of the railway stations because many ticketless passengers travel on these trains and they frequently pull chains and delay them, what steps the railway authorities or government propose to take to put an end to this practice of the people and thus ensure punctual arrival of trains at railway stations?

Shri S. M. Banerjee : No ticketless traveller except myself boards a train at Kanpur.

Dr. Ram Subhag Singh : As Shri Pandey and Shri Banerjee are aware, that R.P.F. and the special checking squad are making efforts to check this practice. There has been considerable improvement in this side but, as you are aware, there have been recent incidents of setting on fire of trains and stopping them on the N.E. Railway and the N.F railway which adversely affect the punctual running of trains.

Shri M. L. Dwivedi : Though the honourable Minister has not stated in his reply, the travelling public complains that except express trains, all passenger trains run late. What steps are being taken to run the passenger trains punctually?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not so that all passenger trains run late. However, necessary action will be taken in the matter. The figures are there which show an improvement.

श्री प्र० चं० बरुआ : कल-पुर्जों की खराबी के कारण कितनी गाड़ियां देर से चलती हैं और कितनी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ?

डा० राम सुभग सिंह : गाड़ियों के देर से चलने के मुख्य कारण यह हैं । (एक) जैसा कि श्री पाण्डे ने कहा है, जंज़ीर खींच कर गाड़ी रोकना, (दो) विभिन्न क्षेत्रों में हुल्लड़बाज़ी । आजकल भी पश्चिम तथा पूर्व में आन्दोलनों के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ; (तीन) प्रतिरक्षा सम्बन्धी यातायात को प्राथमिकता दिया जाना । यह पिछले वर्ष अधिक था परन्तु अब कुछ सुधार है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Though there has been a decrease in the percentage of late running of trains on the North Eastern Railway, is it not a fact that taking all zones together, there has been an increase in the all-India percentage of late running of trains?

Dr. Ram Subhag Singh : There has been increase in the percentage because their speed has been increased and if these agitations had not taken place there would have been further increase in their speed?

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि गाड़ियों के और विशेषतय: ऐक्सप्रैस तथा मेल गाड़ियों के और खास के हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल के देर से चलने के कारण बीच के स्टेशनों पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह पुरानी कहानी है । कालका मेल की स्थिति अब बहुत परिवर्तित हो गई है । मुगलसराय तक वह बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित समय के बाद पहुंचती है । पहली अप्रैल से इस के साथ डीजल इंजन लगाया जायगा तथा इस के बाद कोई कठिनाई नहीं होगी । एक महीने में 22 दिन वह यहां ठीक समय पर पहुंचती है । जब कभी यह देर से पहुचंती है तब भी गत छ: अथवा आठ महीनों की तुलना में यह देर बहुत कम होती है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि कुछ बड़े स्टेशनों तथा जंक्शनों पर गाड़ियों के देर से पहुंचने की सूचना न तो सूचना-पटलों पर दर्ज की जाती है और न इस की घोषणा की जाती है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि एसी बात हुई तो हम इस का प्रबन्ध करेंगे ।

Shri Sheo Narain : Government have alleged that outside hooligan elements are responsible for inefficient and late running of the trains. May I know whether Government have given their attention to the rouge elements present in the department itself and whether they are not responsible for this mismanagement and late running of the trains, especially on meter gauge lines?

Dr. Ram Subhag Singh : The hon. Member belong to the meter gauge section and his friends are also working on that line.

Shri U. M. Trivedi : Will the hon. Minister be pleased to state that late running of trains has been eliminated and punctuality in their runnings has improved due to the fact that the running time between two stations which was fomerly 20 minutes has now been made 30 minutes by the railway authorities, because they are goonda elements, who always travel without tickets and stop the trains by pulling the chain. The T.T.Es. can not dare to ask their tickets. The railways, have, therefore, enhanced the running time between two stations and punctuality has been improved.

Dr. Ram Subhag Singh : I can not say any thing about it off hand, because I am not aware that the running time between two stations which was formerly 20 minutes has now been enhanced to 30 minutes. On the contrary we are trying to reduce the time.

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि गाड़ियों का और विशेषतया दक्षिण रेलवे की गाड़ियों का देर से चलने का कारण यह है कि उनके इंजन पुराने एवं खराब हैं और यदि हां तो उन्हें बदलने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

डा० राम सुभग सिंह : महोदय जैसा आप जानते है इंजनों को निर्धारित समय पर बदला जाता है । इंजन हमारे देश में ही बनाये जाते है तथा कुछ इंजन आयात किये हुये भी हैं । इन में से कुछ इंजन चलाये जा रहे है तथा कुछ इंजनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है । अतः हर जगह यथासमय नये इंजन उपलब्ध करना कुछ कठिन है ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

Question Hour Over.

कोयले के मूल्य का पुनरीक्षण

अ०सू०प्र० 11. श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्य ढांचे का पुनरीक्षण करने का है ;

(ख) क्या एक मूल्य पुनिरीक्षण समिति बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के कौन कौन सदस्य होंगे ;

(घ) क्या सरकार ने कोयला नियंत्रक और कोयला बोर्ड नामक संस्थाओं के विलय का सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) क्या इस उद्योग के विकास तथा इसके उत्पादों के वितरण का काम पुनर्गठित कोयला बोर्ड करेगा ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेंहदी) : (क) यह प्रश्न सब ध्वनितार्थ सहित कोयला मंत्रणा परिषद की अगली बैठक में सामने रखा जायगा और फिर इस पर कार्यवाही की जायगी ।

(ख) और (ग) : कोयला मुल्य पुनरीक्षा समिति 1957 द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर यह शीघ्र जांच करने के लिये कि मूल्य की पुनरीक्षा की जरूरत है या नहीं, एक तदर्थ शासकीय समूह नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) : कोयला नियंत्रक और कोयला बोर्ड की संस्थाओं के विलय का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से अनुमोदित हो गया है । पुनर्गठित एकक की स्थापना तथा उस के कार्य विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भूतलिंगम समिति में केवल राजकीय अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया था तथा इस का सब कार्मिक संघों ने कड़ा विरोध किया था । इस बात को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब एक ऐसी समिति का गठन करना चाहती है, जिस में कार्मिक संघों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ?

श्री सु० कु० डे : कोयले के मूल्य ढांचे में नये सिरे से विचार करने के लिये समिति नियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि उस में सरकारी हितों के अतिरिक्त गैर-सरकारी हितों का भी प्रतिनिधित्व शामिल हो ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विलय की जो योजना स्वीकार की गई है, उस के लागू जाने के परिणाम स्वरुप मुख्य मुख्य क्या सुधार करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

श्री सु० कु० डे : संक्षेप में इस का उद्देश्य यह है कि दो संस्थाओं को विलय के परिणाम-स्वरूप उनके कार्य संचालन व्यय में बचत होगी । इस का उद्देश्य यह भी है कि कोयला नियंत्रक का कार्यालय जो अब तक केवल विनियमों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य करता था, अब देश में कोयला खानों के विकास संबंधी कार्य भी किया करेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the reasons for which the question of revision of coal prices is being considered at present? What are the main features to be considered in this regard? May I know whether this question will be gone into by a Committee and if so the main features to be considered by the Committee and whether there is any proposal before them?

श्री सु० कु० डे : इस से संबान्धित दो समितियाँ है । एक छोटी समिति है जिस का मुख्य उद्देश्य 1957 में उस समिति द्वारा जिसने कि कोयले के मूल्य ढांचे पर समूचे रूप से विचार किया था, की गई सिफारिशों के अनुसार इस बात की शीघ्रता से जांच करना है कि क्या कोयले के मूल्य में कोई आन्तरिम वृद्धि अपेक्षित है अथवा नहीं । वर्ष 1957 में गठित समिति ने कुछ मौलिक सिद्धान्त निर्धारित किये थे जिन पर कोयले का मूल्य ढांचा निर्भर होना चाहिये। दूसरी समिति का उद्देश्य इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना है ।

Shri Yashpal Singh : Government very often say that we are surplus in coal. But there are certain areas where coal is not being sent. May I know whether Government have realised this difficulty and if so, whether they are taking some steps in coordination with the Ministry of Railways to ensure that wagons are made available whenever required and coal may be supplied in every part of the country?

श्री सु० कु० डे : कोयला उत्पादन की हमारी क्षमता आवश्यकता से अधिक है । कोयले को ढोने के लिये रेलवे ने पर्याप्त मात्रा में डिब्बे दिये हुये है । जब कभी कोई कठिनाई पेश आती है तो रेलवे मंत्रालय का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है तथा हमें उन का पूरा सहयोग प्राप्त है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि आसाम की कोयला खानों में न्यूनतम किस्म और उच्चतम भाव के सिद्धान्त का अभी तक पालन किया जा रहा है और क्या यह भी सच है कि अपर्याप्त मूल्य निर्धारित करने के कारण और पर्याप्त कोटे का आवंटन न करने के कारण एक कोयला खान को छोड़ कर आसाम की सब कोयला खानें बन्द होनेवाली है ?

श्री सु० कु० डे : यह सच है कि आसाम की खानों के बारे में कुछ कठिनायां हैं आवश्यक राहत देने के लिये इस प्रश्न का पूर्ण रुप से अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय श्रम मंत्री ने कहा था कि इन खान मालिकों ने यह निर्णय किया है कि बोनस केवल इस शर्त पर दिया जायेगा कि कोयले के मूल्य में वृद्धि की जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या खान मालिकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जायगा, जब वे श्रमिकों को बोनस देने का निर्णय करें ?

श्री सु० कु० डे : जहां तक मेरी जानकारी है कोयला खान मालिकों के प्रतिनिधियों ने कम से कम मेरे सामने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । चार अथवा पांच दिन पहले ही कोयला खान संघों के प्रतिनिधि मुझ से मिले थे । उन्होंने रोजी कोई मांग नहीं की है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : महोदय, मैं ने यह कभी नहीं कहा है कि उन्होंने यह शर्त लगाई थी कि जब तक मूल्य में वृद्धि नहीं की जायगी, वे बोनस नहीं देंगे । ऐसी कोई शर्त नहीं लगा गई थी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा था कि प्रस्तावित समिति में व्यापार के सदस्यों और संभवतः गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा । वह प्रश्न एक विशिष्ट प्रश्न था और उस में यह पूछा गया था कि क्या कार्मिक संघों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री सु० कु० डे : इस पर विचार किया जायगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the wages and dearness allowance of the colliery workers will also be increased as a result of increase in Coal prices? Will Government consider this question also?

श्री सु० कु० डे : मूल्य निर्धारित करते समय समिति श्रमिकों के वेतन के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कोयले की किमतों का राष्ट्रीय आधार पर अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोयले के मूल्यों में पहले वृद्धि की जायगी और तत्पश्चात समिति से कोयले के मूल्यों को निश्चित करने को कहा जायेगा अथवा पहले कोयले के मूल्यों के मौलिक ढांचे का निश्चित किया जायगा तथा तत्पश्चात उस के मूल्यों में वद्धि की जायगी ।

श्री सु० कु० डे : वर्ष 1957 में एक समिति द्वारा इस समूचे प्रश्न पर विचार किया गया था तथा उस की सिफारिशों के आधार पर पहले ही कोयले के मूल्यों का मौलिक ढांचा बनाया हुआ है । क्योंकि 9 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, इस लिये इस प्रश्न का पूर्ण रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे लाइन को देख-भाल करने वाला उपकरण

***626. श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे ने रेलवे लाइनों की कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा उनकी देख-भाल की व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या रेलवे ने इस देश में रेलवे लाइन की देख-भाल करने वाला उच्च कोटी का उपकरण तैयार करना शुरू कर दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइनों पर रेलपथ के स्तर को ऊंचा करना, अधिक गिट्टी बिछाने की व्यवस्था, पटरी-जोड़ों की झलाई, मैनुअल रेल-पथ अनुरक्षण की तकनिक में सुधार के साथ-साथ यांत्रिक अनुरक्षण को अपनाना जिसे भारतीय रेलों में अनेक स्थानों पर आज़माया जा रहा है, आदि, आदि ।

(ख) जी नहीं ।

एम्बेसेडर कारों का निर्माण

*632. **श्री रा० बरुआ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नई एम्बसेडर कारों का निर्माण उत्तरोत्तर घटिया किस्म का होने के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या इस कार और उसके पुर्जों के लिये न्यूनतम माप स्तर लागू करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या इन कारों के खरीदारों को निर्माण सम्बन्धी दोषों के कारण होने वाली हानि के लिए पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) सरकार को "न्यू एम्बसडर" कार की किस्म में लगातार गिरावट के बारे में कोई ऐसी सामान्य शिकायत नहीं मिली है, जिससे इन मामलों में जांच की जाये । अलग अलग शिकायतें जब कभी मिलती हैं तो उनकी जांच की जाती है और खराबियों को ठीक करने के लिए उन्हें निर्माताओं की जानकारी में लाया जाता है ।

(ख) हर एक मेक की कार मूल देश के संबंधित निर्माताओं के तकनीकी सहयोग से तैयार की जाती है, जो उस किस्म के स्टैंडर्ड के अनुरूप होती है । इसके अलावा सड़क पर चलाई जाने के लिये प्रत्येक कार की जांच के महत्व की ओर निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनको इसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं ।

(ग) देश में बनी कारों में यदि कोई निर्माण संबंधी खराबी पाई जाती है तो वह ठीक कर दी जाती है तथा जहां कही उपयुक्त होता है ग्वारंटी की अवधि में खराब पुर्जों को निर्माताओं द्वारा बिना अतिरिक्त कीमत लिए उन्हें बदल भी दिया जाता है ।

पांचवां इस्पात कारखाना

*633. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री पाराशर : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में भारत का पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने में क्या अग्रतर प्रगति हुई है; और

(ख) मामला इस समय किस स्थिति में है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : पांचवें इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में ब्रिटिश-अमेरिकन स्टील वर्क्स फार इंडिया कंसारशियम (बेसिक) की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौता

*634. **श्री विश्वनाथ राय :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच हाल में एक व्यापार करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री० मनुभाई शहा) : (क) और (ख) : भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के मध्य चालू व्यापार तथा भुगतान-करार, जिस पर 7-11-63 को हस्ताक्षर हुए थे, 1-1-64 से 31-12-68 तक वैध है । 26-2-66 को एक पत्र का आदान प्रदान हुआ जिसके द्वारा उपर्युक्त करार से संलग्न अनुसूचियों की वैधता कलैण्डर वर्ष 1966 तक बढ़ा दी गयी । 1966 में दोनों ओर से 50 करोड़ रुपये के माल के विनिमय की आशा है जो दोनों देशों के मध्य 1965 में हुए 36 करोड़ रुपये के व्यापार से 14 करोड़ रुपये अधिक होगा ।

(2) आयात की जाने वाली प्रमुख मदें, चेकोस्लावाकिया की सहायता से चलने वाली प्रायोजनाओं के लिये विविध प्रकार का कच्चा माल तथा संघटक, बेल्लित इस्पात उत्पाद, मशीनी औजार, पूंजीगत माल, अखबारी कागज तथा रसायन हैं । भारतीय निर्यातों में प्रमखतः विविध प्रकार का निर्मित तथा औद्योगिक माल जैसे इंजीनियरी उत्पाद, सिले हुए वस्त्र, रसायन, भेषज आदि के साथ-साथ परम्परागत मदें जैसे चाय, काफी, तम्बाकू, काली मिर्च, तेल रहित खली, लौह अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क तथा जूट का माल है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की शिकायतें

*635. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री बागड़ी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० रानेन सेन :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको रांची स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सीमित के कर्मचारियों की बढ़ती हुई शिकायतों की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके हाल ही के रांची के दौरे से स्थिति और बिगड़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यदि इस बारे में कोई कार्रवाई करने का विचार किया गया है, तो क्या ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) आपत्तियों की एक विज्ञप्ति प्राप्त हुई है ।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) उठाई गई बातों पर महानिदेशक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के टिप्पण मंगाए गए थे । मंत्रालय में इन पर जांच की गई है और कई बातें निपटा दी गई हैं । शेष बातों पर और जांच की जा रही है ।

कोयला अधीक्षक का कार्यालय, धनबाद

*637. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री 1 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला अधीक्षक, धनबाद के खिलाफ निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : केन्द्रीय गुप्त वार्ता ब्यूरो की रिपोर्ट कोयला नियंत्रक कलकत्ता को लदान निरीक्षक (लोडींग इंस्पेक्टर) के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेंज दी गई है। कोयला नियंत्रक के लादाननिरीक्षक (श्री ए० के० सामन्त) को कारण बदतलाने के लिए (शोकाज) नोटिस जारी किया है और उससे पूछा है कि उसके विपरीत आनुशासिक कार्यवाही क्यों न की जाय। स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है तथा कोल नियंत्रक कलकत्ता के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भिलाई और दुर्गापुर कारखानों में लोहा और इस्पात के स्टाक का जमा हो जाना

*638. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई और दुर्गापुर कारखानों में लोहे और इस्पात का बड़ा स्टाक जमा हो गया है और उसे रखने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में लोहे और इस्पात के स्टाक की स्थिति इस प्रकार है :

वस्तु	भिलाई (10-3-1966 को) (टन)	दुर्गापुर (12-3-1966 को) (टन)
कच्चा लोहा . . .	43,100	3,000
इस्पात पिण्ड . . .	76,730	1,19,300
तैयार माल	21,600	14,270
पाहयों की जोड़ियां . . .		200 (सं०)

दुर्गापुर में इस्पात पिण्डों को छोड़कर जोकि पर्याप्त संख्या में सोख गड्ढे न होने के कारण जमा हो गये है यह स्टाक असामान्य नहीं है। इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

समुद्र के पानी का नेवेली लिग्नाइट खानों में रिसना

*639. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

श्री कृ० चं० पंत :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ख्यातिप्राप्त रसायनज्ञ ने यह मत व्यक्त किया है कि मद्रास राज्य में नेवेली लिग्नाइट खानों में बंगाल की खाड़ी से समुद्र का पानी रिसता रहता है ;

(ख) क्या उस रसायनज्ञ ने इस बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, पानी का रिसना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी हां, इस विषय में समाचार पत्र में एक रिपोर्ट आई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी तक निगम द्वारा किये गये अन्वेषण (तथा एकत्र की गई सामग्री से) नेवेली से निकाले गये पानी में फ्लाराइड की मात्रा की अधिकता इंगित नहीं हुई है । इससे जहां तक देखा जा सकता है उत्पीड़ जलाशय (आरटीसन रिजरवायर) के समुद्र के जल से गंदा होने का कोई खतरा नहीं दीखता

Retrenchment of Bhilai Steel Plant Employees

***640. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Daji : Shri Dinen Bhattacharya :
Dr. L. M. Singhvi : Dr. Ranen Sen :
Shri S. M. Banerjee : Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bade : Shri Bagri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti : Shri Bakliwal :
Shri Yudhvir Singh : Shri K. N. Pande :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 13,000 employees of the Bhilai Steel Plant have been retrenched;

(b) whether it is also a fact that the Plant and Mine workers there had decided to go on strike on the 28th February to protest against this retrenchment; and

(c) if so, the reasons for the retrenchment?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in library See No. L.T. 5808/66.]**

गोआ में औद्योगिक विकास

***642. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्था ने हाल में गोआ की औद्योगिक विकास क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इन उपपत्तियों को ध्यान में रखते हुए गोआ का और अधिक औद्योगिक विकास करने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5809/66 ।]**

Price of Cloth

***643. Shri Ram Sewak Yadav : Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishan Pattnayak : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the price of cloth which is charged and which is even printed on the cloth is more than what is permissible under the rules after allowing a certain percentage over the ex-mill price of cloth.

(b) whether it is also a fact that the rule according to which the price of cut-piece cloth should be 6¼ per cent less than the ex-mill price is constantly being violated and no rebate is given on cut-piece cloth; and

(c) if so, whether any steps are being contemplated to prevent this charging of excessive price?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (c). The maximum ex-factory and retail prices for controlled varieties of cloth namely dhoties, sarees, long cloth, shirting and drill, have been specified by the Textile Commissioner and are stamped on the controlled varieties of cloth. Detailed calculations of the price stamped on each variety of controlled cloth are reported to, and scrutinised by, the Textile Commissioner. The Enforcement Branch of the Textile Commissioner's Organisation carries out checks to ensure that the price and other stampings made by the mills are in the prescribed manner. Stamping of prices in excess of those specified by the Textile Commissioner is a contravention of the Cotton Textiles Control Order. Out of thousands of inspections and checks that have been carried out only in a few cases slight errors in calculations of prices stamped on the cloth were noticed. There have been thus no contraventions in regard to stamping of specified prices.

Charging of prices in excess of those specified by the Textile Commissioner is a contravention of the Cotton Textiles Control Order. Considering the very large number of dealers all over the country, there have been only rare allegations regarding overcharging of price in respect of controlled varieties of cloth.

2. There is no price control on cut pieces of cloth below 2¼ yards in lengths, The prescribed maximum ex-factory price of cut pieces of cloth exceeding 2¼ yards but not exceeding 10 yards in length (technically known as 'seconds') is 10% less than the maximum ex-factory price of longer lengths of the cloth. There is no "rebate" on cut pieces of cloth.

इथोपिया में ऊनी कपड़ा मिल की स्थापना

*644. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपियन राष्ट्रजनों के सहयोग से मैसर्स डंकन ब्रदर्स एन्ड कम्पनी लिमिटेड को इथोपिया में एक ऊनी कपड़ा मिल स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या मैसर्स एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने उक्त कम्पनी के इक्विटी शेयरों में 5.25 लाख रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कम्पनी को वर्तमान वित्तीय स्थिति से विशेषत: अन्य विनियोजनों पर अर्जित लाभों को दृष्टि में रखते हुए, इथोपियन उपक्रम में और अधिक पूंजी लगाया जाना उचित ठहरता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने इथोपिया की प्रस्तावित कम्पनी में 5,25,000,00 रु० के शेयर विनियोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये कम्पनी विधि बोर्ड को प्रार्थना-पत्र दिया है । यह विनियोजन भारत से निर्यात किये जाने वाले संयंन्त्र, मशीनों तथा उपकरणों के रूप में होगा ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

बोकारो में चादरों का निर्माण

*645. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस की सरकार से प्रार्थना की है कि बोकारो में जस्ती चादरों की बजाय देसी एल्युमिनियम से एल्युमिनियम की चादरें बनाई जायें;

(ख) क्या इसी प्रकार की प्रार्थना गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों से भी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो रूस की सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की भारतीय इस्पात कम्पनियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से ।

(ग) सोवियत परामर्शदाताओं ने तकनीकी समिति को सुचित किया है कि सोवियत संघ में इस्पात पट्टी से एल्युमिनियम की चादरें बनाने की विधि का विकास नहीं हुआ है अतः वे बोकारे में इस्पात पट्टी से एल्यमिनियम की चादरें बनाने के लिए तकनीकी जानकारी और उपकरण देने में असमथ हैं । फिर भी उन्होंने कहा है कि यदि बोकारो स्टील एल्युमिनियम की चादरें बनाने के कारखाने का स्थापन रूपांकन और निर्माण कहीं दुसरी जगह से करवाना चाहें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

निजी क्षत्र में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपने प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम की प्रस्थापनाओं की परीक्षा कर रही है । उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अनाज की ढुलाई

*646. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने अमरीका से आने वाले अनाज की अधिक तथा शीघ्र ढुलाई के लिये अपनी व्यवस्था को मज़बूत किया है;

(ख) क्या सरकार ने अनाज की निकासी के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये प्रत्येक बन्दरगाह में एक समिति नियुक्त की है;

(ग) क्या अनाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे कोयले की ढुलाई पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई बन्दरगाह पर रेलवे, खाद्य और परिवहन मंत्रालयों तथा अन्य हितों के प्रतिनिधियों का एक विशेष अध्ययन दल बनाया गया है जो खाद्यान्नों की चढ़ाई-उतराई और उनकी ढुलाई की समस्या का अध्ययन करता है और उस पर नज़र रखता है । अन्य बन्दरगाहों पर, यद्यपि किसी स्थायी समिति का गठन नहीं किया गया है फिर भी, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के लेखे के खाद्यान्नों को पहले से ही तरजीही यातायात अनुसूची की मद 'ख' के अन्तर्गत ढुलाई का हक प्राप्त है । तरजीह के क्रम में इस मद का स्थान दूसरा है; पहला स्थान तात्कालिक किस्म के और सैनिक कार्रवाई से संबंधित फौजी यातायात को प्राप्त है ।

(घ) कोयले के यानान्तरण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

औद्योगिक क्षमता

*647. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इस अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) भारतीय उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता का सरकार द्वारा कोई विशद सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बेकार क्षमता का उपयोग करने के लिए उठाये गये मुख्य कदमों में से निम्नलिखित कदम ये हैं :

(1) कम परिमाण में उपलब्ध कच्चे माल अथवा उनके स्थान पर इस्तेमाल किये जा सकने योग्य माल का देश में ही यथासम्भव अधिकाधिक विकास करने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है ।

(2) विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन अपना निर्यात बढ़ाने तथा उद्योग के लिए अपेक्षित देश में उपलब्ध न होने वाले आवश्यक माल के आयात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

तम्बाकू का निर्यात

*648. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आज़ाद :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये उपाय सुझाने के हेतु उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के सचिव श्री एस० रंगानाथन की अध्यक्षता में बनाई गयी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या व्यापार बोर्ड ने इन पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसने किन किन सिफारिशों का अनुमोदन किया है ; और

(घ) बीड़ी के निर्यात में कैसे सुधार किया जायेगा तथा उसे कैसे नियंत्रित किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5

रुमानिया के साथ व्यापार समझौता

*649. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रुमानिया के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उस देश के साथ वर्तमान व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है और नये समझौते के अन्तर्गत कहां तक सुधार होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल में ही रुमानिया के साथ किये गये व्यापार करार के अन्तर्गत भारत उस देश को निर्मित वस्तुओं, इंजीनियरी की वस्तुओं तथा मशीनी औजारों के अलावा लौह अयस्क, सूती वस्त्रों, काफी, चाय, काली मिर्च, जूट के बोरे-बोरियां तथा अन्य परम्परागत मदों का निर्यात करता रहेगा । दूसरी ओर औद्योगिक कच्चे माल, रसायनों जैसे कास्टिक सोडा, सोडा एश, भेषजीय तथा रंजकीय मध्यवर्ती पदार्थों, मशीनी औजारों, क्रालर ट्रेक्टरों और तेल के बरमें तथा निकालने के साज-सामान सहित अन्य पुंजीगत माल के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों, स्नेहक तेलों ओर उर्वरकों में रुमानिया से भारत में होने वाला आयात काफी अधिक बढ़ जायेगा ।

(ग) करार में कुल 17.5 करोड़ रु० के द्वि-पक्षीय व्यापार, जो गत वर्ष के व्यापार-परिमाण से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, की व्यवस्था की गई है । व्यापार अधिशेष 1962 में 0.87 करोड़ रु० से बढ़कर 1964 में 1.6 करोड़ रु० तथा 1965 में 2.4 करोड़ रु० तक हो गया है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के बुद्धमा स्टेशन पर रेलगाडी की टक्कर

*650 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

[**श्री राम हरख यादव** :

श्री मरली मनोहर :]

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 मार्च, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे के बुद्धमा स्टेशन पर एक यात्री गाड़ी (415 अप) एक खड़ी हुई मालगाड़ी (460 डाउन) से टकरा गई और इसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये और बहुत से लोग घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) हताहत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ग) : टक्कर मिली-जूली गाड़ी नं० 415 अप और मालगाड़ी नं० 860 डाउन के बीच हुई ।

इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई । लेकिन 15 व्यक्तियों को चोटें पहूंची ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,500 रु० की क्षति का अनुमान है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग लगने की घटनायें

*651. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री किशन पटनायक :**

श्री क० ना० तिवारी : **श्री मधु लिमये :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार की राज्य सरकार को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हुई आग लगने की घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये मुकर्जी आयोग की नियुक्ति के बारे में सूचना नहीं दी थी;

(ख) क्या जिस अधिकारी के विरुद्ध आयोग ने कुछ बातें लिखीं थी वह अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में गया था तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर बिहार सरकार ने उसे वापस बुला लिया था ; और

(ग) क्या मुकर्जी आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) आग लगने की घटना की जांच करने के लिए श्री बी० मुखर्जी की नियुक्त के बारे में सूचना भारत के गजट में एक संकल्प तारीख 14 मई 1964 में प्रकाशित की गई थी, लेकिन बिहार सरकार को अलग से सूचित नहीं किया गया था ।

(ख) कारपोरेशन के सेक्रेटरी बिहार सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये थे जिन्हें उनकी कार्य की अवधि समाप्त हो जाने पर राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था ।

(ग) कारपोरेशन के चेयरमैन डा० नागराज राव के स्थान पर श्री टी० आर० गुप्त नियुक्त कर दिये गये हैं डायरेक्टर मेजर जनरल हबीबुल्ला खां को उनकी संविदा की अवधि की समाप्ति पर उन्हें हटा दिया गया है और श्री आर० टी० सिन्हा, सेक्रेटरी बिहार सरकार को प्रत्यावर्तित कर दिया गया हैं । निम्न स्तर पर एक अन्य अधिकारी बिहार को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, एक अधिकारी को चेतावनी दी गई है तथा सात सुरक्षा कर्मचारी जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, उनमें से 4 को बर्खास्त कर दिया गया है ।

दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी

*652. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास तथा परिवर्तनशील भारत को विशेषकर विकास योजनाओं तथा निर्यात क्षमता की ओर निर्देश करने वाले चित्र को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत में बने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये नई दिल्ली में एक स्थायी प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या निर्यात किये जाने वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये भारत के प्रमुख नगरों में "शोरूम" खोलने का विचार है ?

वाणिज्य **मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी स्थापित करने की योजना को 1962 में अन्तिम रुप दे दिया गया था परन्तु उसी वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रीय आपत्काल से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर देना पड़ा। अतः इसमें भाग लेने वालों को सलाह दी गयी थी कि वे अपनी योजनाओं को आगे न बढ़ाएं। फिर भी, अब यह तय किया गया है कि 22 मार्च, 1966 से नई दिल्ली में शुरू होने वाले एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक परिषद (इकाफे) के 22वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भारतीय निर्यात उत्पाद प्रदर्शनी आयोजित करके छोटे पैमाने पर शुरुआत कर दी जाय। विचार यह है कि यही प्रदर्शनी प्रस्तावित स्थायी प्रदर्शनी का केन्द्र बन जायेगी। आशा है कि भाग लेने वाले अन्य केन्द्रीय मंत्रालय विभाग, राज्य सरकारें आदि स्थायी प्रदर्शनी के लिये निर्धारित क्षेत्र-खाली होते ही, अपने पण्डालों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर देंगें। अभी प्रदर्शनी मैदान के इन भवनों में विभिन्न कार्यालय है।

(ख) जी, हां। विभिन्न निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों द्वारा सामूहिक रूप से संगठित एक निर्यात उत्पाद प्रदर्शन कक्ष कलकत्ता में चालू हो गया है। मद्रास में एक ऐसे ही प्रदर्शन कक्ष की स्थापना के लिये प्रबन्ध लगभग पूर्ण हो चुका है तथा आशा है कि वह प्रदर्शन कक्ष भी शीघ्र ही अपना कार्य आरम्भ कर देगा। बम्बई तथा बंगलोर में दो और प्रदर्शन कक्ष स्थापित करने की सम्भावना भी विचाराधीन है।

श्रीलंका को चलचित्रों का निर्यात

2378. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार हमारे देश में बनाई गई हिन्दी तथा तामिल फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा ऐसा किये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस मामले में श्रीलंका सरकार से बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में काजू फैक्टरियां

2379. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे काजुओं की कमी के परिणामस्वरूप केरल में क्विलोन में 26 काजू फैक्टरियां बन्द है ;

(ख) यदि हां, तो कच्चे काजुओं के संभरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर ने का विचार है ; और

(ग) इन फैक्टरियों के बन्द हो जाने से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शीट रबड का निर्माण

2380. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ बागान निगम ने शीट रबड़ तथा लेटेक्स बनाने के लिये दो कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) उन पर कुल कितनी लागत आएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक कारखाना बागान के कोट्टुमन वर्ग में लगाया जाएगा तथा दूसरा कारखाना कलादी वर्ग में ।

(ग) कोट्टुमन कारखाने के सितम्बर, 1966 में चालू हो जाने की आशा है और कलादी का कारखाना 1967 के बाद चालू होगा ।

(घ) 60 लाख रुपये ।

रेशम की साडियों का निर्यात

2381. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी प्रतिनिधि मंडल की, जिसने पिछले दिसम्बर में मैसूर का दौरा किया था, जापानी केमोनो हेंगटी के लिये मैसूर तथा काचीपुरम की रेशम की साड़ियों का पुनः नमूना तैयार करने में रुचि है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे काफी निर्यात हो सकेगा;

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने नई दिल्ली में सरकार से विस्तार में बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां तो, उनके प्रस्तावों के विवरण क्या थे और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ): दिसम्बर 1965 में तीन जापानी व्यापारियों ने, भारतीय दस्तकारियों का जापान को निर्यात तथा भारतीय वस्त्रों की डिजाइन को जापानी रुचि के अनुकूल बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये, बंगलौर तथा कुछ अन्य भारतीय स्थानों का दौरा किया । चार व्यक्तियों के एक अन्य जापानी प्रतिनिधिमण्डल ने भी, इसी उद्देश्य से फरवरी 1966 में भारत का दौरा किया ।

जापानी आगंतुकों में से एक से भारतीय वस्त्रों की डिजाइन को जापानी रुचि के अनुकूल बनाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मिले है और वे विचाराधीन है ।

भद्रा स्टेशन पर रेलवे फाटक

2382. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भद्रा रेलवे स्टेशन (गंगानगर जिला) के मालगोदाम को बढ़ाने के हेतु वहां के रेलवे फाटक को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर और कोई रेलवे फाटक नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक सुविधाजनक स्थान पर उस फाटक के बदले और फाटक बनाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय तहसील भद्रा स्टेशन के 'डी' श्रेणी के मवेशी समपार नं० 63–डी से है । यार्ड के ढाचे में परिवर्तन किये जाने के कारण उस समपार को बन्द कर देना पड़ा । राज्य सरकार ने उसकी जगह पहरेदार वाला एक 'सी' क्षेणी का समपार बनाने का अनुरोध किया था । चूंकि यह अनुरोध मान लेने पर समपार को ऊंचे दर्जे का बनाना होगा, इसलिये मई, 1965 में राज्य सरकार को लिखा गया था कि वह इसके निर्माण पर आने वाली लागत उठाने के लिए अपनी सहमति भेजे क्योंकि वर्तमान नियमों के अधीन यह लागत उसी को उठानी होगी । राज्य सरकार से इस दिशा में अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । राज्य सरकार द्वारा समपार के निर्माण की लागत उठाने को राज़ी हो जाने पर, रेलवे प्रस्तावित समपार के निर्माण का काम शुरू कर देगी ।

केरल में एल्युमिनियम उद्योग

2383. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में एक नया एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह उद्योग कहां स्थापित किया जायेगा और उस के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : केरल में 30,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक एल्युमिनियम प्रद्रावक तथा 15,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक एल्युमिनियम सीमित प्लांट गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये एक फर्म को अभिप्राय पत्र जारी किया गया है । प्रद्रावक की स्थापना, उसके लिये स्फोदिज का प्रबंध करने, तथा पुंजी की लागत आदि के विषय में विस्तृत प्रस्ताव की अभी पक्ष से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है । गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग के लिये चौथी योजना में इकट्ठी राशि का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है । प्रगति के आधार पर प्रत्येक योजना के लिये प्रावधान किया जायगा ।

वल्लूवंडी खादी और ग्राम उद्योग, पालघाट

2384. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के पालघाट जिले में वल्लूवंडी खादी और ग्राम उद्योगों में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति काम कर रहे है ; और

(ख) क्या सरकार ने खादी और ग्राम उद्योगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित व्यक्तियों को काफी संख्या में काम पर लगाने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) बाईस (28 फरवरी, 1966 को) ।

(ख) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग जो कि खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है । वह साधारणतः अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा नियमों का अनुसरण करता है ।

भटिन्डा के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

2385. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 फरवरी, 1966 को उत्तर रेलवे की मीटर लाइन पर भटिंडा के निकट एक यात्री गाड़ी का इंजन और दो डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे; और

(ग) जान और माल की यदि कोई हानि हुई है, तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : 14-2-1966 को जब सवारी गाड़ी नं० 2 बी आर एफ जैतो और कोटकपूरा स्टेशनों के बीच गुजर रही थी, तो उसका इंजन और तीन डिब्बों पटरी से उतर गये । जांच समिति की रिपोर्ट की छान-बीन की जा रही है ।

(ग) किसी को मृत्यु नहीं हुई ।

रेल सम्पत्ति को लगभग 7,350 रु० की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की मांगें

2386. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने 15 फरवरी, 1966 को बड़ौदा हाउस के सामने प्रदर्शन किया था और उत्तर रेलवे के जनलर मैनेजर को अपनी मांगों की सूची पेश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य मागें की गई है; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : नार्दर्न रेलवेमैन्स यूनियन ने 15-2-66 को 'मांग दिवस' मनाया और उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी ये मांगें शामिल थीं :—

(i) रेलवे बस्तियों में गल्ले की दूकानों की व्यवस्था की जाय ।

(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रभाव का पूर्ण रूप से निराकरण किया जाय ।

(iii) सूचकांक को संकलित करने के ढंग में परिवर्तन किया जाय ।

(iv) इमदादी अनाज की दुकानों को फिर से खोला जाय ।

(v) रेल कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन बोर्ड बनाया जाय ।

(vi) अनिर्णीत झगड़ों को तय करने के लिए अनिवार्य विवाचन की व्यवस्था की जाय ।

(vii) रेल कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू किया जाय ।

(viii) विभिन्न परियोजनाओं से अथवा डीज़ल और बिजली से रेल गाड़ियां चलाने के कारण फालतू होने वाले कर्मचारियों को खपाया जाय ।

(ix) नैमित्तिक मज़दूर प्रणाली को समाप्त किया जाय ।

(ग) अभ्यावेदन, अपील और वार्ता के जरिये शिकायतों को दूर करने के अधिकृत मार्ग उपलब्ध हैं । ऐसी स्थिति में यद्यपि जलूसों और प्रदर्शनों पर आम तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी ज्ञापन में जो मांगें की गयी हैं उन पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

2387. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा के नाहरकाटिया तथा दुलियाजान स्टेशनों के बीच चलने वाली एक मालगाड़ी के साथ 18 फरवरी, 1966 को प्रातःकाल दुर्घटना हो गई थी और इस सेक्शन पर कुछ समय के लिये यात्री गाड़ियों की सीधी यात्रा बन्द हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जन तथा धन की यदि कोई हानि हुई है तो क्या ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : 18-2-1966 को जब नं० 903 अप एक्सप्रस मालगाड़ी नरकटियागंज और दुलियाजान स्टेशनों के बीच से गुज़र रही थी, तो उसके नौ डिब्बे पटरी से उतर गये, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना-जाना रुक गया।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

रेल सम्पत्ति को लगभग 5,270 रु० की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने वालों की गिरफ्तारी

2388. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1966 को मुरादाबाद में सरकारी रेलवे पुलिस ने रेलवे की सम्पत्ति की चोरी करने वालों का एक कुख्यात गिरोह गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह गिरोह कहां कहां चोरी करता था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। सही स्थिति यह है कि मुरादाबाद स्टेशन के तीन रेलवे भारिक, मुरादाबाद यार्ड में खड़े एक डिब्बे से ताम्बे का 35 फुट छत का तार ले जाते हुए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गये थे । तलाशी लेने पर उनसे एक छैनी तथा $4\frac{1}{2}$ गज़ और 9 गज़ ताम्बे के तार बरामद हुए। सरकारी रेलवे पुलिस, मुरादाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379/426 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच कर रही है ।

कलकत्ता के निकट रेलगाडियों का रोका जाना

2389. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 फरवरी, 1966 को पूर्व रेलवे पर कलकत्ता से 25 किलो मीटर दूर श्योराफुली स्टेशन पर दो पदाधिकारियों के बीच झगड़े के कारण कई रेलगाड़ियों को घंटों रोक रखा गया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और रोकी गई रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 27-2-66 को 9.10 बजे जब तारकेश्वर-हवड़ा लोकल गाड़ी शेवड़ाफुली स्टेशन पर पहुंची तो इस गाड़ी से यात्रा करते हुए दो व्यक्तियों को चावल की तस्करी के अभियोग में गिरफतार कर लिया गया । बताया जाता है कि ये दोनों व्यक्ति पुलिस द्वारा पीटे गये । इससे प्लेटफार्म पर एकत्रित लोगों में हलचल मच गयी । उन्होंने नारे लगाये और हिंसात्मक रूप धारण कर लिया । भीड़ जल्दी ही बढ़ गयी और रेलवे लाइनों पर भी फल गयी, जिससे गाड़ियों का आना-जाना रुक गया और उन्हें क्षति पहुंची । इसके कारण 8 लोकल गाड़ियां, जिनमें एक यात्री गाड़ी भी थी, 13 से 206 मिनट तक रुकी रहीं ।

एस० डी० ओ०, श्रीरामपुर ने पुलिस की सहायता से स्थिति को काबू में कर लिया ।

Railway Line between Wardha and Nanded Stations

*2390. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the priority, if any, allotted in the Fourth Five Year Plan to the construction of a Railway line between Wardha and Nanded stations (Central Railway) in view of the strategic importance of Marathwada and Vidarbha; and

(b) if so, when the construction work is expected to start?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). With the present difficult ways and means position and the need for achieving maximum economy in expenditure in all spheres it is unlikely that this link not connected with any specific industrial/development scheme would be included in the 4th Plan frame. The 4th Plan new line proposals have not yet been finalised and no priority has been allotted for this line.

Scheduled Castes List

2391. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that (i) Burud, (ii) Bedar, (iii) Kaikadi and (iv) Khatik castes residing in Vidarbha area of Mahrashtra have been included in the Scheduled Castes list;

(b) whether these castes are un-touchables; and

(c) the reason for not including these castes in the Scheduled Tribes list?

The Deputy Minister in the department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) (i), (ii) and (iv) Yes.

As regards (iii), the position is under examination.

(c) The matter is under examination.

Booking Arrangements at Teegaon Station (Central Railway)

2392. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no booking arrangements for the issue of Railway tickets to passengers at the Teegaon Railway station on the Delhi-Nagpur Railway line; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने (एच० एम० टी०) की घड़ियां

2393. **श्री लखमू भवानी :**

श्री वाडिया :

श्रीमती श्याम कुमारी देवी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में बनी घड़ियों की देश में काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो जनता की मांग के अनुसार ये घड़ियां पर्याप्त मात्रा में मिलती रहें इस को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या टाइम पीस घड़ियों के निर्माण के सम्बन्ध में भी हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना किसी योजना पर विचार कर रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिन्दुस्तान मशीनी टूल्स लि० की कच्चा माल तथा पुर्जे आयात करने की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरी कर सकना सम्भव नहीं है । जब तक स्थिति में सुधार न हो जाय तब तक कम्पनी के लिए उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

ओलवक्कोड और शेरुवण्णूर में रेलवे का डिवीजन अस्पताल

2394. **श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलवक्कोड और शेरुवण्णूर में रेलवे के डिवीजन अस्पतालों का विस्तार करने के लिये सरकार ने कुछ राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ओलवक्कोड—जी हां ।

शरुवण्णूर—जी नहीं ।

(ख) ओलवक्कोड—4.75 लाख रुपये ।

शरुवण्णूर—कुछ नहीं ।

(ग) शेरुवण्णूर में 12-1-1961 से पुराने दवाखाने की जगह आठ आपातिक खाटों वाली (जिसमें प्रसूति खाटें भी शामिल हैं) एक नयी इमारत की व्यवस्था की गयी थी । कार्य-भार को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने या अतिरिक्त खाटों की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ओलवक्कोड का मण्डलीय अस्पताल यहां से केवल 30 मील दूर है ।

ओलवक्कोड के डिविजन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

2395. श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलवक्कोड डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) निर्धारित लक्ष्य में से कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है ; और

(ग) अभी कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जानी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम किसी वर्ष विशेष में उपलब्ध धन को देखते हुए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है ।

ओलवक्कोड डिवीजन के 206 स्टेशनों में से 138 स्टेशनों पर बिजली लगायी जा चुकी है, 2 पर बिजली जल्द लगायी जायेगी और बाकी 2 स्टेशनों पर 1966–67 में बिजली लगाने का विचार है । ज्योंही वाजिब दर पर बिजली उपलब्ध होगी, त्योंही बाकी 64 स्टेशनों पर भी बिजली लगाने के सवाल पर विचार किया जायेगा ।

ओलवक्कोड डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद

2396. श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में ओलवक्कोड डिवीजन में वर्ष 1964–65 और 1965–66 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद आरक्षित किये गये है; और

(ख) उक्त अवधि में कितने पदों पर नियुक्तियां की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

	1964–65	1965–66 (28-2-66 तक)
(क) अनुसूचित जाति . . .	42	120
अनुसूचित आदिम जाति . .	5	29
(ख) अनुसूचित जाति . . .	37	302
अनुसूचित आदिम जाति . .	1	1

कुटीर उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों का विकास

2398. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में कुटीर उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए पृथक पृथक कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) इस में से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) कुटीर उद्योगों के लिये नियत राशि के कम खर्च किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर यथासमय रख दी जायेगी ।

स्टार्च का उत्पादन

2399. **श्री मुत्तु गौंडर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात किये गये तथा देश में पैदा की गई मक्का में से (एक) औषध-निर्माण उद्योग, (दो) कपड़ा मिलों तथा (तीन) अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टार्च के उत्पादन के लिए कितनी कितनी मात्रा नियत की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सं वैय्या) : उद्योग के किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित मक्का का नियतन न करके सम्पूर्ण देश के विभिन्न कार्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जाता है ।

देश में इस समय दो प्रकार की मक्का पैदा की जाती है अर्थात् (क) संकर (हाइब्रिड) मक्का तथा (ख) आम देशी मक्का ।

स्टार्च बनाने के लिए संकर मक्का के प्रयोग पर कोई पाबन्दी नहीं है, अतः इस मक्का के लिए सरकार द्वारा कोई नियतन नहीं किया जाता है ।

वर्ष 1965 में स्टार्च बनाने के सभी उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुल 1,35,000 मी० टन आयातित मक्का का नियतन किया गया ।

वर्ष 1965 में स्टाक पूरी तरह खत्म हो जाने के कारण औषध उद्योग की जरूरी आवश्यकता पूरी करने के लिए स्टार्च बनाने के वास्ते संकर मक्का के अलावा लगभग 4,000 मी० टन अन्य मक्का का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी ।

रेडियो सेटों का निर्माण

2400. **श्री नारायण दांडेकर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में रेडियो सैटों के निर्माण की क्षमता का लक्ष्य नौ लाख तक बढ़ा दिया गया था जिसे 1966 के अन्त तक प्राप्त करना था;

(ख) यदि हां, तो उस समय विद्यमान कितने निर्माताओं ने प्राप्त लाइसेंस के अनुसार अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिये आवेदन पत्र दिया था, उन्होंने कितनी क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया था तथा उन्हें कितनी अधिक क्षमता मंजूर की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि रेडियो सैट बनाने के लिये 1964 के बाद कुछ नई कम्पनियों को भी लाइसेंस दिये गये हैं और यदि हां, तो कितनी कम्पनियों को तथा कुल कितनी क्षमता के लिये;

(घ) क्या इन में से किसी ऐसी नई कम्पनी को लगभग 40,000 सैट बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया था जिस की न तो कोई निर्माणकारी स्थापना थी और न ही जिसे कोई अनुभव था और जो अब जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के नये लाइसेंस देने के क्या कारण हैं जब कि वर्तमान कारखानों को पूरी क्षमता से चलाने के लिये पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की भारी कमी है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी नहीं। 9 लाख का लक्ष्य तीसरी योजना का लक्ष्य है जिसे योजना आयोग ने (1961–66) के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अनुसार स्वीकृत किया था।

(ख) विद्यमान 5 रेडियो निर्माताओं ने अपनी क्षमता के विस्तार के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं उनकी कुल लाइसेंस प्रदत्त क्षमता 1,99,000 है। इन पांच एककों ने कुल क्षमता बढ़ाकर 3,93,000 कर देने के लिए प्रार्थना की थी और उन्हें अपना विस्तार 1,41,000 कर देने की स्वीकृति दे दी गई थी।

(ग) तीन नए एककों को 1964 में कुल 85,000 रेडियो सैटों के निर्माण के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं। इनमें से 40,000 बिल्कुल नए एककों को तथा 40,000 उस एकक को जिसके लिए लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा प्रारम्भ में 10,000 क्षमता के लिए योजना स्वीकृत की गई थी तथा एक तीसरे वर्तमान निर्माता को जो अन्य चीजों जैसे सार्वजनिक ध्वनि विस्तार सामान तथा अन्य संबंधित वस्तुएं बना रहा था, 5,000 रेडियो सैटों के बनाने की स्वीकृति दी गई है।

(घ) और (ङ) : नए निर्माता को (40,000) पूर्ण रेडियो तथा रेडियो के पुर्जों के निर्माण के लिए जो लाइसेंस दिया गया है वह केवल उसके उपयोग के लिए ही नहीं है बल्कि इससे अन्य निर्माताओं की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जायेगा। इस पार्टी को पश्चिम जर्मनी के तकनीकी सहयोगी पूंजीगत माल के लिए अधिकतम 49 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी के रूप में विदेशी मुद्रा देंगे। गत तीन वर्षों में देश में पुर्जों के निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप प्रति रेडियो रिसीवर के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा में कमी हो गई है दरअसल विदेशी मुद्रा के नियतन में कमी होने के बावजूद रेडियो का निर्माण काफी बढ़ा है। 1963 में जहां संख्या 408,113 थी, 1964 में बढ़कर 470,524 तथा 1965 में 587,200 हो गई। आशा है कि नई योजना को अमल में लाये जाने के बाद से आयातित पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा में और भी बचत होगी।

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

2401. श्री हेम राज :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर के साथ रेलवे स्टेशनों पर किताबें बेचने के लिये किया गया करार किस तिथि तथा किस वर्ष में समाप्त होगा;

(ख) क्या इस कम्पनी को अलाट किये गये बुक स्टालों की संख्या कम करने तथा उन्हें किन्हीं भारतीय कम्पनियों को देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 31–12–1966.

(ख) और (ग) : लेकिन चालू करारनामों में यह व्यवस्था है कि यथावश्यक परिशोधित शर्तों पर इनके ठेके का 5 वर्ष तक आगे नवीकरण किया जा सकता है, बशर्ते नवीकरण

के समय ठेके की शर्तों का उल्लंघन न किया गया हो और रेल प्रशासन ठेकेदारों के काम को सन्तोषजनक समझते हों। इस समय मसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के पास जो स्टाल हैं, उनकी संख्या घटाने की संभावना के प्रश्न पर इस संविदा संबंधी दायिता की परिधि में ही विचार करना होगा। चूंकि रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दूकानों की व्यवस्था यात्रियों की उपयुक्त पाठ्य सामग्री देने के उद्देश्य से की गयी है, इसलिए यदि कई स्टेशनों पर किताबों की दूकानों का ठेका किसी एक फर्म के पास हो, तो उससे इस उद्देश्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी पूर्णतया एक भारतीय फर्म है जिसका प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में है।

रूरकेला में पाइप का कारखाना

2403. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में पाइप का कारखाना क्रयादेश न मिलने के कारण बन्द होने वाला है या बन्द हो चुका है ;

(ख) इस पाइप के मुख्य खरीदार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रूरकेला इस्पात परियोजना को क्रयादेश न दिये जाने के क्या कारण है;

(ग) पाइप कारखाने के बन्द हो जाने अथवा कम क्षमता से काम करने के कारण कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : राउरकेला का पाइप कारखाना पर्याप्त आर्डर न मिलने के कारण अगस्त 1965 से लकर काफी कम क्षमता पर काम कर रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने राउरकेला में बनाये जाने वाले पाइपों के लिए इतने आर्डर दिए जो कारखाना नियत समय में सप्लाई कर सकता था। इंडियन आयल कारपोरेशन ने जनवरी 1966 में मौरीग्राम-नौपाला पाइप लाइन के लिए 12 इंच बाहरी व्यास के 3000 टन पाइप के लिए आर्डर दिया है। राउरकेला के पाइपों का निर्यात करने की शक्यता का पता लगाने के लिए लगातार क्रियाशील प्रयत्न किये जा रहे ह। पाइप कारखाने को जुलाई से दिसम्बर 1965 तक कम क्षमता पर काम करने के कारण लगभग 8,00,000 रुपय की हानि हुई है।

भारतीय बोर्ड तथा लुग्दी बनाने वालों की ऐसोसिएशन

2404. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बोर्ड तथा लुग्दी बनाने वालों की एसोसियेशन, कलकत्ता से हाल में कोई अपील मिली थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई थीं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Handloom Industry

2405. Shrimati Savitri Nigam : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of special allocations demanded by various bodies and by State Governments for the modernisation of handloom industry in the country during 1965; and

(b) the number of new powerlooms set up during that year?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) No demand for special allocations has been received.

(b) 1278 powerlooms were set up in the handloom sector during 1965.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2406. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गैर-सरकारी उद्योगों की तुलना में भारतीय वैज्ञानिकों का लाभ कम उठाते हैं;

(ख) उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों तथा सरकार के बीच समुचित सहयोग बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अनुसन्धान और उद्योग के बीच सहयोग को बढाने के लिये कोई स्थायी निकाय बनाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है सरकार ने देश में उपलब्ध जानकारी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया था ।

(ख) वैज्ञानिकों, सरकार तथा उद्योग के बीच सहयोग का सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गये हैं :

(1) अन्तर्मंत्रालय समितियों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सदस्य होते हैं जो इन बातों पर विचार करती है :— (1) औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में प्रार्थनापत्र और (2) विदेशी सहयोग की शर्तों की मंजूरी के लए आवेदन पत्र । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन बनाई गई विभिन्न विकास परिषदों में भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के प्रतिनिधि उपयुक्त संख्या में होते हैं ।

(2) उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान और उद्योग के लिए एक संयुक्त स्थायी समिति बनाई गई है । यह समिति अनुसंधान और उद्योग के बीच संबंधों तथा देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी और अनुसंधान को इस्तेमाल करने की समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा करती है ।

(3) तकनीकी विकास के महानिदेशक के अधीन औद्योगिक अनुसंधान और उद्योग के साथ संबंध का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है ।

(4) इन दोनों निकायों के बीच अधिक घनिष्ठ और निरंतर सम्पर्क बनाये रखने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और तकनीकी विकास के महानिदेशालय की एक संयुक्त समिति भी बनाई गई है ।

(5) प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक तकनीकी जानकारी तथा संपर्क प्रकोष्ठ (सैल) होता है जिसको उद्योगों से संपर्क बनाये रखने, उनकी समस्याओं से अवगत कराने तथा प्रयोगशालाओं में चलाये गये अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने का विशिष्ट कार्य सौंपा गया है।

(ग) उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुसंधान तथा उद्योग और औद्योगिक अनुसंधान एवं उद्योग के साथ संबंध वाली विशेषज्ञ समिति संबंधी संयक्त स्थायी समिति स्थायी निकाय है।

औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल की अफ्रीकी देशों की यात्रा

2407. **श्री कोल्ला वेंकेया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिद्धांती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 26 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर–नवम्बर, 1965 में संयुक्त उपक्रमों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ पश्चिम अफ्रीकी देशों में गये औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने अपने प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन को इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सरकार के समक्ष उसके शीघ्र प्रस्तुत हो जाने की आशा है।

तम्बाकू के दाम

2408. **श्री कोल्ला बैंकया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् ने धूम्र शोधित वर्जिनिया तम्बाकू की विभिन्न किस्मों की 1966 की फसल के लिये न्यूनतम दाम बढ़ाने के प्रश्न पर अपने विस्तृत प्रस्ताव दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्मों की प्रस्तावित दरें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन के बारे में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूनतम मूल्यों को संशोधन कर के कम से कम 10 प्रतिशत तक बढ़ा देने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) मामले पर सरकार ने सावधानी से विचार किया और निश्चय किया कि इस समय मूल्यों में संशोधन न किया जाय।

देहरादून से दिल्ली के लिये सीधी गाड़ी

2409. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से देहरादून तक गजरौला और बिजनौर होते हुए एक सीधी गाड़ी चलाने के लिये कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किन मुख्य कठिनाइयों के कारण इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : गाजियाबाद-गजरौला खंड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी और गजरौला और मुअज्जमपुर नारायण स्टेशन पर इंजन पीछे ले जाने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परिचालन की दृष्टि से गजरौला और बिजनौर होकर दिल्ली और देहरादून के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना संभव नहीं पाया गया है।

Manufacture of Cars and Scooters

2410. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether any cut has been made in the foreign exchange for the factories manufacturing cars and scooters in the country which are dependent up to a certain percentage on the imported parts and machinery. If so, the extent to which it would affect their production;

(b) the number of factories which have been gradually reducing the percentage of imported parts and the percentage of such reduction they have made since their establishment;

(c) whether there are any factories which have in a short time either given up dependence on imported parts totally or to a great extent; and

(d) the action being taken by Government to see that the rest of the factories become self-sufficient soon?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) All the units manufacturing cars and scooters are dependent, to some extent, on imported parts and machinery. The cut in foreign exchange allocation made to them for 1965-66 is likely to affect their production to the extent of about 48% and 20% respectively.

(b) & (c). All the units manufacturing cars and scooters have progressively reduced the percentage of imported content of their vehicles. The present percentage of indigenous content in the case of cars varies from 75% to 90%, and that in the case of scooters from 78% to 87%.

(d) Every facility has been and is being afforded to the manufacturers to reduce the imported contents of their vehicles. Steps are also taken to see that more and more ancillary Industries are devoloped in the country with a view to reducing dependence on dependence on imported components.

Electrification of Delhi & Howrah Railway Line

2411. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made in the process of electrification of the Delhi-Howrah Railway line till December, 1965 and when the present phase is likely to be completed; and

(b) whether the work was handicapped in any way due to the present emergency?

The Deputy Minister in the Ministry Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). The work of electrification of the Railway line on the Howrah-Delhi route under execution at present covers only the section Howrah-Moghalsarai-Kanpur and the progress is as shown below:—

1. Howrah-Bandel . . .	In operation on 3000 volts DC system; conversion to 25 Kilo Volts AC system in progress and expected to be completed by March, 1967.
2. Bandel-Dankuni-Burdwan-Gaya-Moghalsarai.	In operation on 25 kV AC system.
3. Moghalsarai-Allahabad-(Subedarganj).	In operation on 25 kV AC system.
4. Allahabad (Subedarganj)-Kanpur.	Work in advanced stage of progress and expected to be commissioned by September, 1966, subject to power supply being made available by the U.P. State Electricity Board.

In addition, preliminary studies for extension of electrification beyond Kanpur upto Tundla have been completed. The detailed survey work and collection of field data, prior to issue of tenders for the work, is in progress.

2. The emergency has not affected the progress of electrification work to any serious extent, even though certain difficulties in the matter of obtaining scarce materials like copper, zinc etc. have been experienced.

Cut on Imports

2412. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Barooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shrimati Ramdulari Sinha :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of cut made in respect of the articles meant for use in industries or civil consumption because of the present emergency;

(b) whether the full benefit in respect of the foreign exchange earned by exporting goods from India goes to the exporter or whether the Government of India also gets a part of it and, if so, the ratio thereof and

(c) whether it is a fact that some of the Indian exporters have made over a part of the foreign exchange earned by them to the Government of India for importing defence equipment and, if so the amount thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) On account of difficult foreign exchange situation and need for larger imports for food, Fertilizers, and Defence, the allocations of foreign exchange for other purposes were reduced in 1965-66. It is, however, difficult to indicate the extent of cut made in respect of 'articles meant for use in industries or civil consumption' as this is a relative term which covers a very wide range of commodities, materials and components. The reduction in foreign exchange allocation varies from one category to another, depending on the priority of import for the national economy.

(b) and (c). The foreign exchange earned by exporters in India by exporting goods goes to the common pool of the Government of India. No individual exporter has a right to the foreign exchange released in respect of goods exported by him. However, in respect of those goods which fall under Export Promotion Schemes which cover about a fifth of our exports, assistance is given in the shape of import licences as per the stipulations in the schemes.

कपड़ा मिलें

2413. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) के अधीन सरकार की मेवाड़ कपड़ा मिल, भीलवाड़ा पर नियंत्रण की अवधि प्रथम पांच वर्ष की अवधि से और आगे बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा उचित जांच के बाद किया गया; और

(ग) क्या प्राधिकृत नियंत्रक ने विस्तार की एक योजना चालू की है जिस पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च होंगे और यदि हां, तो किस अधिकार के अन्तर्गत एसा किया गया तथा उस का औचित्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) नियंत्रण की अवधि 16-5-1965 से दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय मेवाड़ कपड़ा मिल में 14,156 तकुए हैं। इसकी क्षमता बढ़ा कर 25,000 तकुओं के लाभकर स्तर पर पहुंचाने तथा अत्यधिक पुरानी मशीनों को बदलने के लिए 50 लाख रु० लागत की एक योजना चालू की गई है। यह योजना प्राधिकृत नियन्त्रक ने अपने उन अधिकारों के अनुसार चालू की है जो कि निदेशकों के थे और जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम द्वारा उसे प्रदान किये गये ह।

वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे लाइनें

2414. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रमुख शहरों तथा नगरों में वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे लाइनें बिछाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे व्यवस्था के लिये कौन कौन से शहर तथा नगर चुने गये हैं; और

(ग) उन पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : देश के बड़े नगरों और कस्बों के इर्द-गिर्द सर्कुलर रेलें बनाने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं तैयार की गयी है। रेलों को आवश्यकता के अनुसार और अपनी भौतिक सीमाओं और वित्तीय साधनों के भीतर वर्तमान उपनगरी सेवाओं में सुधार और उनका विस्तार करना है और वे ऐसा करती रहेंगी।

घड़ियों का निर्माण

2415. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों के निर्माण के लिये कितने पुर्जों का आयात किया जा रहा है;

(ख) विदेशी मुद्रा के व्यय को बचाने के लिये सरकार द्वारा ऐसे पुर्जों को देश में ही बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस बारे में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : अवस्थानुसार स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पुर्जों का आयात निम्न प्रकार किया गया :—

वर्ष	आयात अंश
1963–64	46 प्रतिशत
1964–65	40 प्रतिशत
1965–66	28 प्रतिशत
1966–67	16 प्रतिशत
1967–68	16 प्रतिशत

इन पुर्जों का देश में निर्माण करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो सकेगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का निर्यात

2416. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंड तथा अफ्रीका जैसे देशों को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का निर्यात करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनके निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल को प्राप्त करने के लिये, जिसकी इस समय बड़ी कमी है, क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० की योजना उन सभी देशों को लगातार और दीर्घकाल के आधार पर घड़ियां निर्यात करने की है जहां इन घड़ियों की मांग है।

(ख) यह कंपनी निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन घड़ियों का निर्यात करके अपनी आयात हकदारी में से आवश्यक पुर्जे और कच्चे माल का आयात करने का प्रबंध करेगी। इस बीच सरकार एच० एम० टी० घडी कारखाने की आंशिक आयात आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने साधनों में से कुछ विदेशी मुद्रा दे रही है।

Export of Sandal Wood to Japan

2417. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Shinkre :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India has recently exported red sandal wood to Japan;

(b) the purpose for which this wood has been imported by Japan; and

(c) the value of such exports?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No. What India has exported recently to Japan is red sanders, known as *Pterocarpus Santalinus* which too is a kind of wood.

(b) It is understood that this item is imported by Japan for use in the manufacture of Japanese musical instruments "SAMISEN" and "KOTO".

(c) The total value of export of this commodity during the recent past has been as follows:—

1964-65	..
1965-66 (April-December)	Rs. 2.74 lakhs.

भारत में खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

2418. श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री उइके :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री पाराशर :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिजों का सर्वेक्षण करने के लिये भारत सरकार ने कौन कौन सी संस्थायें बना रखी हैं ;

(ख) ये संस्थायें मध्य प्रदेश में क्या क्या काम करती हैं और उन्हें पिछले तीन क्षेत्रीय मौसमों में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) अनुसंधान का काम किस आधार पर कार्यक्रम में शामिल किया जाता है ;

(घ) इन संस्थाओं ने गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसंधान कार्य पर कितना खर्च किया है ;

(ङ) क्या इन संस्थाओं तथा राज्य भूतत्व और खनन निदेशालयों के कार्यक्षेत्र का सीमांकन करना संभव है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत सरकार को कोई प्रस्ताव मिले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) खनिज निक्षेपों का अन्वेषण तथा सर्वेक्षण करने वाली मुख्य संस्था भारतीय भौमिकी विभाग है ।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में हाथ में लिये गये अन्वेषणों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5811/66]** ।

(ग) किसी क्षेत्र को खनिज अन्वेषण के लिये निम्नलिखित आधार पर चुना जाता है :—

(1) भौमिकी मानचित्रण तथा दुसरे आरम्भिक अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों द्वारा निर्दिष्ट खनिज के होने की सम्भावना ;

(2) विशिष्ट खनिज की आर्थिक दुष्टि से आवश्यकता तथा मूल्य ;

(3) अनुसंधान के लिये आवश्यक मानवशक्ति तथा उपकरण आदि की प्राप्यता ;

(4) केन्द्रीय सरकारी विभागों अथवा राज्य सरकारों अथवा उद्योगों की विशेष आवश्यकताएं ।

(घ) भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों के परिव्यय का लेखा अलग से नहीं रखा जाता । मार्च, 1965 के अंत तक भारतीय खान ब्युरोने जो कि 31-12-65 तक खनिज निक्षेपी क विस्तृत अन्वेषण की जिम्मेवार थी, इन राज्यों में निम्मलिखित परिव्यय किए :—

	रुपयें
आन्ध्र प्रदेश	1,850,752·56
पश्चिमी बंगाल	492,114·93
मद्रास	—
मध्य प्रदेश	5,251,614·57
उड़ीसा	513,383·31

(ङ) और (च) : भारतीय भौमिकी विभाग का अन्य कामों के अतिरिक्त मुख्य काम खनिज निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन से पूर्व पध्दति से भौमिकी मानचित्रण, खनिजयुक्त खण्डों का अन्वेषण आशा पूर्ण क्षेत्रों न अयस्क की श्रेणी तथा सीमा का निर्धारण, करना है । राज्य के भौमिकी विभागो का काम अभी तक खनिज पटटों का अनुदान, राजशुल्क इकटठा करना, खानों के आंकड़े रखना तथा छोटे खनिजों का विकास और अन्वेषण था । तथापि हाल ही नें कुछ राज्य सरकारों ने अपने विभागों को उपर्युक्त रुप से प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा उपकरण से सशक्त किया है । और कच्चे लोहे, स्फोदिज, चूना पत्थर डोलामाइट, फूलोराइड, चीनी मिटटी आदि के पूर्वेक्षण का काम हाथ में लिया है ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी में स्विच गियरों आदि का निर्माण

2419. श्री कोल्ला वैकेया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाने में बनाये गये (1) स्विच गियरों (2) कन्ट्रोल गियरों (3) ट्रैक्शन कन्ट्रोल गियरों (4) ट्रांसफार्मरों (5) कैपेसिटरों और (6) टैक्शन मोटरों की उत्पादन लागत क्या र ी ;

(ख) इन वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है ;

(ग) उत्पादन लागत अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उत्पादन लागत में कमी करने के लिये प्रबन्ध में सुधार करने, श्रमिकों की काम की दशा सुधारने और विदेशी तकनीशियनों की संख्या कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) : (क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० बिजली के साज-सामान की विभिन्न वस्तुएं जैसे स्टीम तथा जल टर्बाइनें, स्विचगियरों के अलावा हैवी रोटेटिंग प्लांटस, औद्योगिक और ट्रैक्शन कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर, केपेसिटर तथा ट्रैक्शन मोटर इत्यादि बना रहा है। जितना भी प्रशासनिक और बिक्री खर्च हुआ है वह इन सभी वस्तुओं पर हुआ है। जल-टर्बाइनों और रोटटिग प्लांटों का निर्माण अभी हाल ही में शरु किया गया है। स्टीम टर्बो सेटों का उत्पादन भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा। इसलिये स्विच-गियरों, औद्योगिक तथा ट्रैक्शन कंट्रोल गियरों, ट्रांसफार्मरों, कैपेसिटरों और टैक्शन मोटरों की अलग-अलग ठीक ठीक उत्पादन लागत निकाल सकना संभव नहीं है।

(ख) चूंकि इस साज सामान की प्रत्येक वस्तु ग्राहक के लिये दर्जी द्वारा सिले-सिलाये कपड़े के समान होती है, इसलिये प्रत्येक वर्ग के उत्पादन का कोई निर्धारित बिक्री मूल्य नहीं होता है। प्रत्येक उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य निम्न प्रकार है :–

उत्पादन	इकाई	औसत बिक्री मूल्य
स्विचगियर 11 के वी–बी वी पी 3 .	संख्या	14,586 रु०
स्विचगियर 33 के वी–एल० जी आई .	संख्या	30,723 रु०
औद्योगिक कंट्रोल–गियर . .	संख्या	2,587 रु०
टैक्शन कंट्रोल-गियर . . .	सेट	2,04,000 रु०
पावर ट्रांसफार्मर	मे०वा० अ०	20,593 रु०
कैपेसिटर	कि० वा० अ०	56 रु०
ट्रैक्शन मोटर	संख्या	61,800 रु०

(ग) इस प्रकार के उद्योग में पूरी क्षमता में उत्पादन का विकास करने के लिये लगभग दस वर्ष लगते हैं। जब तक प्रत्येक वस्तु का उत्पादन स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत तक नहीं होने लगता तब तक उत्पादन लागत अधिक आयेगी।

(घ) यह बराबर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और इसके अनुसार प्रयत्न किया जा रहा है। विदेशी तकनीकियों की संख्या हमेशा कम से कम रखी जाती है।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2420. श्री सुबोध हंसदा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान को निर्यात किये गये लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या इससे लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्यों के सम्बन्ध में जापानी खरीदारों से समय समय पर बातचीत की जाती है तथा ऐसा करते समय विश्व बाजार में विद्यमान अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल अपचार

2421. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री बाल अपचार विषयक गोष्ठी से संबंधित 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल अपचार विषयक गोष्ठी की सिफारिशें प्राप्त हो गई है जो 25 नवम्बर से 27 नवम्बर, 1965 तक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक सिफारिशें प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल, 1966 के अन्त तक ।

उत्तर प्रदेश की कोयले की मांग

2422. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1965–66 में अब तक विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कितनी मांग की है; और

(ख) इस अवधि में अब तक उस राज्य को कितना कोयला दिया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): राज्य सरकार के अनुमोदित उद्योगों, ईंट के भट्ठों तथा घरेलू उपभोक्ताओं की 1965–66 में विभिन्न श्रेणी के कोयले की मांग का अनुमान उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से लगभग 2.5 मि० मीटरी टन लगाया गया है। अप्रैल से दिसम्बर 1965 की अवधि में ही कुल प्रेषण 1,13,230 वैगन का था जो कि 2.5 मि० मी० टन के बराबर है ।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

2423. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **उद्योग** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उन पदाधिकारियों के दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिन्होंने कुछ औद्योगिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोरखपुर में रेलवे अस्पताल

2424. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) रेलवे अस्पताल में प्रति दिन औसतन कितने रोगी आते हैं; और

(ख) इस अस्पताल में कितने डाक्टर रखे गये हैं और कितने बिस्तारों की व्यवस्था की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फरवरी, 1965 से जनवरी, 1966 तक की अवधि में गोरखपुर के रेलवे अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में प्रति दिन औसतन 1110 रोगी आये।

(ख) उस अस्पताल में 25 डाक्टरों और 280 खाटों की व्यवस्था की गयी है।

पंजाब के लिये टीन और सीमेंट का अभ्यांश

2425. **श्री दलजीत सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने आपात काल के कारण टीन और सीमेंट के वर्तमान अभ्यंश में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार को अक्तूबर से दिसम्बर, 1965 की अवधि के लिये 1000 मी० टन सीमेंट का एक विशेष कोटा दिया गया था। राज्य सरकार की 30 मी० टन टीन की मांग पूरी नहीं की जा सकी।

उत्तर रेलवे के रोपड़ नंगल बांध सेक्शन पर ब्रम्हपुर में फ्लैग स्टेशन

2426. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोपड़-नंगल बांध पर नंगल बांध और भानुपाली के बीच ब्रह्मपुर में एक फ्लैग स्टेशन बनाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी व्यक्ति द्वारा जमानत की राशि जमा करा दी गई थी और आवश्यक कागजात भी छपवा लिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई निर्णय किये जाने में विलम्ब क्यों है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। 1956 में यह विचार हुआ था कि रोपड़-नांगल डैम खंड पर नांगल डैम और भनपली स्टेशनों के बीच ठेकेदार द्वारा परिचालित एक गाड़ी हाल्ट खोला जाय। लेकिन बाद में, चूंकि पंजाब सरकार इस हाल्ट के लिये अपने हिस्से का खर्च उठाने को राजी नहीं हुई इस लिए यह विचार छोड़ दिया गया।

(ख) जी हां।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातिओं का आयुक्त

2427. **श्री बलजीत सिंह :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने देश में राज्यवार कितने स्थानों का दौरा किया; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को होने वाली किन किन कठिनाइयों की ओर उन का ध्यान गया और उन को दूर करने के लिये उन्होंने क्या उपाय सुझाये ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) एक सूची, जिसमें उन स्थानों के नाम दिये गये है, जिनका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने निरीक्षण किया, सभापटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5812/66.]**

(ख) ये निरीक्षण अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट, जो संसद के सामने पेश की जाती है, तैयार करने के लिये किये जाते है । इन निरीक्षणों में उसने जिन समस्याओं का अध्ययन किया था, उनका निर्देश वह अपनी वर्ष 1965–66 की वार्षिक रिपोर्ट में कर देगा तथा सरकार के पास इस स्तर पर उनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

रूरकेला का उपोत्पाद कारखाना

2428. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के उपोत्पाद कारखाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस काम के लिये कुल कितनी रकम खर्च होने की संभावना है तथा मूल प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : एक मिलियन टन स्तर पर लगाया गया उपोत्पाद संयंत्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । अब इस्पात कारखाने का 1.8 मिलियन टन इस्पात पिण्ड क्षमता के लिए विस्तार कार्य के अन्तर्गत इसका भी विस्तार किया जा रहा है । जनवरी 1966 के अन्त तक 81 प्रतिशत के लगभग मिट्टी का काम, 94 प्रतिशत कंक्रीट का काम और 46 प्रतिशत उपकरण लगाने का काम पूरा हो चुका था । आशा है विस्तार कार्य इस साल के मध्य तक पूरा हो जाएगा ।

उपोत्पाद संयंत्र के विस्तार के लिए 34.439 मिलियन रुपये के मूल प्राक्कलन के मुकाबले में 37.526 मिलियन रुपये की रकम मंजूर की गई है । वर्तमान अनुमानों के अनुसार व्यय के मंजर की गई रकम से बढ़ने की संभावना नहीं है । मूल प्राक्कलन के ब्यौरे इस प्रकार है :–

	(मिलियन रुपये)
संयंत्र और उपकरण जिसमें फालतू पुर्जे सम्मिलित हैं	21.353
स्थापित करने, पर्यवेक्षण, इंजीनियरी, भाड़े, सीमाशुल्क आदि पर व्यय .	13.086

बढ़ोतरी मुख्यत: सीमाशुल्क और निर्माण की लागत के कारण है ।

Theft of Cloth from a Running Goods Train

2429. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bales of cloth worth nearly Rs. 20,000 were stolen from a running goods train between Kota and Alnia Railway stations (Western Railway) in November and December, 1965;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection; and

(c) the action being taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) and (c). Two outsiders were arrested in this case. One of them was released on bail on 28-12-1965 and the other sent to judicial lock up on 12-1-1966. The case is still under investigation.

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

2430. श्री विभूति मिश्र : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय छोटे पैमाने के उद्योगों को यह चेतावनी दी थी कि वे सरकार से अधिक धन की आशा न करें तथा वैकल्पिक साधनों की तलाश करें; और

(ख) यदि हां, तो किन वैकल्पिक साधनों का सुझाव दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : भूतपूर्व उद्योग मंत्री यह चाहते थे कि लोग सरकार की सहायता पर निर्भर न रहकर अधिक आत्मनिर्भर बन । वह लघु उद्योगों को धन संबंधी सहायता देने के बजाय मशीनों और तकनीकी पथप्रदर्शन के द्वारा उनकी सहायता करना अधिक अच्छा समझते थे ।

नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय के लिये स्थान

2431. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय के क्लर्कों के लिये जितने कार्यालय स्थान की व्यवस्था की गयी है, वह अपर्याप्त है ;

(ख) क्या उन को कोई उत्तम स्थान देने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) योजनाएं तैयार की जा रही हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का काम शीघ्र हाथ में लिया जायेगा ।

दिल्ली स्टेशन पर पुछताछ कार्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन

2432. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय में केवल तीन सार्वजनिक टेलीफोन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जनता की असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। लेकिन, इनके अतिरिक्त 12-3-1966 से टेलीफोन की दो और लाइनों की व्यवस्था की गयी है। इस तरह वहां अब टेलीफोन की कुल पांच लाइनें हैं।

जनता को और अधिक सुविधा के लिये पांचों टेलिफोन लाइनों को एक आम टेलीज़ोन नम्बर अर्थात 46906 दिया गया है।

दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर तोलने की मशीन

2433. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर तौलने की मशीनें बड़ी पुरानी हैं, खराब हैं और वे भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वज़न बताती हैं; और

(ख) यदि हां तो उनकी खराबी दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर तोलने की 35 मशीनें हैं। उनमें से कुछ पुरानी हैं, लेकिन सभी मशीनों को अच्छी चालू हालत में रखा जाता है। पुरानी मशीनों को उत्तरोत्तर बदला भी जा रहा है।

(ख) जब कभी मशीनों में खराबी पैदा हो जाती है तो कारखाना कर्मचारियों के एक संगठन द्वारा उनकी देखभाल और मरम्मत की जाती है।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

2434. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों के श्रमिकों की हड़ताल के कारण वर्ष 1965 में समूचे देश में कपड़ा मिलों को हुई हानि के बारे में सरकार का क्या अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने कपड़ा मिल श्रमिकों द्वारा बार-बार हड़ताल किये जाने के मुख्य कारणों का पता लगाया है ;

(ग) सारे देश में वर्ष 1965 में कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुईं; और

(घ) कपड़ा उद्योग ठीक तरह से कार्य करता रहे इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) औसत उत्पादन की दर के हिसाब से उत्पादन में हुई हानि 21.30 लाख कि० ग्रा० सूत अथवा लगभग 170.40 लाख मी० कपड़ा है। फिर भी ये काल्पनिक आंकड़े हैं क्योंकि वास्तविक उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है जिसका उचित निर्धारण, बन्द पड़ी मिलों के बारे में नहीं किया जा सकता।

(ख) कपड़ा उद्योग के श्रमिक सम्बन्ध राज्य सरकारों की परिधि में आते हैं। फिर भी कपड़ा आयुक्त को मिलों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों से यह देखा गया है कि प्रत्येक मामले में श्रमिकों की हड़तालों के कारण अलग अलग थे परन्तु मोटे तौर पर वे बोनस तथा अन्य मज़दूरी सम्बन्धी झगड़ों के बारे में थे।

(ग) 1965 की विभिन्न अवधियों के लिये 28 कपड़ा मिलें बन्द की गयी थीं जिनमें से 12 फिर से चालू कर दी गयीं।

(घ) (1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन उपयुक्त मामलों की जांच की जाती है और जांच सम्बन्धी प्रतिवेदनों के आधार पर प्राधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति करके बन्द मिलों को फिर से चालू करने के लिए जहां सम्भव हो, कार्यवाही की जाती है।

(2) उपयुक्त मामलों में मिलों को केन्द्रीय तथा/अथवा राज्य सरकार की गारंटियों के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता देने के लिये निर्णय किया गया है।

(3) सूत तथा कपड़े के स्टाक जमा होने के परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं।

(4) जहां पुरानी अलाभप्रद मिलें व्यर्थ घोषित की गयी हैं, वहां उन्हीं अथवा निकटवर्ती स्थानों में नयी मिलें स्थापित करने के लिये उचित पार्टियों को, जिन की सिफारिश सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा की गयी हो, लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

हथकरघा उद्योग

2435. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में देश के हथकरघा उद्योगों को केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : एक विवरण, जिसमें 1965–66 में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये राज्यों की योजनाओं के व्यय का आवंटन तथा केन्द्रीय सहायता दिखाई गयी है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5813/66।**] राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता का अंतिम आवंटन, राज्यों द्वारा 1965–66 में हथकरघा उद्योग पर व्यय की गयी वास्तविक राशि पर निर्भर करेगा। इनका पता मार्च 1966 के अंत तक चलेगा।

जूतों का निर्यात

2436. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में जूतों का उत्पादन कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जता उद्योग के उत्पादन से 1965-66 में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1965 तक हुए जूतों के निर्यात से उपार्जित की गई विदेशी मुद्रा के मूल्य का योग 2.60 करोड़ रु० है ।

अखबारी कागज का आयात

2437. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में कुल कितना अखबारी कागज आयात किया गया तथा देश में पैदा किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में अखबारी कागज के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वर्ष 1965-66 (नवम्बर 1965 तक) हुए अखबारी कागज के आयात का योग 53149 मी० टन है जब कि देश में अप्रैल 1965 से फरवरी 1966 तक हुए उसके उत्पादन का योग 27555 मी० टन है ।

(ख) वर्ष 1965-66 (नवम्बर 1965 तक) आयात किये गये अखबारी कागज का कुल मूल्य 384.51 लाख रु० रहा है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

2438. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में दक्षिण पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1505 ।

(ख) 196 अनुसूचित जातियों और 62 अनुसूचित जन जातियों के ।

नोट :-रेलवे द्वारा दिये गये ये आंकड़े केवल 9 महीनों के हैं ।

उद्योगों के लिये कच्चा लोहा

2439. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित कच्चे लोहे की वर्ष 1965–66 में अब तक राज्यवार कितनी मांग थी और कितना कच्चा लोहा उपलब्ध था; और

(ख) यदि उपलब्धि मांग से कम है तो इस को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : कच्चे लोहे की कुल मांग 2 मिलियन टन के लगभग है। राज्यवार मांग के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह मांग अधिक नज़र आती है क्योंकि $1\frac{1}{4}$ मिलियन टन के घरेलू उत्पादन से तथा लगभग 100,000 टन के आयात से यह देखा गया है कि उपलब्ध कच्चे लोहे के वितरण में कुछ कठिनाई हो रही थी। अतः 1965–66 अथवा 1966–67 में ढलाई कारखानों की कच्चे लोहे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई कठिनाई नज़र नहीं आती।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

2440. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

2441. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा 1965–66 में उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या और कितना सहायता दी गई; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन कटक के लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विस्तार केन्द्रों के ज़रिये उड़ीसा राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिये सभी सम्भव सहायता देता रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :—

1. आधुनिक और उपयुक्त तकनीकी कार्यविधियों के इस्तेमाल के बारे में तकनीकी सलाह देना;
2. आदर्श योजनाएं, डिजाइन, खाके तथा तकनीकी बुलेटिन तैयार करना;
3. आर्थिक अन्वेषण करना जिनमें विभिन्न लघु उद्योगों के सम्भावित विकास के सुझाव बताये गये हों ;
4. प्रबन्ध मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा उत्पादन प्रबन्ध, वित्तीय लेखा लागत नियंत्रण और बाजार व्यवस्था जैसे विषयों पर विशेष पाठ्यक्रम चलाना ;
5. विभिन्न तकनीकी व्यवसायों जैसे मशीन शाप प्रैक्टिस, टूल रूम प्रैक्टिस, फिटिंग, लुहारी, बढ़ईगीरी और मार्चे तथा औजार आदि बनाने के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना ;
6. जिन वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो सकता है उनके बारे में आर्थिक जानकारी देना ;
7. सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिये लघु एककों की सूची तैयार करना ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक तथा उसके विस्तार केन्द्रों द्वारा जो औद्योगिक विस्तार सेवा की जाती है निजी व्यक्तियों तथा सरकारी विभागों द्वारा काफी पूछताछ की जाती है जिसमें निम्न जानकारी शामिल है :—

1. कच्चे माल की उपलब्धि और उनका उपयुक्त इस्तेमाल ;
2. विभिन्न तकनीकी क्रियाविधियों पर छपी हुई योजनाएं और परियोजना रिपोर्ट सप्लाई करना; और
3. वर्कशापों और विस्तार केन्द्रों के जरिये मामूली दर पर उन क्रियाविधियों और कार्यों के लिये सामान्य सुविधा सेवा की व्यवस्था करना जो लघु एककों के वश के बाहर हों ।

राज्य सरकारों को मूलभूत जानकारी देना और लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं का पता लगाने में संस्थानों की वित्त व्यवस्था करके उनकी सहायता करना । संस्थान के प्रमुख कार्यों में निर्यात को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये सहायता देना उनमें से कुछ कार्य हैं ।

(ख) की गई सहायता का ब्योरा और किया गया कार्य नीचे दिया गया है :—

1. 1965-66 (24-2-66 तक) के दौरान की गई तकनीकी सहायता

1. सम्पर्क स्थापित की गई पार्टियों की संख्या जिनमें स्थान पर जाकर सलाह देने के लिये संस्थान के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे भी शामिल हैं	2781
2. उन पार्टियों की संख्या जिन्हें केवल तकनीकी सलाह दी गई. .	814
3. उन पार्टियों की संख्या जिन्हें नये उद्योग चलाने के लिये जानकारी दी गई	654
4. किये गये प्रदर्शनों की संख्या (चलती वर्कशापों के अलावा) .	57
5. पार्टियों की संख्या जिन्हें अन्य सहायता दी गई . . .	1347

2. चलती वर्कशापें (24-2-66 तक)

1. किये गये प्रदर्शनों की संख्या	55
2. प्रशिक्षित किये गये कारीगरों की संख्या . .	368

3. वर्कशापों के कार्य-कलाप

1. पार्टियों की संख्या जिन्हें ठेके के काम में वास्तविक सहायता दी गई 232

4. सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत सूची तयार करना (अक्तूबर, 1965 तक)

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान की सिफारिश पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास रजिस्टर्ड रकमों की संख्या 36

5. प्रशिक्षण (24-2-66 तक)

1. औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या . 74
2. अन्य तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या . . 20

6. प्रकाशन

1. तैयार की गई योजनाओं की संख्या . . . 2

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

2442. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उड़ीसा को राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कोई ऋण दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं जैसे उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन लघु एककों को ऋण देने, औद्योगिक सहकारी समितियों, सामान्य सेवा सुविधा केन्द्रों, वर्कशापों तथा उत्पादन केन्द्रों में इस्तेमाल करने के लिये इकट्ठा ऋण दिया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के लिये वर्तमान कार्यविधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त में पहली तीन तिमाहियों के वास्तविक खर्च के वार्षिक विवरण तथा चौथी तिमाही में अनुमानित खर्च के आधार पर मंजूर की जाती है। राज्य सरकारें अपना-अपना खर्च वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी मर्जी पर रखे गये 'अर्थोपाय अग्रिम राशि' में से पूरा करती है। 1965-66 में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये उड़ीसा की सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 16.60 लाख रु० का अस्थायी नियतन कर दिया गया है।

उड़ीसा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कोयले की मांग

2443. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य ने वर्ष 1965-66 में अब तक विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कितनी मांग की है; और

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 1965-66 वर्ष में उड़ीसा राज्य की प्रवर श्रेणियों और श्रेणी 1 कोयला तथा हार्ड कोक की आवश्यकता औसतन 416 वैगन

प्रति मास है। श्रेणी 2 एवं 3 के कोयले तथा साफ्ट कोक जो अनियंत्रित है तथा जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उत्पादकों से प्राप्त किए जाते हैं, के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) कोयले, साफ्ट कोक तथा वीं हाइव हार्ड कोक की मांग पूर्ण रूप से पूरी की गई है। हार्ड कोक के उप-पदार्थों की प्राप्यता सीमित है। राज्यों को 11 वैगन प्रतिमास का कोटा नियमित रूप से रखा गया परन्तु अतिरिक्त संग्रह प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त पूर्तियां की गईं।

रुपये में भुगतान की व्यवस्था

2444. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों में रुपये में भुगतान किये जाने की व्यवस्था स्वीकार्य है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : द्विपक्षीय व्यापार करार, जिनके अनुसार भारतीय रुपये में अदायगी हो सकती है, निम्नलिखित देशों के साथ किए गए हैं :-

1. बल्गारिया
2. चेकोस्लोवाकिया
3. हंगरी
4. पोलैण्ड
5. रुमानिया
6. सोवियत रूस
7. युगोस्लाविया
8. उत्तरी वियतनाम

फीरोजपुर रेलवे डिवीजन

2445. **श्री बसुमतारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पंजाब में फीरोजपुर डिवीजन में, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सारी सीमा क्षेत्र में जहां पिछले वर्ष सितम्बर महीने के संघर्ष में बहुत सरगर्मी रही है, सामान्य परिवहन फिर से आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : फ़िरोजपुर डिवीजन के विभिन्न खण्डों पर सवारी गाड़ियों का सामान्य यातायात, जो पाकिस्तान के साथ पिछले झगड़े के दौरान बन्द कर दिया गया था, नीचे लिखी तारीखों से फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन वल्टोहा और खेमकरन के बीच गाड़ियों का आना-जाना तथा 77 अप/78 डाउन अमृतसर-लाहौर एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाना अभी शुरू नहीं किया गया है।

खण्ड	जिस तारीख से सामान्य यातायत फिर से चालू किया गया।
1	2
जालन्धर शहर–होशियारपुर . . .	1–10–65
फिरोजपुर–फाजिल्का	2–10–65

1	2
अमृतसर–डेरा बाबा नानक	6–10–65
बटाला–कादियां	6–10–65
पठानकोट–माधोपुर पंजाब .	6–10–65
जालंधर–नवां शहर जैजों दोआबा	6–10–65
लुधियाना-लोहियां खास .	6–10–65
जालन्धर–नकोदर	6–10–65
अमृतसर–लुधियाना .	7–10–65
लुधियाना–जाखल–हिसार . .	7–10–65
भटिंडा–हिन्दूमलकोट . .	7–10–65
फिरोजपुर–भटिंडा . .	9–10–65
फिरोजपुर–जालन्धर शहर	9–10–65
फिरोजपुर–लुधियाना	9–10–65
अमृतसर–बटाला–पठानकोट	19–10–65
जालन्धर–मुकेरियां–पठानकोट . .	19–10–65
अमृतसर–खेमकरन (केवल वल्टोहा तक) . . .	1–10–65
अमृतसर–अटारी (सिवाय 77 अप/78 डाउन अमृतसर–लाहौर एक्सप्रेस जो अभी तक निलम्बित है)।	1–10–65

वल्टोहा और खेमकरन के बीच गाड़ियों का आना-जाना जल्दी शुरू किये जाने की सम्भावना है।

दबावसह पात्रों (प्रैशर वैसल) का निर्माण

2446. **श्री दे० द० पुरी : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दबावसह पात्रों की आवश्यकता और उनको बनाने की क्षमता का अनुमान लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख): रसायन, पेट्रोलियम, सम्बद्ध उद्योगों तथा इस्पात संयंत्रों के सेक्शनों के लिये प्रेशर वेसलों, कालमो और इसी प्रकार के औजारों की आवश्यकता का अनुमान इस कार्य के लिये बनाये गये कार्यकारी दल ने अनमान लगा लिया है। इस प्रकार के साज-सामान के अनुमानित मांग का निर्धारण लगभग 46,000 टन प्रति वर्ष किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2447. **डा० रानेन सेन : क्या लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपयुक्त क्वार्टर न मिलने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने में काम करने वाले कई हजार लोगों को आसपास के जिलों से प्रति दिन दामोदर नदी को तैर कर आना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Inspection of Exportable Goods

2448. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up organisations in five cities to inspect articles of export;

(b) if so, the outlines thereof and the names of those cities;

(c) whether any additional organisations are also proposed to be set up; and

(d) the name of the authority which will control them?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have established, with effect from 1st February, 1966 five Export Inspection Agencies for quality control and inspection of exportable commodities, as may be notified by the Government of India from time to time. These Agencies have been set up under section 7 of the Export (Quality Contol & Inspection) Act, 1963, and are located at Madras, Cochin, Bombay, Calcutta and Delhi. These agencies will cover States/Union territories shown against each:

Name of Agency	States/Union Terrttories
1. Export Inspection Agency, Cochin.	Kerala and Mysore.
2. Export Inspection Agency, Madras.	Andhra and Madras.
3. Export Inspection Agency, Calcutta.	Assam, Bihar, Manipur, Nagaland, NEFA, Orissa, Tripura and West Bengal.
4. Export Inspection Agency, Bombay.	Gujarat, Goa and Maharashtra.
5. Export Inspection Agency, Delhi.	Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh.

These Agencies have been established to supplement the work of other existing inspection agencies.

(c) No proposals for setting up additional Export Inspection Agencies are under consideration at present.

(d) These Export Inspection Agencies work under the administrative and technical control of the Export Inspection Council set up under section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

2449. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया और कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेश गये; और

(ख) 1965-66 में किन किन देशों के साथ व्यापार करार किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल---8
भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल---1

(ख) लंका, युगांडा, टेनजानियां तथा सूडान के साथ व्यापार करार/प्रबन्ध किए गए।

ट्रेन एग्जामिनर और फिटर

2450. श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम वेतन आयोग ने निम्नतम श्रेणी के ट्रेन एग्जामिनरों तथा फिटरों को एक ही वेतन-क्रम में रखा था;

(ख) निम्नतम श्रेणी के ट्रेन एग्जामिनरों को अतिकुशल कर्मचारियों के स्तर में कब लाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि फिटर ही वास्तव में गाड़ियों का परीक्षण करते हैं और खराबियों को ठीक करते हैं तथा ट्रेन एग्जामिनर गाड़ी ठीक होने की रिपोर्ट देते समय प्रमाणपत्र देते हैं; और

(घ) फिटरों को भी अति कुशल कर्मचारियों की श्रेणी में न रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1948 में।

(ग) केवल गाड़ी परीक्षकों को ही गाड़ियों की परीक्षा करने और इस बात को प्रमाणित करने का सामर्थ्य एवं अधिकार है कि गाड़ियां संचालन के योग्य हैं। फ़िटर तो केवल गाड़ी परीक्षकों के निदेश पर मरम्मत का काम करते हैं।

(घ) गाड़ी-परीक्षण दलों से सम्बद्ध फ़िटरों की ड्यूटी उच्च कुशल कोटि में नहीं आती।

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति

2451. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में रेलवे अधिकारियों को कितनी अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है;

(ख) कितने मामलों में पदाधिकारी इस निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहे हैं तथा कितने वर्षों तक और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या भविष्य में इस अवधि सीमा का पालन करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे बोर्ड में केवल सदस्यों/अपर सदस्यों के पद आवधिक पद हैं और इनकी पदावधि पांच वर्ष है। रेलवे बोर्ड में निदेशकों/संयुक्त निदेशकों के पद यद्यपि आवधिक पद नहीं हैं, फिर भी एक अधिकारी प्रत्येक पदपर चार वर्ष तक रहता है। प्रशासनिक हित में यह अवधि बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

(ख) रेलवे बोर्ड के सदस्यों/अपर सदस्यों में से एक, अर्थात् वर्तमान अध्यक्ष की अवधि 26-10-1964 के अपरान्ह को समाप्त हो गयी थी। लेकिन सार्वजनिक हित में उनका सेवा-काल बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उनकी पदावधि बढ़ा दी गयी है। एक निदेशक को आठ वर्ष से अधिक और अन्य दो को चार वर्ष से अधिक समय तक रखा गया है। तीन संयुक्त निदेशकों को चार वर्ष से अधिक और एक को पांच वर्ष से अधिक समय तक रखा गया है। इन सभी अधिकारियों को प्रशासनिक हित में रखा गया है।

(ग) अधिकारियों को सार्वजनिक या प्रशासनिक हित में सामान्य अवधि से अधिक समय तक रखने के मामलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

कारों का मूल्य

2452. **श्री सूर्य प्रसाद :**

श्री राम सेवक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ने छः महीनों के अन्दर (फरवरी, 1965 से सितम्बर, 1965 तक) फिएट कार का मूल्य लगभग 1500 रुपये बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख): 1-2-65 से 30-9-65 की अवधि में मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० को फियट कार का कारखाने से चलते समय का खुदरा बिक्री मूल्य 1,249 रु० तक बढ़ा देने की अनुमति दे दी गई थी मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने के कारण ये हैं : (i) सीमा/उत्पादन शुल्कों में वृद्धि (ii) आयातित पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि (iii) टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि तथा (iv) आयातित पुर्जों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले देशी पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि हो जाना है।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की नई दिल्ली में बैठक

2453. **श्री नारायण रेड्डी :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की दिल्ली में शीघ्र ही एक बैठक होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने अफ्रीको-एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है और कितने देश इस बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ग) इस सम्मेलन की कार्यसूची क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह सम्मेलन 22 मार्च से 4 अप्रैल, 1966 तक होगा। सम्मेलन में जिन देशों के भाग लिये जाने की सम्भावना है, उनकी एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०* 5814/66**] एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग, बंकाक (थाईलैंड) द्वारा निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। अभी तक केवल 27 देशों ने भाग लेने की सूचना भेजी है।

(ग) सम्मेलन की अस्थायी कार्यसूची की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

Electricity at Nirmali Railway Station

2454. **Shri Lahtan Chaudhry:**

Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Nirmali Railway station in Saharsa District of Bihar has not been electrified, whereas electricity has been provided to Nirmali Bazar since long;

(b) if so, whether Government propose to provide electricity at the station and if so, when;

(c) whether it is also a fact that a scheme to construct a passage for movement of luggage at the station has been pending since long; and

(d) if so, the arrangements being made to construct this passage and whether the Minister of State in the Ministry of Railways had given an assurance during his recent tour that this work would be completed by March ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Nirmali station was programmed for electrification during 1965-66. The estimate for service connection charges from the Bihar State Electricity Board has been received in February, 1966. After verification of the estimate, the electrification work is expected to be taken in hand.

(c) and (d). Presumably the Hon'ble member is referring to the construction of an approach road to the goods shed at Nirmali station. The work has already been taken in hand and is likely to be completed shortly.

दक्षिण मध्य रेलवे खंड

2455. **श्री कोल्ला वेंकेया** : क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद में दक्षिण-मध्य रेलवे खण्ड बनाने तथा कार्यालयों का निर्माण करने में और कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस रेल क्षेत्र के मुख्यालय के लिए कार्यालय और आवास के स्थान की व्यवस्था करने से सम्बन्धित काम हो रहा है और आशा है कि अगले 6 महीनों में इस केन्द्रीय संगठन के लिए अपेक्षित स्थान उपलब्ध हो जायेगा।

जैसा कि 5-3-1965 को बताया गया था, नया क्षेत्र बनाने के लिए कम से कम परिवर्तन करने हैं और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के वितरण सहित सभी आवश्यक ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

गोधरा, लुनावडा सेक्शन (पश्चिम रेलवे)

2456. **श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे के गोधरा-लुनावडा सेक्शन को समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलवे को संतरामपुर, बेसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ तक बढ़ाने की संभावना पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) सरकार की नीति यह है कि कोई और छोटी लाइन न बनायी जाय।

झांसी-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन

2457. **श्री पाराशर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक रेलवे लाइन द्वारा मध्य रेलवे के झांसी रेलवे स्टेशन को पश्चिम रेलवे से सवाई माधोपुर स्टेशन से मिलाने का है;

(ख) क्या सरकार का यह भी विचार है कि मध्य रेलवे के ग्वालियर स्टेशन को पश्चिम रेलवे के गुना स्टेशन से मिला दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर और मैसूर के बीच बिजली की गाड़ी

2458. श्री लिंग रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और मैसूर के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ी चलाने का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है; और

(ख) क्या राज्य सरकार इस कार्य के लिए बार बार अनुरोध कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के एकीकरण से पहले, 1947 में मैसूर सरकार ने बंगलूर-मैसूर खण्ड पर, बिजली गाड़ी चलाने के एक प्रस्ताव पर विचार करके उसे छोड़ दिया था। बाद में जांच करने पर यह पता चला है कि इस योजना का औचित्य नहीं है।

(ख) जी नहीं।

Bogie attached to Dehra Dun Express

2459. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Gauri Shankar Kakkar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that neither iron bars have been fixed to windows nor bolts have been provided for the doors of a third class bogie consisting of 40 seats for sitting and 32 reserved sleeping seats attached to Dehra Dun Express;

(b) whether it is also a fact that passengers throw their bedding through windows and doors, creating over crowding in the compartment and thus causing inconvenience to other passengers; and

(c) if so, the steps being taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Window bars and safety latches to doors are provided in one half of the coach, namely, the compartment with sleeping accommodation. These fittings are not provided in the other half with only sitting accommodation.

(b) Such complaints have been received.

(c) As far as the sitting compartment is concerned, it is ensured that there is no overcrowding at the starting station. En-route, however, there is at times, a rush. Normal ticket checking staff at stations are expected to take action to prevent overcrowding. Railways are being asked to intensify the checks in this respect.

Sheds at Reengus and Nagda Stations (Western Railway)

2460. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Gauri Shankar Kakkar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no sheds for passengers at Reengus and Abu Road Railway stations in Rajasthan and Nagda Railway station in Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that because of open space all around at these Railway stations, kites swoop down to snatch away etables from the hands of passengers there and thus every passenger is put to inconvenience and occasionally passengers are also wounded by their claws, and

(c) if so, when Government propose to provide these stations with sheds?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. Passenger sheds as detailed under are available at these stations:—

Reengus : 700 ft. long shed on island platform. A 136' long III class waiting hall.

Abu Road : 500 ft. long shed on main platform. Two waiting halls (82'-6" ×35'-8" and 60'×24'-8").

Nagda : 200 ft. long shed on Dn. platform. 100 ft. long shed on Dn. platform. 100 ft. long shed on Up platform. Waiting Hall 60'×20'.

(b) No such incident has come to notice.

(c) Does not arise, except that a 100' long shed on Ujjain side platform at Nagda is under consideration and that it is proposed to provide an island platform with a 400' long cover at Abu Road Station as part of yard remodelling work at this station.

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली

2461. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बादली औद्योगिक बस्ती में शेड मालिकों के साथ मूल करार के अन्तर्गत शैडों में विस्तार परिवर्तन नहीं किये जा सकते है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि वहां पर कार्यालय अथवा गोदाम की सुविधायें नहीं है जिसके कारण मालिकों को बड़ी कठिनाई और वित्तीय हानि हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कठिनाइयों को पूरा करने के लिए कुछ एककों ने अपने शेडों में अनधिकृत कार्यालय और/अथवा गोदाम बना लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन औद्योगिक एककों में मालिकों के लिये कार्यालय तथा गोदाम की सुविधा को व्यवस्था करने का अथवा मालिकों को इन्हें बनाने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : बादली औद्योगिक बस्ती के औद्योगिक शेडों के पट्टेदार दिल्ली प्रशासन की पूर्व लिखित स्वीकृति से उनमें वृद्धि/ हेर-फेर करवा सकते हैं। इस प्रकार की वृद्धि/हेर-फेर करने के बारे में अभी तक कोई भी आवेदन पत्र नहीं मिला है।

(ग) दिल्ली प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के बिना एक कारखाने ने कुछ वृद्धि की है। उसने की गई वृद्धि का नक्शा प्रस्तुत कर दिया है और इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय मांगी जा रही है कि इस वृद्धि के लिये स्वीकृति दी जा सकती है या नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय मिल जाने के बाद इस पर विचार किया जायगा कि क्या कुछ जुर्माने का भुगतान करने पर यह वृद्धि बनी रह सकती है या गिरवा दी जानी चाहिए।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली

2462. **श्री रामशेखर प्रताप सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली के औद्योगिक शेड्स् के मालिकों ने अपने शेडस् की जिनकी दीवारें जीर्ण हो गई हैं और छतों से बरसात में पानी चूने लगता है जिसके फलस्वरूप सामान तथा श्रम को काफी हानि पहुंचती है, मरम्मत के लिये दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस शेड्स की मरम्मत के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली

2463. **श्री रामशेखर प्रताप सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के नियमों के अधीन बादली औद्योगिक बस्ती दिल्ली के औद्योगिक शेड्स के मालिकों को इन शेड्स को आगे किराये पर देने अथवा उन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से बंधक रखने की अनुमति प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कुछ एककों ने अपने परिसर दूसरों को किराये पर दिये हुये हैं जिसके फलस्वरूप एक शेड में दो अलग-अलग एकक काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) बादली औद्योगिक शेडों के पट्टेदार दिल्ली प्रशासन की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना शेडों को किसी और को किराये पर नहीं दे सकते ।

(ख) एक एकक के बारे में बताया गया है कि उसने पट्टे पर दी गई भूमि के कुछ भाग को हाल ही में किसी और को किराये पर उठा दी है ।

(ग) एकक से जवाब तलब किया गया है । जवाब मिल जाने पर और आगे कार्रवाई की जायेगी ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

2464. **श्री लखमू भवानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) के केसलूर नामक स्थान पर निकट भविष्य में सीमेंट का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को जगदलपूर के निकट नागलसार, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक आशय-पत्र मंजूर किया गया है जिसकी स्थापित क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी । यह योजना अभी शुरू ही की गई है ।

Grants to Institutions Run by Kasturba Trust

2465. **Shri Rattan Lal** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government had in the last two years, made any grants to the institutions in different States run by Kasturba Trust; and

(b) If so, the names of institutions in Rajasthan which were given those grants, the amount of each grant and the details of the purpose for which the grant was given?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar) : (a) Yes, Sir. Grants to the units of the Kasturba Trust were sanctioned in all the States and Union Territories except Jammu & Kashmir, NEFA, Nagaland, Manipur, Tripura, Goa, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands.

(b) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-5815/66].**

Scheduled Tribes Development Blocks

2466. Shri Rattan Lal : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Tribes Development Blocks opened in the different States of the country during the Third Plan period and tne number of such Scheduled Tribes development blocks proposed to be opened during the first year of the Fourth Plan period, State-wise; and

(b) the total number of Scheduled Tribes Development Blocks that have so far been opened in Rajasthan, District-wise?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-5816/66]**

(b) The required information is given below:

Name of the District	No. of Blocks
1. Banswara	5
2. Udaipur	4
3. Dungarpur	4
4. Chittorgarh	1
TOTAL	14

साउथ अरकाट जिले में खनिज निक्षेप

2467. श्री मलाइछामी : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य के अरकाट जिले में जस्त और ताम्बे के निक्षेप होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्र के खनिज संसाधनों को देश के लाभार्थ निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां महोदय ।

(ख) 1958-63 के दौरान भारतीय भौमिकी विभाग ने दक्षिणी अरकाट जिले के मामुंदर क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान किये गए जिसमें तांबा, सिक्का और जस्ता के निक्षेपों का व्यधन शामिल है। अनुसंधान तथा व्यधन कार्य ने लगभग 760 मीटर लम्बे खनिज क्षेत्र का अस्तित्व सिद्ध किया है। संचय छोटे हैं और सरकारी क्षेत्र में हाथ में लेने के लिये पर्याप्त महत्व वाले नहीं। तथापि उनके विदोहन को उत्साह देने के लिये संचयों का विकास करने के प्रस्ताव इसमें रुचि लेने वाले पक्षों से मंगाये गये है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी है कि उन्हें कई गैर सरकारी पक्षोंसे जिनमें विदेशी

फर्में भी शामिल हैं, तकनीकी सलाह तथा सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ पक्षों के केन्द्रीय सरकार को अपनी रुचि का इंगित दिया है। इस विषय में जो आगे कार्रवाई करनी है उस पर परीक्षा की जा रही है।

Night Duty of Mechanical Staff of Northern Railway

2468. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mechanical staff of the Northern Railway has been put on night duty for three months regularly at one time at the Delhi Main Station,

(b) whether it is also a fact that previously night duty staff used to be put for one week only at a time,

(c) whether similar night duty staff has been put for such a long period as three months on any other Division, and

(d) if not, the reasons for putting staff for such a long night duty at Delhi Main Station?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, so far as Carriage & Wagon staff are concerned.

(b) Yes.

(c) and (d). It was found that weekly change of gangs was resulting in bad maintenance of rakes. The practice evolved at Howrah of allotting the same rakes to the same gangs for maintenance over a longer period had produced better results. Accordingly, the present system of changing gangs only after 3 months has been adopted at Delhi.

Tea Stalls at Lakhimpur Kheri Station

2469. Shri Gokaran Prasad :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one of the two Tea-Stalls at the Lakhimpur Kheri Railway station on the Lucknow-Bareilly line has been closed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether a complaint regarding this matter has been received by the Railway authorities and if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Two stalls worked by separate contractors have been provided at Lakhimpur Kheri station to sell tea, snacks and other edibles. When their contracts came up for renewal in October, 1964, the Railway made a review of the items permitted to each contractor for sale and permitted tea and biscuits to be sold from one stall only, while the other contractor was permitted to sell coffee and all items previously permitted to be sold by him except tea and biscuits.

(c) No.

Reservation Clerks at Lucknow Station

2470. Shri Gokaran Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Reservation Clerks at the Lucknow station of the Northern Railway in 1963.

(b) whether the number of passengers travelling by First Class in Uttar Pradesh has increased since 1963;

(c) if so, whether the number of Reservation Clerks also has been increased in the same proportion; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) on 1-4-1963—17.

on 1-8-1963—21.

on 21-12-1963—25.

(b) Railway statistics are not compiled State-wise. From the general trend of traffic, however, it can be stated that there has been increase of First Class travel in that area, but practically no increase at Lucknow station.

(c) and (d). Do not arise in so far as Lucknow is concerned.

Over Bridge at Panipat Station

2471. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no over-bridge at Panipat Railway Station on the Jind Branch Railway line as a result of which persons living in the Model Town are much inconvenienced;

(b) if so, whether any over-bridge is proposed to be constructed there, particularly in view of the fact that many deaths occur every year because the people have to cross through the standing trains in order to attend to work at Panipat Sugar Mills and Courts which are situated on the Western side of Panipat station; and

(c) if no bridge is to be constructed, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes. The existing foot over-bridge connecting main platform and island platform is proposed to be extended to serve the needs of the residents of Model town, on the other side of the station.

(c) Does not arise.

Train From Rohtak to Panipat

2472. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to run the train upto Panipat again, which was previously running from Rohtak to Panipat and is now running from Rohtak to Gohana only;

(b) if so, by what time; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

6—39 L. S./66

(c) There is no rail link at present between Gohana and Panipat. Rohtak-Gohana-Panipat rail link which was dismantled during 2nd World War, was partially restored in 1959 with re-opening of Rohtak-Gohana section. The volume of traffic by rail in the area is not such as to justify re-establishment of Gohana-Panipat rail link.

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय

2473. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **संभरण और तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 फरवरी, 1966 को सभा पटल पर रखा गया पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन को सरकार ने पूर्ण रूप से मान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सम्भरण तथा तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) और (ख) : प्रतिवेदन अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

सीमेंट पर से नियंत्रण का हटाया जाना

2474. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री लखमू भवानी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि पहली जनवरी, 1966 से सीमेंट पर से नियंत्रण का हटाया जाना सीमेंट के मूल्य तथा वितरण के सम्बन्ध में कितना सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने की योजना कैसी चल रही है इसे सरकार देख रही है और चूंकि अभी केवल दो महीने बीते है इसलिये इस संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

लीपजिग वसंत मेला

2475. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी मार्च में होने वाले लीपजिग वसंत मेले में भाग लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रदर्शित की जाने वाली भारतीय वस्तुओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां । लीपजिग वसंत मेला, 1966 में भारत द्वारा भाग लिये जाने का आयोजन मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद्, बम्बई ने किया है ।

(ख) लीपजिग मेले के भारतीय मंडप में भारत द्वारा निर्यात हो सकने वाली विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जिन में मुख्य ये हैं : इंजीनियरी की वस्तुएं, बिजली की फिटिंग्स तथा सहायक सामान, रसायन, दवाएं तथा भषज, अंगराग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक की वस्तुएं, खेल-कूद का सामान चमड़े का सामान, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, चाय, काफी, मसाले, सिगरेटें, कायर तथा जूट का माल, पुस्तकें तथा प्रकाशन, दस्तकारियां आदि ।

पुस्तकों का आयात

2476. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुस्तक-विक्रेताओं ने पुस्तकों के आयात सम्बन्धी नियमों को युक्ति-संगत बनाने के लिये सरकार को एक ज्ञापन-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो पुस्तक-विक्रेताओं की यथार्थ मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगें ये हैं :—

(1) 1965-66 के लिये पुस्तकों के अनुपूरक लाइसेन्स शीघ्र ही जारी किये जाने चाहिएं।

(2) पुस्तकों के वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस, यदि जारी किये जायें, तो वे पुराने आयातकों के माध्यम से दिये जाने चाहिएं।

(3) 1966-67 के लिये पुस्तकों के आयात लाइसेन्स अप्रैल 1966 के प्रारम्भ में उदार रूप से जारी किये जाने चाहिएं और साथ ही 1966-67 के अनुपूरक लाइसेन्स भी जारी किये जाने चाहिएं।

(ग) नीति का पुनरीक्षण किया गया है और 50 लाख रु० की विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त आवंटन किया गया है जिसमें से 15 लाख रु० विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, तकनीकी तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिये आवश्यक पुस्तकों के आयात के लिये अलग रखे गये हैं। 35 लाख रु० की शेष रकम का उपयोग पुराने आयातकों द्वारा मानक तकनीकी पुस्तकों, स्वीकृत पत्र-पत्रिकाओं, जिन के लिये अनुपूरक लाइसेन्स जारी किये जा रहे हैं, के आयात के लिये किया जायगा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एअर इंडिया की सब उडाने मंसूख किये जाने का समाचार

श्री प्र० चं० बरुआ (कूचबिहार) : मैं परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय की ओर दिलाता हूं और उससे अनुरोध करता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दें :—

"इंडियन फ्लाइट नेवीगेटर्स गिल्ड द्वारा दी गई हड़ताल की सूचना के कारण एयर इंडिया की सब उड़ाने मंसूख किये जाने के समाचार"।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीवैया) : मुझे जानकारी एकत्र करने के लिये कुछ समय दिया जाये। मध्यान्ह पश्चात् 4 बजे का समय ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे 4 बजे लिया जायेगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Maurya : Sir, the Hindustan Times has published a very wrong report of yesterday's proceedings of this House. I had said that the answers given by hon. Ministers were incomplete and truth was concealed. This was the one reason for a large number of supplementaries being put. The second thing is that the important questions are listed very low in the list of questions by the dealing machinery. The third is that certain people get money for preparing question for the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha.

[Shri Maurya]

Sir, I was speaking in Hindi and I think the English news-Reporters have not understood me rightly and have reported wrongly.

Mr. Speaker : He had said in speech that there is a machinery which gets money from Members. I would enquire from the Hindustan Times about this and would consider its reply. But you will have to sustantiate the charge that important questions are listed low. It is a reflection on my office. I would like you to write to me in this regard giving proof.

Shri Maurya : I sent thirty questions and all were rejected.

Mr. Speaker : Bring them to me.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : श्रीमान्, श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कराया गोंद का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965 जो दिनांक 28 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 358 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कृमिनाशी पदार्थों का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965 जो दिनांक 7 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 431 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) कार्बनिक रसायन पदार्थों का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1966 जो दिनांक 9 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 481 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रोगनों तथा समवर्गी उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1966 जो दिनांक 9 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 484 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) रबड़हौज़ों का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1966 जो दिनांक 14 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 497 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5804/66]

नारियल जटा बोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियम के क्रिया-कलापों के बारे में छमाही प्रतिवेदन

श्री शफी कुरेशी : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रिया-कलापों तथा उक्त अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5805/66]**

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम 1966 की एक प्रति जो दिनांक 26

फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 285 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5806/66]**

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझुनु) : मैं विनियोग लेखे (सिविल) 1963-64 में उल्लिखित स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अतिरिक्त व्यय के बारे में लोक-लेखा समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सोलहवें से बीसवें तक प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, के बारे में 16 वां प्रतिवेदन।

(दो) त्रावनकोर-कोचिन कैमिकल्स लिमिटेड, उद्योगमण्डल के बारे में 17 वां प्रतिवेदन।

(तीन) प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड, कोट्टयम, के बारे में 18 वां प्रतिवेदन।

(चार) त्रिवेन्द्रम रबड़ वर्क्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, के बारे में 19 वां प्रतिवेदन; और

(पांच) केरल सीरामिक्स लिमिटेड, कुण्डरा, के बारे में 20 वां प्रतिवेदन।

पंजाबी सुबे की मांग संबंधी संसदीय समिती का प्रतिवेदन

REPORT OF PARLIAMENTARY COMMITTEE ON DEMAND FOR PUNJABI SUBA

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं पंजाबी सूबे की मांग संबंधी संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 21 मार्च, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अविशिष्ट मद पर विचार।

(2) वर्ष 1966-67 के केरल बजट पर चर्चा।

(3) निम्न अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान—

वर्ष 1966-67 के लिये केरल की अनुदानों की मांगें।

वर्ष 1965-66 के लिये केरल की अनुदानों की अनुपूरक मांगे।

(4) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान—

वाणिज्य
विधि
सूचना तथा प्रसारण
रक्षा

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदन उन मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा से कम से कम पांच दिन पहले सभा पटल पर रख दिये जाने चाहियें। संसद-कार्य मंत्रालय की मांगों पर भी यहां पर चर्चा होनी चाहिये। मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था कि सभा के नेता को आगामी सप्ताह के सरकारी कार्य की घोषणा नहीं करनी चाहिये। इस पर विख्यात वकीलों ने विचार करना था।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का काम है कि किस को यह काम सौंपा जाये।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाबी सूबे सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति गृह-कार्य मंत्री को भेज दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह नियम 278 के अन्तर्गत भेज दी गई है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I have given many notices, but no discussion has been allowed so. I want that some way should be found out for holding these discussions.

Mr. Speaker : I have no objection in allowing half an hour, provided the opposition agree that this zero hour will not be taken.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या पंजाबी सूबे सम्बन्धी रिपोर्ट पर चर्चा होगी? मैनेजिंग एजेंसी पद्धति को जारी रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये मनें एक सूचना दी थी। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री हि० ना० मुकर्जी : मैं चाहता हूं कि केरल सम्बन्धी समिति ने जो कार्य किया उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाये।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया था कि इस वर्ष सभी मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होगी। अतः केरल बजट को 30 अप्रैल के बाद लिया जाये ताकि उससे पहले सभी मंत्रालयों पर चर्चा हो सके।

Shri Onkarlal Berwa (Kotah) : I want to know whether any discussion would be held on Report regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : हम प्रयत्न करेंगे सभी मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायें। केरल के बजट क बारे में हम विचार क गे। जब वित्त सम्बन्धी कार्यवाही समाप्त हो जायेगी तो अन्य विषयों पर चर्चा की जा सकती है। पंजाबी सूबे के बारे में आप निर्णय दे दिया है। अनुसूचित जातियों के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता।

Shri Rameshwaranand : Sir, it was said here yesterday that the Jan Sangh people have burnt alive three persons at Panipat. I want that a discussion should be held here, because they are being blamed unnecessarily.

Mr. Speaker : I want to hear about business only and not about what was said here yesterday.

दिल्ली प्रशासन विधेयक

DELHI ADMINISTRATION BILL

संयुक्त समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढा के बारें में प्रस्ताव

श्री स० वा० कृष्णमूर्तिराव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संसक्त मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को और आगे बढा कर अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक कर दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बड़े : ऐसा मालूम होता है कि सरकार अभी तक इस विधेयक के बारे निर्णय नहीं कर पायी है । मैं इसका कारण जानना चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं भी विलम्ब के कारण जानना चाहता हूं ।

श्री स० वा० कृष्णमूर्तिराव : सदस्यों ने अभी सभी बातों पर विचार नहीं किया है इस लिये समय को बढ़ाने के लिये कहा जा रहा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इसके लिये समय बढ़ाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु क्या इसके बाद तो समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा जायेगा !

सभापति महोदय और समिति को जितनी शीघ्रता से हो सके इसी सत्र में काम समाप्त कर देना चाहिए ताकि उन्हें बीच में फिर बैठक में बुलाने की आवश्यकता न हो ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : देश में आम विचार यह है कि इस मामले पर निष्पक्ष भाव से विचार नहीं किया गया है । यह नरम नीति गलत है । समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : जो भी कारण बताये गये हैं उसे देख कर ही कुछ कहा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखना होगा । क्या सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक समिति के सभापति का प्रश्न है इस बारे में मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है कि वह समय पर काम समाप्त कर लेंगे । अब उन्होंने सभा का विचार देख लिया है, इस लिए आशा है कि वह शीघ्रता से काम लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस दिशा में सब बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हम किसी प्रकार की जन-आलोचना का शिकार न बन जाय । अब मैं प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संसक्त मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को और आगे बढ़ा कर अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

लेखानुदानों की मांगें, 1966-67—जारी

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1966-67—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम लेखानुदानों पर चर्चा करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने एक संवैधानिक मामला प्रस्तुत किया है । लोक सभा में राज्य सभा की अनुदानों की मांगों या लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं होती है । यद्यपि संविधान के अन्तर्गत लोक सभा को यह वित्तीय अधिकार दिया है कि वह उन मांगों पर विचार करे । परन्तु गत वर्ष सभा बीच का रास्ता अपनाने के लिए सहमत हो गयी थी कि वर्तमान लोक सभा की अवधि के दौरान अध्यक्ष द्वारा स्थापित तीन सदस्यों वाली समिति राज्य सभा की मांगों की भी जांच करेगी । परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । आशा है कि अध्यक्ष महोदय स मामले पर राज्य सभा के सभापति से विचार विमर्श करेंगे और राज्य सभा के प्राक्कलनों की भी जांच की जायेगी ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

इसके अतिरिक्त जहां तक भारित व्यय के लेखों का सम्बन्ध है, लोक सभा की अनुदानों की मांगों में कमी हो रही है। परन्तु राज्य सभा की मांगें बढ़ रही है। राष्ट्रपति के भारित व्यय में भी कमी की प्रवृत्ति है जबकि उपराष्ट्रपति के भारित व्यय में वृद्धि हुई है। लोक सभा के इस वर्ष के आय व्ययक— प्राक्कलन में वृद्धि हुई है। आशा की जाती है कि यह तीन सदस्यों की समिति इस मामले की जांच करेगी और जिसको भी इसमें रूचि होगी, वह सदस्य उसे देख सकेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : दो बातें इस सम्बन्ध में सामने आती है। एक महत्वपूर्ण बात श्री कामत ने कही है। उन्होंने इस दिशा में काफी परिश्रम किया है, पता नहीं क्यों उपराष्ट्रपति महोदय ने उनकी बात मानी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस मांग को स्वीकार कर ली थी। मांग यह थी कि सरकारी व्यय में नियमित रूप से कमी की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय को संसद की ओर से संरक्षक समय लिया जाता है। इस लिए यह दखना उसका कर्तव्य है कि उसमें यथा सम्भव अधिक से अधिक कटौती की जाय। यह कम से कम 10 प्रतिशत तो होनी ही चाहिए।

कल अपने भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया था कि उन्हें इस बात का अहसास है कि हजारों लोगों की छटनी हो रही है। और इस छटनी से इन सरकारी कर्मचारियों की भविष्य में जो दुर्दशा होगी, इसका उन्हें पूरा ख्याल है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की छटनी जरूरी नहीं है। सरकार के प्रत्येक विभाग में फालतू कर्मचारी है। इनके लिए कुछ व्यवस्था तो करनी ही है। मेरा निवेदन यह है कि इन कर्मचारियों को कुछ वर्षों के लिए, जब तक कि वित्तीय संकट दूर नहीं हो जाता, काम दिया हो जाना चाहिए। आगे की भर्ती रोक ली जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन विभागों को व्यय करने का अधिकार दिया गया है वह किसी प्रकार का अपव्यय न करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं श्री कामत के तर्क का समर्थन करना चाहता हूं। हमारी यह इच्छा कदापि नहीं रही है कि दूसरे सदन के प्राधिकारों पर छापा मारा जाये। परन्तु यह भी एक तथ्य है के इस सभा में सभी मांगों को स्वीकार करने के अधिकार और शक्तियां निहित हैं। यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त की गयी समिति राज्य सभा की मांगों की छान बीन करती है तो यह नहीं समझना चाहिये कि राज्यसभा का अपमान किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि बड़ा जरूरी है कि इस प्रश्न का अन्तिम रूप से कोई फैसला कर लिया जाय। इस बात को हमेशा समझ लेना चाहिये कि मांगों स्वीकृति देने के बारे में अन्तिम निर्णय लोक सभा को ही लेना है। और यदि हमने लोकतन्त्र को चलाना है तो इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : छोटी सी बात है जो कि श्री कामत ने प्रस्तुत की है। यह अधिकारों का मामला नहीं है। संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने वाली बात है। एक समिति का निर्माण करके अध्यक्ष महोदय ने इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य किया। मेरे विचार में इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि जहां तक बजट के व्यय का सम्बन्ध है, राज्यसभा की स्थिति भिन्न है। प्रश्न यह है कि दोनों सभाओं की मांगों को समान रूप से देना जाना चाहिये। और उसकी छानबीन की जानी चाहिये। इसमें कोई मुकाबलेबाजी की बात नहीं है। संविधान के अन्तर्गत इस सभा के जो दायित्व हैं उन्हें पूरा करने वाली बात है। मेरे विचार में राज्यसभा के सभापति की सलाह से इस दिशा में अपेक्षित रास्ता निकाला जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री कामत की बात का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 98 के अन्तर्गत संसद को संसद की प्रत्येक सभा के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती का तथा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने का अधिकार है। अध्यक्ष द्वारा नियक्त समिति को संसद सचिवालय की सेवा की शर्तों पर भी विचार करना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : वित्त मंत्रालय तथा सारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि व्यय यथा सम्भव कम रखा जाये। उसकी जांच करने के लिए एक समिति है। सभा में दिये गये सुझावों पर अमल किया जायेगा।

सभी मांगों की छानबीन का इस सभा को अधिकार है। परन्तु हमें राज्य सभा को भी यथोचित सम्मान तथा आदर प्रदान करना चाहिये। हमें एसे उपाय अपनाने चाहियें जिन पर कम से कम आपत्ति की जा सके, कम से कम संघर्ष उत्पन्न हो और जो दोनों सभाओं की गरिमा के अनुरूप हो। यह वांछनीय है कि इस समय इस मामले पर आगे कार्यवाही न की जाये। समिति राज्य सभा के सभापति से विचार विमर्श करेगी और मालूम करेगी कि इस वृद्धि का क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बजट (सामान्य) के बारे में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत 1966-67 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।/ *The following Demands for Grants on Account, 1966-67 under the following heads in respect of Budget (General) were put to vote and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	6,74,000
2	विदेशी व्यापार	3,20,64,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,30,80,000
4	रक्षा मंत्रालय	12,78,000
5	रक्षा सेवाएं, सक्रिय--स्थल सेना	1,07,02,78,000
6	रक्षा सेवाएं--सक्रिय--नौसेना	5,16,35,000
7	रक्षा सेवाएं--सक्रिय--वायुसेना	24,57,22,000
8	रक्षा सेवाएं--निष्क्रिय	3,98,33,000
9	शिक्षा मंत्रालय	13,79,000
10	शिक्षा	7,60 64,000
11	पुरातत्व	17,92,000
12	भारतीय सर्वेक्षण	70,62,000
13	वनस्पति सर्वेक्षण	5,13,000
14	जन्तु सर्वेक्षण	4,16,000
15	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,11,79,000
16	वैदेशिक कार्य	2,88,34,000
17	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,02,16,000
18	वित्त मंत्रालय	41,42,000
19	सीमा-शुल्क	91,66,000
20	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	2,24,43,000
21	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर	1,63,89,000
22	स्टाम्प	59,93,000
23	लेखा-परीक्षा	2,97,87,000
24	मुद्रा और सिक्का ढलाई	1,72,92,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
25	टकसाल	51,94,000
26	कोलार की सोने की खानें	76,53,000
27	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,44,18,000
28	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें	3,51,000
29	अफीम	1,58,48,000
30	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	11,13,63,000
31	राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	41,60,17,000
32	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	5,79,000
33	विभाजन पूर्व की अदायगियां	64,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	21,14,000
35	कृषि	80,33,000
36	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	1,84,31,000
37	पशु पालन	31,19,000
38	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	7,92,000
39	वन	35,82,000
40	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,34,19,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	4,15,000
42	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	2,69,85,000
43	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,05,000
44	गृह-मंत्रालय	88,17,000
45	मंत्रिमंडल	9,99,000
46	क्षेत्रीय परिषदें	22,000
47	न्याय प्रशासन	55,000
48	पुलिस	5,48,00,000
49	जनगणना	16,67,000
50	अंक-संकलन	60,36,000
51	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	50,000
52	दिल्ली	4,36,15,000
53	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62,15,000
54	आदिम जाति क्षेत्र	2,59,38,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
55	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . . .	4,55,000
56	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप समूह .	11,54,000
57	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	70,33,000
58	उद्योग मंत्रालय	7,14,000
59	उद्योग	61,81,000
60	नमक	8,08,000
61	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	6,46,000
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,77,000
63	प्रसारण	1,11,56,000
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	86,62,000
65	लोहा और इस्पात मंत्रालय	5,58,000
66	लोहा और इस्पात मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,22,70,000
67	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	4,80,000
68	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	26,87,000
69	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,20,00,000
70	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय . . .	11,79,000
71	खानों का मुख्य निरीक्षक . . .	6,90,000
72	श्रम और नियोजन	2,12,03,000
73	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	2,02,95,000
74	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	12,66,000
75	विधि मंत्रालय	11,91,000
76	निर्वाचन	56,50,000
77	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	7,89,000
78	खान और धातु मंत्रालय	2,87,000
79	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,33,71,000
80	खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	3,72,40,000
81	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . . .	3,36,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,24,88,000
83	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय . .	11,22,000
84	सम्भरण और निपटान	60,69,000
85	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	9,15,000
86	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय	22,77,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
87	ऋतु विज्ञान	47,50,000
88	केन्द्रीय सड़क निधि	63,52,000
89	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	1,91,55,000
90	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	26,86,000
91	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	22,49,000
92	उड्डयन	1,19,94,000
93	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	57,61,000
94	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	3,78,000
95	लोक निर्माण-कार्य	5,91,37,000
96	लेखन-सामग्री और छपाई	1,96,50,000
97	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26,37,000
98	परमाणु शक्ति विभाग	4,34,000
99	परमाणु शक्ति गवेषणा	2,34,87,000
100	संचार विभाग	2,01,000
101	समुद्रपारीय संचार सेवा	35,97,000
102	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	26,06,08,000
103	डाक तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग	3,20,95,000
104	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	5,10,000
105	संसद् विषयक विभाग	83,000
106	सामाजिक कल्याण विभाग	3,23,000
107	सामाजिक कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	59,04,000
108	आयोजना आयोग	27,23,000
109	लोक-सभा	22,38,000
110	लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय	76,000
111	राज्य-सभा	9,00,000
112	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	43,000
113	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	27,76,000
114	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	20,66,67,000
115	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,14,68,000
116	इंडिया सिक्योरिटी प्रैस पर पूंजी परिव्यय	99,000
117	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	2,73,92,000

क्रम संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
118	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	4,73,000
119	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय .	5,29,000
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	42,46,000
121	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	55,22,00,000
122	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . .	8,32,01,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम .	70,30,44,000
124	वनों पर पूंजी परिव्यय	24,000
125	अन्न की खरीद	1,16,55,00,000
126	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पंजी परिव्यय	18,46,12,000
127	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पुंजी परिव्यय .	1,95,16,000
128	गृह मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	40,13,000
129	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	9,30,36,000
130	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	31,30,000
131	लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	5,13,33,000
132	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	3,59,05,000
133	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	1,76,04,000
134	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,84,98,000
135	खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	3,99,90,000
136	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	3,47,68,000
137	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	8,02,12,000
138	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	1,38,25,000
139	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	83,84,000
140	परिवहन और उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	46,31,000
141	सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	1,70,08,000
142	दिल्ली पूंजी परिव्यय	2,30,22,000
143	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	13,42,000
144	परमाणू शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	8,68,08,000
145	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) .	7,12,83,000
146	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	16,09,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में स कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधयक पुर:स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 क एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह यह है :

"कि खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक म जोड दिये गये/*Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the enacting formula and the title were added to the bill.*

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1966—जारी

SEAMEN'S PROVIDENT FUND BILL—*Contd.*

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1965 में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न लिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द 'Sixteenth' (सोलहवां) के स्थान पर शब्द 'Seventeenth' (सत्रहवां) रखा जाये ।

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक '1965' के स्थान पर अंक '1966' रखा जाये ।

खंड 9

(3) कि पृष्ठ 6, पंक्ति 26 में अंक '288' के स्थान पर अंक '228' रखा जाये ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1965 में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न लिखित संशोधनों पर विचार किया जाय ।

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द 'Sixteenth' (सोलहवां) के स्थान पर शब्द 'Seventeneth' (सत्रहवां) रखा जाये ।

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक '1965' क स्थान पर अंक '1966' रखा जाये ।

खंड 9

(3) कि पृष्ठ 6, पंक्ति 26 में अंक '288' के स्थान पर अंक '228' रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'Sixteenth' (सोलहवां) शब्द के स्थान पर 'Seventeenth' (सत्रहवां) शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक '1965' के स्थान पर अंक '1966' रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 9

(3) कि पृष्ठ 6, पंक्ति 26 में अंक '288' के स्थान पर अंक '228' रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1965-66

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वर्ष 1965-66 के लिए आयव्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ करेगी।

वर्ष 1965-66 के लिये आयव्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुपरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,39,000
7	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
11	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-स्थल सेना	22,03,00,000
12	रक्षा सेवाएं-सक्रिय-नौसेना	2,48,00,000
14	रक्षा सेवाएं-निष्क्रिय	1,76,50,000
21	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	90,68,000
25	वित्त मंत्रालय	12,51,000
27	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	40,75,000
28	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	25,00,000
30	लेखा परीक्षा	55,00,000
31	मुद्रा और सिक्का ढलाई	1,12,55,000
32	टकसाल	16,81,000
36	अफीम	11,46,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	21,67,28,000
39	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	6,00,00,000
46	वन	11,80,000
48	स्वास्थ्य मंत्रालय	1,30,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
51	गृह मंत्रालय	44,00,000
52	मंत्रीमण्डल	92,000
54	न्याय प्रशासन	28,000
55	पुलिस	2,27,57,000
57	अंक संकलन	44,31,000
58	भारतीय राजाओं को निजी थैलियां और भत्ते	86,000
59	दिल्ली	1,40,00,000
60	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	10,00,000
63	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,000
64	उद्योग और संभरण मंत्रालय	4,22,000
69	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	24,000
70	प्रसारण	28,00,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	20,00,000
72	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	2,80,000
74	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	93,00,000
78	श्रम और नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	32,99,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	1,49,000
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	94,000
84	पुनर्वास मंत्रालय	1,30,000
87	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,39,47,000
88	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,11,48,000
93	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	30,55,000
95	निर्माण और आवास मंत्रालय	1,47,000
96	सरकारी निर्माण कार्य	3,11,09,000
100	परमाणु शक्ति गवेषणा	26,00,000
103	डाक और तार (कार्य चालन) व्यय	2,07,05,000
104	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग	1,000
106	संसद् विषयक विभाग	70,000
107	सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,64,000
114	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	77,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	85,000
118	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	1,21,37,000
119	विदेश मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	10,00,000
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय .	6,41,66,000
122	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . .	8,13,000
124	पेंशनों का राशिकृत मूल्य . . .	64,84,000
127	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम .	70,00,00,000
130	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	13,00,01,000
131	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	82,59,000
132	गृह मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	25,00,000
134	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,000
135	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	6,61,06,000
136	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	12,45,000
138	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	12,77,02,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,38,00,000
142	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय . . .	1,51,18,000
148	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) . .	1,000

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मुझ कुछ कहना है । जैसा कि सदन को पता है केन्द्रीय सरकार की चालू वर्ष के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जिनसे रेल विभाग को निकाल दिया गया है), को लोक सभा में 25 फरवरी 1966 को पेश किया गया था । उस में कुल रकम जिसे जनवरी 1966 तक के लिये जांचा था जो मांगी गई थी वह 335.66 करोड़ रुपये थी । अब जो सूचना प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार मांग संख्या 100 अणुशक्ति अनुसंधान के लिये 26 लाख रूपये की बजाय 6 लाख रूपये की आवश्यकता है। कारण यह है कि 20 लाख रूपयों जोकि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था में मकान बनाने के लिये रखे थे लेकिन अब उसके लिये धन पूँजी विभाग से ले लिया गया ।

आय के अन्तर्गत मुख्य मदें रक्षा के लिये 26.27 करोड़ रूपया भी है । महंगाई भत्ते के लिये 5.5 करोड़ रूपया है ।

उधर पूंजी की ओर उर्वरकों की खरीद के लिये 13 करोड़ रूपया अधिक रखा है तथा फराका बांध परियोजना के लिये 6.61 करोड़ रूपया हैं तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम के लिये 12.77 करोड़ रूपया निर्धारित किया है ।

इन अतिरिक्त मांगों के बारे में पूरा ब्यौरा अनुपूरक मांग विवरण संख्या I में दिये हुए हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हुं । मैं आपका ध्यान मांग संख्या 140 जिसका संबंध इस्पात तथा खान मंत्रालय में पूँजी व्यय से है, की ओर दिलाता हूं । अब हिन्दुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड में 1.38 लाख रूपया लगाने के लिये अनुपूरक मांग रखी गई है । यहां एक नई सेवा स्थापित की गयी है । जैसा कि विवरण में दिया गया है भारत जस्ता निगम को एक अध्यादेश पास करके सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था । हमारा कहना यह है कि सरकार ने इस निगम को जिसे योजना आयोग ने 4 करोड़ रूपया देने की सिफारिश की थी, अच्छी मंशा से नहीं किया है ।

हमारे एतराज के होते हुए भी सरकार ने निगम को अर्जित किया । मैं महसूस करता हूं कि मांग 140 पर चर्चा नहीं हो सकती । दूसरी मांगों पर तो सभा चर्चा कर सकती है परन्तु मांग संख्या 140 पर नहीं । इस पर पंजाब उच्च न्यायालय ने एक निर्णय भी दिया है । उन्होंने जस्त निगम अधिनियम को अमान्य घोषित किया है । जब ऐसी बात है तो इस सभा में इस मांग पर कैसे चर्चा हो सकती है । मैं इस पर आप का निर्णय चाहता हूं ।

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : हमने उच्चे न्यायालय में हुकम रोकने के लिये एक आवेदन दिया है और 24 तारीख तक के लिय एक अन्तरिम रोक आदेश ले भी लिया है । उस तारीख को इस पर विचार होगा । साथ ही हम ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिये अनुमति मांगी है ।

मैं यह कह दूं कि इस प्रश्न पर झगड़ा नहीं है कि निगम को क्यों अर्जित किया है । न ही यह मामला कि इसे किस कार्य के लिये अर्जित किया है । झगड़ा तो मुआवज़े की रक़म के उपर है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अब मांगों पर बोलता हूं । मैं इन में से कुछ ही मांगों पर बोलुँगा । मांग संख्या 14 का संबंध भारतीय आयुध कारखानों के कर्मचारियों के भविष्य निधि से है । मैं चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के अवकाश याने के पश्चात तीन मास के अन्दर उसे भविष्य निधि मिल जानी चाहिये ।

मांग संख्या 25 का संबंध कम्पनी कानून से है । आपको पता है कि कम्पनी कानून का मामला वित्त मंत्रालय से विधि मंत्रालय में स्थानांत्रित कर दिया है । एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है । एसा कहा जाता था कि यह पद्धति 31 दिसम्बर 1965 को समाप्त हो जावेगी । परन्तु हमे विवरण स पता चलता है कि लगभग 35 प्रबन्ध अभिकर्ताओं की अवधि पांच से दस वर्ष तक बढ़ा दी है । क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध जो आरोप लगे थे उन में प्रबंध अभिकर्ता पद्धति को बढ़ाया जाना भी था ? मैं वित्त मंत्री तथा विधि मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इन्हें पांच तथा दस वर्ष कैसे बढ़ा दिया ? मैं तो कहता हूं कि एक आयोग नियुक्त किया जावे जो श्री ति० त० कृष्णमाचारी के विरुद्ध जांच करे जिसमें इस आरोप की भी जांच शामिल हो ।

मांग संख्या 51 का संबंध गृह-कार्य मंत्रालय से है । एक प्रशासन सुधार आयोग की नियुक्ति हुई है जिसके अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई होंगे । इसका कार्य यह होगा कि प्रशासन के कार्य को कैसे सुधारा जा सकता है । कार्य कुशलता कैसे लाई जा सकती है ।

एक समिति भी बनाई गई थी जिसका काम लाल फीते को समाप्त करना था । यह अधिकारी प्रधान योजना थी । इसके फलस्वरूप सुना है 10,000 कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित कर दिया है । उस दिन गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री शुक्ल ने कहा था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जावेगा । परन्तु मुझ एक पत्र का पता चला है जिसमें कर्मचारियों से स्वयं अवकाश ग्रहण करने को कहा है । मेरा कहना यह है कि इस अधिकारी प्रधान योजना को कार्यान्वित न किया जावे । यह कार्य प्रशासन सुधार आयोग को सौंप दिया जावे ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

एक शब्द भारत के जस्टा निगम के बारे में कहुंगा। सरकार के सामने यह छाट है कि या तो 25 करोड़ रूपये का मुआवजा हो या फिर उस कम्पनी को कार्य करने दो। मैं यह नहीं कहता कि इसको सरकार ने क्यों लिया। मैं तो स्वयं राष्ट्रीयकरण के हक में हूं। परन्तु कहते हैं कि इसे बिरला के असर के कारण लिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर पुनः विचार किया जावे।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, I want to say a few words about the demands for grants of the Ministry of Home Affairs.

The incidents in Delhi of the last few days prove that if the Home Minister cannot control the incidents of the type as happened in Delhi and Punjab a few days back, he has no right to be the Home Minister.

Here is a storage system of bringing about reforms. If we want to reform the police, we transfer the policemen; If we want to eradicate co-operation, we punish those who take away one seer of 'atta' given on the day when there were riots in Delhi, it would have been better if the Deputy Home Minister and other officials would not have been there. In that case the people would have defended themselves.

In spite of the presence of so many policemen the houses were burnt. This all happened when the Deputy Minister was also there.

It is said that goondas were responsible for these troubles. The Punjab Chief Minister has said time and again that Jan Sangh and R.S.S. were responsible for these acts.

I visited Panipat recently and found that people were bitterly weeping on the death of three persons who were burnt alive. It is not the work of goondas. I want to know the attitude of the Ministry about the organisations mentioned above. The Government which cannot protect its ministries has no right to call itself a Government. It is good that these organisations are not in power. It is Congress in power which does not discriminate between Hindus, Muslims, Sikhs and Christians or whether one may be belonging to U.P., Punjab, Maharashtra or any other State.

The Government servant cannot be a member of Congress, P.S.P. or Socialist Party. But they can become members of R.S.S. when R.S.S. has its own definition of State, Citizen, then how can it be called an cultural organisation. It is a political organisation.

I therefore request you to ponder over your attitude to these organisations. It is not imparting of justice to the people of India.

श्री दाजी (इन्दौर) : मेरा पहला नुकता तो भूतपूर्व महाराजाओं की निजी थैली में बढ़ोतरी के बारे में है। मुझे तो इन सफेद हाथियों को अधिक रकम देने में कोई न्याय नहीं दिखाई देता। हम सब को पता है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले यह राजा काँग्रेसियों पर लाठी तथा गोली चलवाते थे। अब भी बहुत से महाराजा तो अपने क्षेत्र में रहने की अपेक्षा बाहर रहते हैं। हमारे क्षेत्र का महाराजा बम्बई में रहता है तथा घुड़दौड़ में रूपया बरबाद करता है। इस लिये सरकार को इन्हें निजी थैली तुरन्त देना बन्द करना चाहिये।

मेरी अगली बात कम्पनी विधि प्रशासन के बारे में है। कम्पनी विधि पूरी तरह कारगर नहीं है। बहुत सी कम्पनीयों ने कर्मचारियों का 40 करोड़ रूपया हज़म कर लिया। परन्तु अभी तक पता नहीं

चला कि कुछ भी कार्यवाही उनके विरुद्ध की हो। कम्पनी विधि प्रशासन इसके रोकने में असमर्थ रहा है। इस लिये इस महकमे को कुछ देने से पूर्व इसे अपना कार्य सुधारना चाहिये।

ऐसी ही स्थिति गृह-कार्य मन्त्रालय के संबंध में कही जा सकती है। इस देश के एक प्रमुख नगर में तीन विख्यात कांग्रेसियों को जीवित जला दिया गया। जब ऐसी बात है तो साधारण व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में क्या आशा रख सकता है। बात यह है कि पंजाब में सत्तारूढ़ व्यक्ति पंजाबी सूबे के बनने के हक में नहीं थे। इस कारण वहां यह सहन किया गया।

मेरा तीसरा प्रश्न बोनस के बारे में है। इस संसद् ने बोनस अधिनियम पास किया है परन्तु कितने ही मालिक इस का उल्लंघन कर रहे हैं इस्पात तथा खान मंत्रालय चुपचाप बैठा है।

अगला प्रश्न राज्यों को ऋण देने के बारे में है। यहां राज्यों के वित्ती अनुशासन को पालन न करने के बारे में काफ़ी कहा जा सका है। परन्तु मेरा विचार यह है कि पिछड़े हुए राज्यों को जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा केरला हैं, अधिक सहायता देनी चाहिये ताकि वह उन्नत राज्यों के स्तर पर आजावे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1965-66 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
28	2	श्री मधु लिमये	छिपे धन, विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन तथा करों की चोरी के विरुद्ध अभावहीन कार्य-वाही।	100
51	3	श्री मधु लिमये	ऊंचे स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने में गुप्तचर एजेन्सियां और गृह-मंत्रालय की अरुचि से संबंधित नीति।	100
4	6	श्री बड़े	हाल की विमान दुर्घटनायें	100
7	7	श्री बड़े	चाय-बागान खरीदने का ढंग	100
21	8	श्री बड़े	विदेशी सलाहकारों कों अवांछनीयता	100
36	9	श्री बड़े	अफीम की खेती केवल मध्य प्रदेश में ही केन्द्रित करने की आवश्यकता।	100
46	10	श्री बड़े	लकड़ी के लट्ठे बनाने संबंधी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये विदेशियों का भारत लाने की अवांछनीयता।	100
58	11	श्री बड़े	उत्तराधिकार सम्बन्धी भावनाओं की उपेक्षा किये जाने के कारण भूतपूर्व इन्दौर राज्य तथा होल्कर परिवार के सदस्यों में असंतोष।	100
134	12	श्री बड़े	हिन्दी के प्रति मंत्रालय का उदासीनतापूर्ण रवैया।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं 1965–66 के लिये जो अनुपूरक मांगे है उनका समर्थन करता हूं। सर्व प्रथम मैं मांग संख्या 12 को लेता हूं जिसका संबंध थल सेना से है। हमारी थल सेना को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। चीन के पास 30 पनडुब्बियां है तथा इंडोनशिया के पास 6 हैं और पाकिस्तान के पास भी एक है। भारत क पास एक भी नहीं है।

इसके पश्चात मैं मांग संख्या 60 पर आता हूं जिसका संबंध अन्दमान निकोबार टापुओं से है। वहां के लोगों की दिशा सुधारनी चाहिये। पाकिस्तान, बर्मा तथा लंका से आये हुए शर्णार्थियों को वहां बसा देना चाहिये। निकोबार टापू अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुए हैं। सुरक्षा की दिशा से यह बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मांग संख्या 63 का संबंध प्रशासन सुधार आयोग से है। इसका कार्य प्रशासन में कुशलता तथा ईमानदारी लाना है।

मांग संख्या 72 और 74 का संबंध सिचाई तथा विद्युत् से है। इसमें ट्यूटीकोरिन संयंत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मद्रास के मुख्य मंत्री तथा वहां के बिजली मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के इस कार्य में ढील पर दुःख प्रकट किया है। वह तो इसे चौथी योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं।

अब मैं मांग संख्या 83 पर आता हूं जिसका संबंध फ्रांस के विशेषज्ञों को अदायगी देने से है। ट्यूटीकोरिन में उर्वरक कारखाना आवश्यक है ताकि मद्रास राज्य के दक्षिणी जिलों की मांग को पूरा कर सके।

मैं मांग संख्या 4 तथा 44 का भी समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ट्यूटीकोरिन के निकट एक हवाई अड्डा स्थापित किया जावे।

अब मैं मांग संख्या 142 का उल्लेख करता हूं जिसका संबंध बन्दरगाह विकास से है। ट्यूटीकोरिन बन्दरगाह के लिय पिछले वर्ष पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं रखी गई थी। मद्रास राज्य के लोग इस से बड़े निराश हैं। केन्द्रीय सरकार को इस से बनाने के लिये तुरन्त टेन्डर मांगने चाहियें।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : महोदय, मेरा बोलने का तो इरादा नहीं था परन्तु श्री दाजी ने कुछ भूतपूर्व राजाओं के बारे में ऐसी बात कहीं कि मुझे बोलना पड़ रहा है। पहले मैं भी राजाओं के विरुद्ध था परन्तु जैसे श्री दाजी कुछ आयू में बड़े होंगे वह भी यह समझ जावेंगे कि इन राजाओं के भारत की प्राचीन संस्कृति में बड़ा हाथ है। खाजुराहो को देखकर पता चलता है कि उन्होंने पीछे क्या प्राप्त किया है। प्राचीन भारत के कुछ पुराने राजा तो संसार के इतिहास पर पक्की छाप छोड़ गये हैं। मुझ आशा है कि यह सदन उनकी निजी थैली में कोई कटौती नहीं करेगा।

दूसरे सदन के बारे में मेरा मत यह है कि उन में पुराने राजे महाराजे, हमारे धार्मिक मठों के मुख्य तथा कुछ उद्योगपति होते, तो वह सदन आज से कहीं अच्छा होता।

इस कारण मैं जोर दूंगा कि पुरान राजघरों को बनाये रखना चाहिये और उन्हें अपने संविधान में निश्चित स्थान देना चाहिये।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर–मध्य दक्षिण) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

मांग संख्या 127 में कहा गया है कि 125 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को देना है। आजकल तो खैर हम राज्य सरकारों पर सन्देह करते हैं। परन्तु इनमें से कुछ रुपया तो कृषि को बढ़ाने के लिये चाहिये तथा कुछ का उर्वरक लेकर बांटा जावेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इन पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

दूसरी मांग में 16.50 करोड़ रुपया विदेशी सरकारों को पेशगी के रूप में दिया जावेगा। हम यह देख कर प्रसन्न होते हैं कि सरकार पूर्वी युरोप के देशों तथा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वाणिज्य के समझौते ठीक लाभ दे रहे हैं।

अन्त में मैं हिन्दुस्तान ज़िन्क लिमिटिड का जिक्र करूंगा। सब को मालूम है कि भारत में जस्ते की कितनी आवश्यकता है। इसलिये मैं इसको दिये जाने वाले पर प्रोत्साहन का स्वागत करता हूं।

Shri Bade (Khargone) : The amount in the demands is very huge but the time allotted for their discussion is very little.

Shrimati Subhadra Joshi has condemned R.S.S. and Jan Sangh very bitterly. About Panipat affair, I can only say that every Indian is feeling ashamed over what happened there. Shrimati Joshi is very much prejudiced and one can very well realise the report which she might have given to Shrimati Indira Gandhi who sent her to obtain first hand information. People of Communist ideologies have got into Congress and then the situation becomes as it is to-day.

The next demand relates to the Finance Department. That shows how much extension has been given by the Government to monopoly of managing agencies. 35 companies have been given extension from 5 to 10 years. It was stated in reply of a question in Parliament on 8th March 1965 that no extension would be given beyond 31st March 1967. It is not understood how this extension has been given ?

Demand No. 58 relates to Privy Purses. I can say only one thing that about inheritance the Ministry of Home Affairs should not have much say. For this, judges should be appointed.

Demand No. 46 relates to forests. I am surprised that foreign experts are being invited to study our forests. How can foreigners give sound suggestions about our forests when they may not be very conversant about our forests. So I am against these foreign experts going to other countries. It is all waste of money. It should be stopped forthwith.

Air crashes have been mentioned in Demand No. 4. I would invite your attention to what appeared in Blitz of 26th February. The paper says that it is not always that pilots are to blame. The illicit relationship of hostesses with higher ups in IAC is responsible. Once when an air hostess turned of late for duty and asked to explain the reason for going late, retorted back that Mr. X's explanation should be called for. That man is now at the very summit in the I.A.C.

So whenever there is a conflict of this nature, proper enquiry should be made into that and necessary step should be taken.

[Shri Bade]

It has been stated that in Madhya Pradesh poppy cultivation is in abundance. Poppy cultivation is there since long, but it is that opium which was sent to China. I would like to urge that there should be increased production in Madhya Pradesh. Licences should be given for this purpose.

Shri Balmiki (Khurja) : I support this supplementary demand. But I do not think it good to have supplementary demands after the Budget. I am of the opinion that the increase in the dearness allowance gave rise to prices in the present way. I do not find the smell of socialism in this budget. I doubt if the policy of socialism is carried out in its entirety. I want to draw the attention of the Government that the Common man is in great trouble. The condition of the employees of the State Governments is very deplorable. If we want socialism then their lot will have to be raised. Another aspect towards which I want to draw the attention of the Government that there is a great disparity between the pay and allowances of the employees of the Central and State Governments. It will be better if this disparity goes as soon as possible.

We must look to the root cause of our economy Government must have taxation but our taxation policy should take into consideration the interest of poor and the common people. In this direction the principle of socialism should not be callously ignored. People should be encouraged to save.

Big industrialization is good but the prosperity comes from small scale enterprises. They should be encouraged. I want to come to the demand No. 72. Farmers are not getting full irrigation facilities. They must get water and power. In my constituency tube wells were also bored but they were of no avail. Under the demand No. 107, I want to say that the social justice to the Harizens should be eliminated. These people do not get any protection from the Government. In this direction the situation in Panjab and elsewhere is very deplorable. People have been burnt alive. I must show our regret and determine to keep peace. I would like to urge that more funds should be allocated for social security of the people. There ought to be no distinction between castes and creeds. I would also urge upon the Government to have any policy but it should be a stead fast policy and the economic policy should be in the interest of the people.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to speak on the demands of the three Ministries, Finance, Home and Civil Aviation. Today we have read in papers that Air India International had postponed their flights indefinately. What are the reasons for this? This is the sad plight of the public sector undertaking. I am of the opinion that no useful purpose will be served until some committee is appointed to go into this matter.

I want to draw the attention of the Government towards this fact that Air India International is violating the foreign exchange regulations imposed by the Ministry of Finance, necessary while on foreign travel. It is really very sad that no effective steps have been taken in this direction. The reasons for that cannot be comprehended. The Station Manager of Santa Cruz have got clearance from the Reserve Bank in respect of the passport of his relatives fraudulantly. I fail to understand why he has not been suspended and arrested so far ?

At Bombay the officers of the Air India international were getting 'P' forms for passengers by charging 500 or 1000 rupees from them. I do not understand why highest official of the company have not been dismissed so far? I would like to know the action Government have taken in this connection. They should have

been arrested. Let me state very frankly that this Sadachar Movement started by the Home Ministry is a big hoax. The Haveli Ram affairs is getting air. The entire incident connected with the Haveli Ram and his sons Kewal Joshi and Jugal Joshi is coming on this fore. His two sons are businessmen and have been helped by certain Ministers. The matter should be fully inquired into. I also want to urge that an inquiry should also be held into charges against people like Biju Patnaik, Shri Mohan Lal Sukhadia, Shri Nijalingappa, K. B. Sahay and T. T. Krishnamachari.

श्री दी० चं० शर्मा (गरदासपुर) : मुझे इस बात का खेद है कि एक ज्योतिषी को लेकर इतनी विचित्र बहस शुरू कर दी गयी है। और इसके बारे में काफी स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की बातों पर सदन का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

मैं मांग संख्या 9 का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार में सरकार ने आसाम में चाय सम्पदाओं को खरीद कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और इस बात का आग्रह करता हूं कि पुराने अंग्रेज मनेजर को हटा दिया जाना चाहिए। उसके कृत्यों से सरकार अवश्य कुछ शिक्षा ग्रहण करेगी। यदि सरकार ने इन सम्पदाओं को चलाना ही है तो उन्हें प्रबन्ध व्यवस्था को बदलना होगा। प्रबन्ध करने वाले योग्य व्यक्तियों की हमारे यहां कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण की दिशा में भी यह एक अच्छा कदम है। मैं तो बागान उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार से आग्रह करूंगा। यदि ऐसा कर दिया जाय तो वहां के कर्मचारियों को भी इससे लाभ होगा।

अब मैं मांग संख्या 28 पर आता हूं। इसका सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है। मेरा कहना है कि वित्त मंत्रालय के बजट पर पूरी समालोचना की जानी चाहिए। कहा गया है कि गैर-परियोजना व्यय का खर्चा 15 प्रतिशत कम किया जायेगा। परन्तु देखने में यह आया है कि अधिकारियों की एक सेना नियुक्त की जा रही है। मेरे विचार में वित्त मंत्री को अधिक नौकरशाही के फैलाव से बचना ही चाहिए। खर्चा कम करने के स्थान पर वित्त मंत्रालय अपना खर्चा बढ़ा रहा है।

मांग संख्या 52 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मंत्रिमंडल के विभाग के लिए अधिक खर्च किया जाना उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर किस उद्देश्य से इस वि ाग का विस्तार किया जा रहा है। इस व्यय को बचाया जाना चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की ओर गृह-कार्य मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ा कर 58 कर दी गयी है। कहा गया है कि इसके लिए तीन शर्तों का होना बड़ा अनिवार्य है। 55 के बाद यह जरूरी है कि ईमानदारी, शारिरिक क्षमता और तीसरा डाक्टरी परीक्षा में फिट होना जरूरी है। मेरे विचार में किसी को सेवा निवृत्त करने के लिए ये शर्तें लगाना बड़ा जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त होने के लिए 55 वर्ष की आयु और 30 वर्ष की सेवा बड़ा जरूरी है। 55 से आयु बढ़ा कर 58 करना उच्चतम न्यायालय के निणय के विरुद्ध है।

रेलवे में दो तीन तरह के कनिष्ट अधिकारी हैं, और उनकी सेवा शर्तें भी तीन प्रकार की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

इक्यासीवां प्रतिवेदन
Eighty-first Report

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यासिवें प्रतिवेदन से, जो 16 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यासीवें प्रतिवेदन से, जो 16 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

स्वास्थ (भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की सामयिक डाक्टरी परीक्षा) विधेयक के बारें में
RE : HEALTH(PERIODICAL MEDICAL CHECK-UP OF PRESIDENT AND PRIME MINISTER OF INDIA) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों को पुर:स्थापित करना आरंभ करेंगे । पहला विधेयक डा० चन्द्रभान सिंह के नाम में है । माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 75 AND 164)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

श्री हरि विष्णू कामत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22, 32 का संशोधन और अनुच्छेद 359 का हटाया जाना)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 22, 32 AND OMISSION OF ARTICLE 359)

उपाध्यक्ष महोदय : 4 मार्च, 1966 को श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाए :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : संविधान के अनुच्छेद 22, 32 में संशोधन करने तथा अनुच्छेद 359 को हटाने की बात कही जा रही है । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है । नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए । माननीय सदस्यों के भाषणों से यह पता चलता है कि सारी बात भारत प्रतिरक्षा नियमों की पृष्ठभूमि में की जा रही है । मेरा कहना यह है क्या इस प्रकार की व्यवस्था की संविधान में जरूरत है । जिस उपबन्ध के अन्तर्गत ये अधिकार स्थगित किये जा सकते हैं, वह उपबन्ध रहना चाहिए अथवा नहीं । कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज के बारे में आपत्ति नहीं कर सकता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो । इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो । क्या ऐसा उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत ये अधिकार वापिस लिये जाएं । और फिर ऐसा किस स्थिति में किया जाय ।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावक का मुख्य लक्ष्य यह है कि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं होना चाहिए जिसके अन्तर्गत न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों को छीनने से रोका जाय । यही कारण है कि अनुच्छेद 359 को हटाने की बात की जा रही है । इस मामले को आपातकाल की नजरबन्दी को लेकर विचार किया जा रहा है । मेरा विचार यह है कि वर्तमान विधेयक से प्रस्तावक का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा । अतः मेरा कहना कि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक हैं ।

[**श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

आपात काल में कई एक असाधारण परिस्थितियों का सामना करना होता है । यदि सारी बातों को कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही करना पड़े तो अपना उद्देश्य पूरा हो सकना असम्भव हो जाता है । आपात काल में सरकार को कुछ तो विशेषाधिकार देने ही चाहिए । इस तरह बहुत से देशों में कानून है जिससे कि मूल अधिकारों को स्थगित किये जाने की व्यवस्था है । इग्लैंड में तो लिखित संविधान है नहीं । और देशों में इस तरह की व्यवस्था है । इस लिए मेरा कहना है कि जहां तक वर्तमान आपात का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसको तब तक ही जारी रखा जायेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता रहेगी उससे अधिक समय से एक दिन भी नहीं रखी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My object is that if anybody is to be arrested he must be brought to some law court. Everybody must have at least have all the safeguards that are available to him under article 22, whether emergency or otherwise whosoever is arrested must have a right to go to the law court. The way Government is encroaching upon the individual liberties and democratic rights of the people through the back-door is going to have dangerous results.

I want to state very respectfully that if we read article 19, we will find that even today reasonable restrictions can be placed on the freedom of the individual. But we are only concerned with the right of the people and want to protect them. Therefore whenever any citizen is arrested he must have right to go to law court. The executive should not be allowed to curb and curtail the rights of an individual citizen. The executive should not be allowed to use unjust tactics.

This is now quite clear that Ministers in the States are enjoying tremendous rights and powers. They are behaving like despots. The powers that have been enjoyed by them are misused at several occasions. That is the only reason why these ministers do not want to give up these rights. Number of examples can be given in order to illustrate this matter.

[Shri Madhu Limaye]

I want this amendment for, it seeks to give a citizen the right to appear before the law court even during an emergency period. I think if it is accepted the D.I.R. will go and with that will go the misuse of the preventive detention law will also come to an end. I therefore appeal to the House to accept my amendment Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 15; विपक्ष में 63/Ayes 15, Noes 63

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The Motion was negatived*

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

एयर इंडिया की सब उडाने मंसूख किये जाने का समाचार

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : श्रीमान, आपकी आज्ञा से मैं एयर इण्डिया के फ्लाइट नेवीगेटर्स द्वारा शुक्रवार, 18 मार्च, 1966 से हड़ताल कर देने और उसके फलस्वरूप एयर इण्डिया के प्रबन्धकों द्वारा सभी उड़ानों के मन्सूख करने के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं ।

17 मार्च, 1966 को इण्डियन फ्लाइट नेव्हीगेटर्स गिल्ड ने सूचना दी कि वे 18 मार्च से हड़ताल करेंगे क्यों कि वे राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के वेतनक्रम, भत्ते तथा सेवा शर्तों सम्बन्धी पंचाट से संतुष्ट नहीं है । प्रबन्धकों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि यह गैर-कानूनी हड़ताल न हो और दिल्ली में बातचीत के लिये सहमति व्यक्त की परन्तु इनका रवैया बहुत असहयोगपूर्ण था और उन्होंने अपने हड़ताल सम्बन्धी निर्णय को कायम रखा ।

मैं इस बारे में पहले की पूरी स्थिति बताता हूं । एयर इण्डिया ने अपने कर्मचारियों के वेतनक्रम 1959–60 में बढ़ाय थ और उनके साथ यह समझौता किया था कि तीन वर्ष के बाद स्थिति पर फिर विचार किया जायेगा । इस अवधि के समाप्त होने पर कर्मचारियों के विभिन्न संघों से मांग प्रस्तुत की जाने लगी कि वेतनक्रमों पर पुनर्विचार किया जाये । सरकार ने 25 जुलाई, 1964 को पंजाब उच्च-न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की ।

इसने सभी पक्षों के विचार सुनने के बाद 28 जनवरी, 1966 को पंचाट प्रस्तुत किया । पंचाट में नेवीगटरों और फ्लाइट इंजीनियरों दोनों के वेतनक्रमों में वृद्धि की सिफारिश की है । कर्मचारियों की इन दोनों श्रेणियों के दर्जे के बारे में भी टिप्पणियां हैं । फ्लाइट नेवीगेटरों की इस पंचाट से सन्तुष्टि नहीं हुई है और प्रबन्धकों पर आरोप लगाया है कि इसने फ्लाइट इंजिनियरों के लिये पक्षपात किया है । फ्लाइट नेवीगेटरों तथा फ्लाइट इंजीनियरों के दर्जों में अब किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया जा सकता । इन दोनों वर्गों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अपनी बात रखी थी और न्यायाधिकरण ने उस पर विचार करने के बाद अपना पंचाट दिया है । पूरे पंचाट को लागू करना जनहित में नहीं समझा गया । इस लिये अधिसूचना द्वारा इसके कुछ भाग को लागू नहीं किया गया । हां, प्रबन्धक तथा संघ इस बारे में कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकते है ।

सरकार पंचाट में इस लिये परिवर्तन नहीं कर सकती । बड़े खेद की बात है कि शिकायतों को दूर कराने के लिये हड़ताल कर दी गई है जो कि गैर-कानूनी है । हमारे लिये और कोई चारा ही नहीं कि स्थिति का कड़ाई से मुकाबला करें । मैं आशा करता हूं कि सभा अनुशासन के महत्व को समझते हुए सरकार की कार्यवाही का समर्थन करेगी । नेवीगेटरों की हड़ताल के कारण एयर इण्डिया को उड़ाने मन्सूख करनी पडी हैं । हम आशा करते हैं कि फ्लाइट नेवीगेटर अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, नहीं तो हमें और व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि खोसला पंचाट के अनुसार पाइलटों, नेवीगेटरों, इंजीनियरों के वेतन 950 रुपये से बढ़ा कर 1370 रुपये कर दिये गये है । इस प्रकार इनका वेतन काफ़ी अच्छा हो गया है । परन्तु कुछ समय से ये लोग अवैध रूप से हड़तालें कर रहे है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिये क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ताकि गड़बड़ न होने पाये ?

श्री संजीव रेडी : मैं इस बात से सहमत हूं कि निगम कर्मचारियों के लिये बहुत कुछ कर रहा है परन्तु उन लोगों की मांगें बढ़ती जा रही है । सरकार को और कोई व्यवस्था करने पर विचार करना पड़ेगा । अभी विमान सेवाएं बन्द कर दी गई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार कर्मचारियों के इस वर्ग से बातचीत नहीं करेंगी ? पंचाट को कई बार सरकार ने संशोधित करके लागू किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बातचीत कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री संजीव रेड्डी : यदि हम फिर से बातचीत आरम्भ करें तो इसका कहीं भी अन्त नहीं होगा ।

श्री दाजी : माननीय मंत्री के अनुसार नेवीगेटर्स पंचाट को मानने को तैयार नहीं है । सरकार ने पहले जस्टिस दास वाले पंचाट को स्वीकार नहीं किया था । यह ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार भविष्य में पंचाटों में परिवर्तन नहीं किया करेगी ।

सभापती महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Ram Savak Yadav : May I know whether the Khosla Committee has not heard the view point of class III and class IV employees?

श्री संजीव रेड्डी : यह ठीक नही । जस्टीस खोसला ने सभी की बात सुनने के बाद यह पंचाट दिया था ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस हड़ताल के कारण विदेशी मु ा में कितनी हानि हुई है ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं जानकारी एकत्र कर सकता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन लोगों की हड़ताल से देश की बहुत हानि हो रही है, क्या सरकार कोई ऐसी कार्यबाही करेगी कि जिससे ऐसा काम करने वालों को कड़ा दण्ड मिले ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । जब एक विमान भूमि पर उड़ रहा हो तो वहां पर नेवीगेटर का होना अत्यावश्यक नहीं । हमारा विचार था कि

[श्री संजीव रेड्डी]

पाइलट इस बात से सहमत हो जायेंगे कि वे नेवीगेटरों के बिना ही ऐसे स्थानों पर विमान ले जायेंगे जहां उन्हें समुद्र पर से नहीं उड़ना पड़ता। परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। यदि वे चाहे तो वे मास्कों और लन्दन तक विमान ले जा सकते है। हम इन लोगों के साथ सख्ती का व्यवहार करने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर शहर) : इन दोनों सेवाओं के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। इन में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। क्या सरकार किसी और व्यवस्था के बारे में सोच रही है ? मेरा सुझाव कि सरकार यह काम सैनिक अधिकारों को सौंप देना चाहिये। उनको चाहे हमें अधिक वेतन आदि भी देना पड़े तो कोई बात नहीं है। अब समय आ गया है जब इन दोनों निगमों के लोगों को इनके अधिकारों से वंचित किया जाये। इन सेवा से हटा देना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : पंचाट से पूर्व भी एयर इण्डिया के कर्मचारियों काफी अच्छा वेतन मिलता था। और उनको और अधिक वेतन मिलने लगा है। इस प्रकार इस हड़ताल द्वारा देश को हानि पहुंचा रहे है। क्या सरकार कड़ी से कार्यवाही करेगी और इन लोगों के समक्ष नहीं झुकेगी और क्या विमान उड़ानें जारी करने के लिये कोई और व्यवस्था कर रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : उड्डयन के बारे में मेरा 20 वर्ष का अनुभव है। विमान सेवा में सभी कर्मचारियों में एकता की भावना होनी चाहिये। क्या एयर इण्डिया के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा की सेवाओं से लाभ उठाया गया है और उन्होंने हड़ताल बन्द कराने का प्रयत्न किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि पूरा सदन कड़ी कार्यवाही के पक्ष में है। श्री हनुमन्तैया के सैनिक अधिकारियों को काम सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। कारपोरेशन अन्य व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा है। श्री टाटा ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि हड़ताल समाप्त हो जाये।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है और इन सेवाओं का कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : निगम ने इन लोगों को नोटिस दिया होगा। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री बसुमतारी : क्या सरकार ने पता लगाया है कि इस हड़ताल के पीछे कोई राजनैतिक तत्व तो नहीं है ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी पार्टियां सरकार से अनुरोध कर रही हैं कि कड़ी कार्यवाही की जाये। इस लिये मेरे विचार में कोई राजनैतिक दल इसके पीछे नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री रंगा : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इसके पीछे कोई राजनतिक तत्व नहीं है। सभी दल इस बात पर सहमत है कि पंचाट को दोनों पक्षों ने स्वीकार करना चाहिये।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 152, 370 आदि का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (COMISSION OF CLAUSES 152, 370 ETC.)

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnour) : I present my Constitution (Amendment) Bill. The aim of this Bill is to omit certain articles of the Constitution and bring Jammu and Kashmir State at par with other states so far as the application of Constitution is concerned. I had presented a similar Bill about 18 months ago. It was supported by all sections of the House. I hope that this Bill will receive full support from all the Members. I remember Shri Nanda had at that time promised that more and more Articles of constitution would be made applicable to that state. I have been compelled to bring forward this Bill. Pakistan attacked this state of India August 1965 contravening and violating the ceasefire agreement. Pakistan attacked India by violating Chhamb Akhnoor international border of India.

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

So far the Tashkent Declaration is concerned, Pakistan has no respect for this. President Ayub has again urged upon the people of Jammu and Kashmir to carry-on their struggle for self-determination. Similarly other leaders of Pakistan are giving statements, which are against the spirit of Tashkent Declaration. During the ministerial conference at Rawalpindi, Pakistan's attitude was not helpful. In fact Pakistan wants to make use of this Declaration for making good the loss, it suffered during the conflict.

We are grateful to Soviet Union for this agreement, but we should notice the change in Soviet attitude. Soviet Union supported the resolution of Security Council regarding withdrawal of forces to the position of 5th August, 1965. I feel that Russia wants to add to its own prestige. Our communist friends here in this country are also saying that the ceasefire line should be treated as international border.

The Government of Shri Sadiq is giving special facilities to communists and the people of nationalist ideas are being harassed under the D.I.R. In this connection I want to refer to the anti-Indian books that have been prescribed for schools.

Then there have been given some contradictory statements by Ministers. Before the Tashkent conference, it was stated clearly that Kashmir would not be discussed, but there is clear mention of this in the declaration. Similarly during the ministerial conference in Rawalpindi this was discussed. The Minister of External Affairs has admitted it here. It shows that Government is not firm on its stand regarding Kashmir. I have heard that the Governor of Jammu and Kashmir has said that Jammu and Laddakh should be merged with Himachal Pradesh. This is very disturbing. How can this be in the interest of our country? It encourages the pro-Pakistani elements to foment hatred for India. Keeping in view all these things I have brought this Bill.

[Shri Prakash Vir Shastri]

Our Minister of Defence has said that we would reduce the number of troops. I do not see any justification for this. When Pakistan has not carried out the Security Council resolution, how can we reduce our forces there?

Article 370 of our Constitution was added to the Constitution as a temporary measure. Afterwards Prime Minister Nehru and the Ho e Minister have been saying that this Article would be o itted. During last Septe ber Shri Nanda had stated that expert legal opinion on this was being sought and this Article woud soon be omitted. Otherwise this Article has become outmoded now. Shri Nanda had stated this also that more and more Articles of the Constitution would be made applicable in due course. I want to know in this connection as to what action has since been taken? Has the Article regarding President's rule been made applicable to this state? It has been proved during last August that the state Government has failed in its duty when large scale infiltration from Pakistan took place. Large sums of money are being spent on Police and C.I.D. but in spite of all that thousands of armed infiltrators were able to enter Jammu and Kashmir. It is a pity that Government of India has not conducted any enquiry into this. The guilty should be punished. Central Government is spending large sums of money very liberally in this state. I want to know as to why Government does not remove this Article and have full control over all subjects.

The financial condition of state of Jammu and Kashmir is also not good. The figures of Reserve Bank show this fact. The law and order situation in that state is also very bad. Two eminent legal luminaries—Shri Changla and Shri N.C. Chatterjee have said that this article should be done away with.

I notice some partiality for Pakistan in the attitude of Security Council now. They are favouring Pakistan. We should depend on our own resources. The legislative Assembly of Jammu and Kashmir state should pass a resolution demanding the omission of Article 370 of the constitution. I want that Government should be vigilant in future. Sir, I move Bill.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 31 अगस्त, 1966 तक परिचालित किया जाये ।"

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : ताशकन्द समझौता होने के कुछ दिन बाद तक तो पाकिस्तान वालों का रवैया ठीक रहा था परन्तु अब उसमें बहुत निराशाजनक परिवर्तन हो गया है । हमें आशा हो गई थी कि भविष्य में दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे । अब पाकिस्तान के नेताओं ने बहुत संदेहात्मक वक्तव्य देने आरंभ कर दिये है । इससे वातावरण खराब हो जायेगा ।

अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबन्ध के रूप में बनाया गया था ।

यदि आपको कश्मीर को देश से पूरी तरह मिलाना है तो फिर अनुच्छेद 370 को क्यों रखा हुआ है ? आप यहां तथा कश्मीर की विधान सभा में यह कहते है कि कश्मीर भारत का अंग है और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती परन्तु साथ ही आप ने अनुच्छेद 370 को भी समाप्त नहीं किया है । हमारी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । श्री चागला ने सुरक्षा परिषद में कहा जिसके लिये सारा देश उने पीछे है कि भारत और कश्मीर के रिश्ते को किसी भी तरीके से बिगडने नहीं दिया जावेगा ।

भारत और पाकिस्तान की पिछली लड़ाई के बारे में सचाई यह है कि यह भारत पर जान बुझ कर एक आक्रमण था और कश्मीर पर किया गया आक्रमण सारे देश पर आक्रमण माना गया । उस समय यह राष्ट्रीय एकता पूरी तरह दिखाई दे रही थी ।

हम सब प्रसन्न है कि कश्मीर के लगभग सारे सदस्यों ने पहले प्रस्ताव का तथा अब विधेयक का समर्थन कर रहे है । मुझे आशा है कि इस मामले में कोई राजनीति की बात नहीं होगी ।

मैं तो यह सून सुन कर थक गया हूं कि कश्मीर भारत का अंग है । यदि ऐसा है तो फिर हमें इस ओर अपने संविधान को ठीक करना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, हम काश्मीर के प्रतिनिधि इस बात का समर्थन करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जावे ।

हम सब को पता है कि जम्मू-काश्मीर के लोगों को कितना नुकसान पाकिस्तान से पिछली लड़ाई में उठाना पड़ा । वहां के लोगों ने भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर खून बहाया ।

पिछले 17 से 18 वर्षों में केन्द्रीय सरकार की यह नीति को गई है कि जब पाकिस्तान से कोई समझौता होता है तो कहते हैं कि अब की बार इस समस्या को सदा के लिये सुल्झा लें ।

बहुत बार कहा जा चुका है कि काश्मीर भारत का उसी प्रकार अंग हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ तथा अन्य राज्य । यदि ऐसा है तो फिर सरकार इस संविधानिक गड़बड़ को क्यों नहीं समाप्त करती ।

हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम शान्ति से रहें । परन्तु पाकिस्तान को जम्मू-काश्मीर के मामले में कोई रियायत न दी जावे ।

यह कहना ग़लत है कि क्यों कि जम्मू-काश्मीर में प्रशासन में गड़बड़ है, इसलिये यह अनुच्छेद समाप्त होना चाहिये । प्रशासन में ग़लती तो हर राज्य में है परन्तु यह देखना है कि हमें इस समस्या को राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से देखना है । पाकिस्तान से बात करते बार हमें अपने मौलिक विचारों में कोई बदली नहीं लानी चाहिये ।

सभापति महोदय : डा० सिंघवी ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : आपको चाहिये था कि पहले मुझे बुलाते***

सभापति महोदय : आपको यह शब्द वापिस लेने चाहिये । यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा ।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur) : I am of the opinion that time has come to put an end to Article 370 of the Constitution. We must answer the call of the time.

I do not say that when article 370 was inserted in our constitution there was no necessity for it. Now time has changed and it should no longer be there.

Late Prime Minister when had said that Artical 370 would "wither away". But it has not been done practically.

***अध्यक्ष पीठके आदेशानुसार निकाला गया ।

***Expunged a ordered by Speaker.

[Dr. L. M. Singhavi]

I welcome the charges which have taken place there. It is true that the Sadar-i-Riyasat there is now called Governor and the Prime Minister is now called the Chief Minister but there were all change in name only. But unless and until Article 370 is abrogated, the people of India and that of Jammu & Kashmir will not be satisfied. I want to know for how long shall we defer decision on it. It has been agreed all along in the past that decision on it will be taken soon. Nobody can say that Tashkent Declaration covers in the way of decision on Jammu and Kashmir.

If this feeling of indecision persists in this country there will be neither administration nor law nor order in the country. I feel pained on seeing it. For how long are you going to postpone this matter. When the present Chief Minister had not become the Chief Minister, he had asked for the abrogation of Article 370 of the Constitution. Then why this has not been abrogated?

I feel that central Government will mediate in the case between the Kashmir Government and Bakshi Ghulam Mohammed. I hope Government will act with far sightedness and intervene. The political bickering in Kashmir should end and all should co-operate for the well-being of the people of that State.

I want the Government to indicate its decision on the abrogation of Article 370 at the conclusion of this debate. They should not try to avoid it.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इस विधेयक के अनुसार काश्मीर राज्य के संविधान, राज्य कार्यपालिका तथा राज्य विधान सभा के विशेष अधिकार और अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है ।

इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं । प्रथम तो भारत सरकार के नेताओं ने जम्मू-काश्मीर के लोगों को जो वचन दिये थे उनको समाप्त करना है । दूसरा उद्देश्य भारत सरकार के नेताओं ने जो संसार तथा संयुक्त राष्ट्र को जो वचन दिये थे उन्हें समाप्त करना है । तीसरा उद्देश्य वहां के संविधान को समाप्त करना है ।

इस विधेयक को देखकर मुझे "हैलन आफ ट्रोय" की याद आती है । इस विधेयक को पेश करने वाले का चेहरा भी ऐसा ही है ।

वैसे मेरे विचार में काश्मीर शताब्दियों से भारत का भाग रहा है । परन्तु इसे अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में धकेल दिया है और उसकी जिम्मेदारी से भारत के नेता बच नहीं सकते ।

इस समय तो प्रश्न काश्मीर को भारत से संवैधानिक तौर पर मिलाने का नहीं है अपितु काश्मीर को हमें फिर से जीतने का है । हमने वहां करोड़ों रुपया भी नष्ट कर दिया है तथा हज़ारों जवानों का खून भी बहाया है । परन्तु रुपया और खून से तो केवल इसे जीता नहीं जा सकता ।

इस कारण मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Speaker, I welcome the bill which has been introduced to abrogate Article 370 of the Constitution. Last time also there was unanimous support for abrogation of this article but it was not abrogated then. Now, the occasion today is quite appropriate for its abrogation. There are several reasons for doing so. It has been our constant desire to establish friendly relations with Pakistan, in all respects and with no desire for any gains whatever, rather losing something or the other occasionally in our futile efforts for maintaining amiable relations. Yet the Pakistani authorities have shown no good sense.

Our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri made an important declaration at Tashkent. The Tashkent declaration proves our broad-mindedness for in accordance with its provisions we recalled our forces from areas which are ours and which will remain ours. I do not know why for all our liberal attitude, Pakistan continues to behave in a senseless manner. If Pakistan is not prepared to implement the Tashkent Declaration, and realise her mistakes, she should at least keep silent. Thev will never understand things for their government is not based on franchise. But we should not get provoked at their behaviour and stop our efforts.

The late Shri Shastri had said a few very appropriate words at the time of introducing this bill. He had stressed the fact that the policy of Russia had changed. I am of the opinion that our words and deeds should be such that our friends, who have helped us and have stood by us and who , we hope, will support us in future also, may not be lost. In my opinion the Tashkent Declaration was not signed under any pressure or force.

It is correct that by recalling our forces from our land, we have given an apportunity to Pakistan to take it that Kashmir is not an integral part of India. It was not proper to talk of Haji Pir because the 'Azad Kashmir' or the occupied Kashmir is a part of India but since India entered into an agreement, Pakistan should have shown some good sense and vacated the Indian territory which is under their occupation. Hence Shastriji's criticism of Russia was not correct because during these talks they gave a hint of their policy that they are not prepared to change their stand. We cannot, therefore, accuse Russia of forcing us to go back to the cease-fire line. I think that Shastriji's observations in regard to this bill were untimely and ill-suited to the occasion. I cannot deny that Russia is our friend and the Russian policy is still firm.

Late Shri Shastri had spoken about the Sadiq government also at the time of introducing this bill. Government has always been committing a mistake. Whoever has been made the Chief Minister of Kashmir has been given too much powers. Sheikh Abdullah was given so many powers that nothing could be done without his consent. The same Sheikh Abdullah is a traitor today. After this Shri Bakshi was made Chief Minister and he too was given unlimited powers. We can tolerate political wranglings in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra or elsewhere but not in Kashmir, even though there may be some valid reasons for such wranglinings. I do not want to criticise Sadiq government but I want to warn Government not to spoil him also by giving him lavish powers. The need today is that the merger should not be by abrogation of Article 370 alone but it should be a social and economic merger as well. When Kashmir is an integral part of India, why the residents of Jammu not allowed to settle in Srinagar? Why people from other parts of India not allowed to settle there? I do not want that exploitors should be sent to that place. You may put restrictions on them, but, if one wants to cultivate a small piece of land there one may be permitted to do so.

The Security Council is becoming an arena of big power politics. We should not look to any power but decide in our own way with courage and confidence. We should at once do away with Article 370 of the Constitution and remove the doubts lurking in the minds of the Kashmiris about their future.

Shri U. M. Trivedi : All the speakers, except Sardar Kapur Singh, have welcomed this bill. Sardar Kapur Singh ultimatelv accepted this that we should merge Kashmir completely but I am unable to understand why he says that we have not fulfilled our promises which we had given to the people of Kashmir. The

[Shri U. M. Trivedi]

Kashmiri people have duly elected their Vidhan Sabha and that Vidhan Sabha has passed a constitution according to which they have decided that they have been merged with Indian government. Now how is it that we have not fulfilled our promises? What more promises are still to be fulfilled?

As Shri Bhagwat Jha Azad has said that though Kashmir is an integral part of India, people from other parts of India cannot settle there, purchase lands, run a business or acquire property there. How long will these restrictions in Indians continue? Why is Government not making complete merger? We have lost Tithwal, Hajipir, and Kargil which we had brought under our occupation though the attitude of Pakistan has not completely changed. Mr. Bhutto is still adamant. He was not happy at the time of that signing of the Tashkent declaration. They have not changed hearts. We cannot forecast about their behaviour. Although I am not in favour of our again going to war, bloodshed and distruction, but we should learn a lesson. Mohammad Ghori had attacked India but he was forgiven every time. In the end, Prithvi Raj Chauhan, fell in his hands and Mohammed Ghroi did not spare him. We should not forget history. Similarly, we should not forgive Pakistan again and again. We forgave Pakistan after the 1947 attack. We forgave Pakistan even though she attacked across our ceasefire line for 2,000 times. This was the first opportunity for us to teach Pakistan a lesson but we again forgave her. Government should be firm. Kashmir is ours and remain ours. Merger of Kashmir with India is an historical fact. Even the late Shri Jawaharlal Nehru had said that since the time had changed, promises once made in particular circumstances, had no meaning in the changed state of affairs. Hence, we cannot depend on old things in the changed circumstances. We should not depend on the Security Council but should deal with Pakistan on our own. If Pakistan attacks, we should be prepared to beat them back with our own might and valour.

Therefore, the only thing which remains to be done now is that we should abrogate Article 370 of the Constitution. There was no need of 3, 4 and 5 paragraphs. I would have confined to this much :—

"Omit the provisions of article 370 and say, 'All the provisions of this Constitution shall apply *mutatis mutandis* to the whole of Jammu and Kashmir' ".

One phrase disposes of everything. The condition today is such that even a day's delay in removing this restriction may prove to be disastrous for the country. Kashmir should be completely merged with India.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं इन आदमियों के साथ सहमत नहीं हूं जो ये कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों को सीधे तौर से समाप्त कर दिया जावे ।

आज हमें हवा में नहीं रहना है अपितु व्यवहार की दुनिया में रहना है । यह सच है कि काश्मीर भारत का अंग है परन्तु संसार के सामने में इस झगड़े की विद्यमानता का आभास है । उसे हम टाल नहीं सकते ।

यदि जम्मू-काश्मीर की जनता इस अनुच्छेद को समाप्त करने की मांग करे अथवा सादिक सरकार इसे समाप्त करने की मांग करे तब तो इसे तुरन्त समाप्त करना चाहियें ।

कहने वाले तो यह भी कहेंगे कि आओ तिब्बत को स्वाधीन करा दे ।

इस लिये हमें वास्तविकता को भूलना नहीं है । श्री नेहरु ने युद्धविराम रेखा के पास से काश्मीर का विभाजन करके समझौता करना चाहिये था ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । क्या कोई सदस्य जिसने संविधान के अनुसार शपथ उठाई है वह यह प्रचार कर सकता है कि राज्य को एक स्थान से बांट देना चाहिये ?

सभापति महोदय : इस व्यवस्था के प्रश्न को हम अगले दिन लेंगे । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा, सोमवार, 21 मार्च, 1966/30 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 21, 1966/*Phalguna* 30, 1887 (*Saka*)

———